Vol. 263
No. 3

Friday,
2nd February, 2024
13 Magha, 1945 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Birthday Greetings (page 1)

Papers Laid on the Table (pages 2 - 10)

Statements by Ministers - *Laid on the Table*

Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology (page 10)

Status of implementation of recommendations contained in the 182nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce (pages 10 -11)

Recommendation of the Business Advisory Committee (pages 11 - 12)

Statement regarding Government Business (pages 12 - 13)

[**P.T.O.**

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Regarding a statement made by a Member of other House and other issues (pages 13 - 21 and pages 22 - 26)

Rulings by the Chair (pages 21 - 22 and pages 93 - 94)

Matters raised with Permission-

Shortage of Pilots/Crew in Indian Aviation Sector (pages 26 -27)

Need to address alarming rise in suicides by students in the Country (pages 27 - 28)

Creation of separate All India Service Cadres of IAS, IPS and IFS for Arunachal Pradesh (pages 28 -29)

Demand for amendments/simplification of provisions with respect to FIR, Arrest and Bail (pages 29-30)

Concern over various problems faced by Railway passengers in Kerala (pages 30 -31)

Need to construct laying overland bridge between Dhanushkodi, Tamil Nadu and Talaimannar in Sri Lanka (pages 31 -33)

Oral Answers to Questions (pages 33 - 70)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

Motion of Thanks on the President's Address - *Discussion not concluded* (pages 70 - 93 and pages 94 -119)

Private Members' Bills — *Introduced/Withdrawn*

The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022 (page 120)

The Constitution (Amendment) Bill, 2023 (amendment of article 371A) (page 120-121)

Website: http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2023 (page 121)

The Kashmiri Pandits (Recourse, Restitution, Rehabilitation and Resettlement) Bill, 2022 (page 121)

The Witness Protection Bill, 2023 (pages 121 -122)

The Maternity Benefit for Women in the Unorganised Sector Bill, 2023 (page 122)

The Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2023 (page 122)

The Information Technology (Amendment) Bill, 2023 (page 123)

The Public Service Integrity Bill, 2023 (page 123)

The Elder Persons (Care and Protection) Bill, 2024 (page 123)

The Constitution (Amendment) Bill, 2023 (substitution of article 155, insertion of new article 156A and substitution of articles 200 and 201) (page 124)

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Amendment Bill, 2024 (page 124)

The Indian Contract (Amendment) Bill, 2024 (page 124)

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2024 (insertion of new sections 127B to 127D) (page 124-125)

The Indian Media Services (Regulation and Licensing) Bill, 2024(page 125)

The National Commission for Protection from Honour Crime Bill, 2024 (page 125)

The Constitution (Amendment) Bill, 2024 (amendment of article 361) (page 125)

The Constitution (Amendment) Bill, 2024 (amendment of articles 15 and 16) (pages 125 -126)

The National Food Security (Amendment) Bill, 2024 (page 126)

The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2024 (pages 126)

The Prevention of Fraudulent Calls Bill, 2024 (page 126)

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2024 (amendment of sections 86 and 116A) (page 126)

The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 153 and substitution of articles 155 and 156) - *Withdrawn* (pages 127 - 146)

The Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Bill, 2022 - *Withdrawn* (pages 146 -157)

Special Mentions-

Demand to start direct train between Mumbai and Amb Andura/Una (page 158)

Demand for inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Saroa languages in the 8th Schedule of the Indian Constitution (pages 158 - 159)

Demand to expedite Chennai Metro Rail Phase-II project and release of matching funds (pages 159- 160)

Concern over WHO's proposed Global Pandemic Treaty with the Amendments to the International Health Regulations 2005 (page 160)

Urgent need for regulating finance-influencers (page 161)

Demand for construction of Railway line from Korba to Lohardagga via Jaspur Gumla under Janjatiya Gaurav Corridor (pages 161 - 162)

Demand to set up Modern Doppler radars in Kerala for the proper weather forecasting (pages 162 - 163)

Lack of funds for research in Higher Education Institutions in Bihar (pages 163 -164)

Demand for new nursing colleges in Kerala (pages 164- 165)

Demand for mandatory functioning of Virtual courts along with Physical Courts across country (page 165)

Need to extend the salary ceiling limit beyond Rs.21,000 for ESI coverage (pages 166)

Issues faced by IT and ITES Sector employees (pages 166 - 167)

Demand for a comprehensive National Program on Cancers affecting Women (pages 167 -168)

RAJYA SABHA

Friday, the 2nd February, 2024 /13 Magha, 1945 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

BIRTHDAY GREETINGS

MR.CHAIRMAN: Hon. Members, I am extremely pleased to extend my greetings to hon. Members of Parliament, Shri Sant Balbir Singh, Shri Prem Chand Gupta and Shri Naresh Bansal on their birthdays. Shri Sant Balbir Singh's birthday is today and, of the other two, it is tomorrow, the 3rd February. For them, advance birthday greetings!

Shri Sant Balbir Singh has been a Member of this august House since July, 2022, representing the State of Punjab. He is a renowned environmentalist, social reformer and a spiritual leader. He has also been *Sarpanch* of his native village, Seechewal, twice and has won the Nirmal Gram Award for his village in 2008. He has been honoured with several prestigious awards including Padma Shri in 2017 for his pivotal role in conserving holy rivulet Kali Bein.

Shri Prem Chand Gupta, currently a Member of this House since April, 2020, is in his fifth term in the House of Elders. He is a former Union Minister also. He is also the Leader of the Rashtriya Janata Dal in Rajya Sabha, a former Union Minister, and Shri Gupta is a trained pilot. Am I right?

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: He is married to Shrimati Sarla Gupta and is blessed with two sons, Mayur Gupta and Gaurav Gupta and one daughter, Shalini Aggarwal.

Shri Naresh Bansal has been a Member of Rajya Sabha since November, 2020. Shri Bansal had served in various capacities in Uttarakhand before entering political life. He is married to Shrimati Akshma Bansal and is blessed with two sons, Kunal Bansal and Siddharth Bansal and one daughter, Megha Bansal.

Hon. Members, on behalf of this House, I wish them a long, healthy and happy life and extend greetings to their family members.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

I. Report (2022-23) on the progress made in the intake of SCs and STs against vacancies reserved for them in the Railways and related paper
II. MoUs between GoI and various organizations

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Report on the Progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories in the Railways, for the year 2022-23 (for the year ending 31st March, 2023).

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11256/17/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFCL), for the year 2023-2024.

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited (MRVCL), for the year 2023-2024.

(iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the RailTel Corporation of India Limited, for the year 2023-2024.

(iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the IRCON International Limited, for the year 2023-2024.

(v) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), for the year 2023-2024.

(vi) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Indian Railway Catering and Tourism

Corporation Limited (IRCTCL), for the year 2023-2024.

(vii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Braithwaite & Company Limited, for the year 2023-2024.

(viii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Container Corporation of India Limited (CONCOR), for the year 2023-2024 and 2024-2025.

(ix) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the RITES Limited, for the year 2023-2024.

[Placed in Library.For (i) to (ix) *See* No. L.T. 12257/17/24]

I. Notifications of the Ministry of Commerce and Industry

II. Reports and Accounts (2022-23) of various organizations and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL): Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), issued under Sections 3 and 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

(1) S.O. 4990(E)., dated the 20th November, 2023, amending import policy condition of Gold under HS Code 71081200 under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

(2) S.O. 5031(E)., dated the 23rd November, 2023, notifying imposition of Minimum Export Price on export of Onions.

(3) S.O. 5115(E)., dated the 30th November, 2023, notifying export of certain food commodities, as mentioned therein, through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

(4) S.O. 5182(E)., dated the 7th December, 2023, incorporating Policy condition for export of Non-basmati Rice under HS Code 10063090.

(5) S.O. 5183(E)., dated the 7th December, 2023, notifying export of Non-basmati White Rice (under HS Code 10063090) to Comoros, Madagascar, Equatorial Guinea, Egypt and Kenya through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

(6) S.O. 5201(E)., dated the 8th December, 2023, amending Export Policy of Onions.

(7) S.O. 5222(E)., dated the 8th December, 2023, amending export policy

of De-Oiled Rice Bran.

(8) S.O. 5226(E)., dated the 8th December, 2023, amending Import Policy and Policy Conditions for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy).

(9) S.O. 5317(E)., dated the 12th December, 2023, amending policy condition of Sl. No. 55 & 57, Chapter 10 Schedule-2, ITC (HS) Export Policy, 2018.

(10) S.O. 5351(E)., dated the 15th December, 2023, amending Export Policy of Food Supplements containing botanicals.

(11) S.O. 5478(E), dated the 28th December, 2023, extending 'Free' Import Policy of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] [ITC (HS) 0713 31 10] and Tur/Pigeon Peas (Cajanus Cajan) [ITC (HS) 0713 60 00] under ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy) till 31.03.2025.

(12) S.O. 22(E), dated the 1st January, 2024, amending Para 2.31 of the Foreign Trade Policy, 2023.

(13) S.O. 55(E)., dated the 3rd January, 2024, amending Import Policy and Policy condition of Screws covered under HS code 7318 of Chapter 73 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

(14) S.O. 175(E)., dated the 15th January, 2024, amending policy condition of silver covered under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

[Placed in Library.For (1) to (14) *See* No. L.T. 11261/17/24]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Fortieth Annual Report and Accounts of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above company.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11406/17/24]

(2) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Council for Leather

Exports (CLE), Chennai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11407/17/24]

(ii) (a) Sixty-fifth Annual Report and Accounts of the Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11408/17/24]

(iii) (a) Fifty-ninth Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11409/17/24]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Packaging (IIP), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11410/17/24]

I. Notifications of the Ministry of Textiles

II. Report and Accounts (2022-23) of CCIC, New Delhi and related papers

III. Reports and Accounts (2022-23) of various Association, Councils and Institute and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI DARSHANA

VIKRAM JARDOSH): Sir, I lay on the Table—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification No. S.O. 5459(E)., dated the 26th December, 2023, directing that the commodities specified in the Table mentioned therein, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified therein, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2024, under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11276/17/24]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Textiles, issued under sub-section 4(b) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008:-

(1) S.O. 3839 (E), dated the 31st August, 2023, nominating Ms. Saroj Pandey, Member of Rajya Sabha to serve as member on the Board of National Jute Board for a period of two years from the date of the Notification.

(2) S.O. 152 (E), dated the 11th January, 2024, nominating Shri Pradan Baruah and Shri KhagenMurmu, Members of Lok Sabha, to serve as member in the National Jute Board for a period of two years from the date of the Notification.

[Placed in Library.For (1) and (2) *See* No. L.T. 11277/17/24]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Textiles, under Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948:-

(1) G.S.R. 02(E)., dated the 2nd January, 2023, notifying the nomination of certain Officer, specified therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years, along with Delay Statement.

(2) S.O. 3381(E)., dated the 28th July, 2023, notifying the nomination of certain Members of Lok Sabha, specified therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years, along with Delay Statement.

(3) S.O. 3860(E)., dated the 1st September, 2023, notifying the nomination of certain Member of Rajya Sabha, specified therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years, along with Delay Statement.

(4) S.O. 4878(E)., dated the 9th November, 2023, notifying the nomination of certain person, specified therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years, along with Delay Statement.

(5) S.O. 5001(E)., dated the 22nd November, 2023, notifying the nomination of certain person, specified therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years, along with Delay Statement.

[Placed in Library.For (1) to (5) *See* No. L.T. 11411/17/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Annual Report and Accounts of the Central Cottage Industries Corporation of India Ltd. (CCIC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11273/17/24]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Seventy-third Annual Report and Accounts of the Synthetic and Art Silk Mills' Research Association (SASMIRA), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Association.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11412/17/24]

(ii) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Carpet Export Promotion Council (CEPC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11413/17/24]

(iii) (a) Sixty-ninth Annual Report and Accounts of the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11268/17/24]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Wool Industry Export Promotion Council (WOOLTEXPRO), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11414/17/24]

(v) (a) Sixty-ninth Annual Report and Accounts of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11415/17/24]

(vi) (a) Fifty-fourth Annual Report and Accounts ofthe Handloom Export Promotion Council (HEPC), Chennai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11416/17/24]

(vii) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the National Handloom Development Corporation Limited (NHDC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at

(a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11417/17/24]

(viii) (a) Fifty-eighth Annual Report and Accounts of the Wool &Woollens Export Promotion Council (W&WEPC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11418/17/24]

Reports and Accounts (2022-23) of JKDFC, Jammu; CPPRI, Saharanpur; NCCBM, Ballabgarh; and IRMRA, Thane and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I lay on the Table—

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Eighteenth Annual Report and Accounts of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited (JKDFC), Jammu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11419/17/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Pulp and Paper Research Institute (CPPRI), Saharanpur, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11283/17/24]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Council for Cement and

Building Materials (NCCBM), Ballabgarh, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11282/17/24]

(iii) (a) Sixty-fourth Annual Report and Accounts of the Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA), Thane, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Account.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 11420/17/24]

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of the recommendations contained in the Forty-fifth report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I lay the Statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 45^{th} Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants 2023-24 pertaining to Ministry of Electronics and Information Technology.

Status of implementation of the recommendations contained in the 182^{nd} report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I lay the Statement regarding status of implementation of

recommendations contained in the 182nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Ecosystem of Start-ups to benefit India".

RECOMMENDATION OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform hon. Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 1st February, 2024, has allotted time for Government Business as follows:—

	BUSINESS		TIME ALLOTTED
1.	Discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.		**Fourteen Hours**
2.	General Discussion on the Interim Union Budget for 2024-25.		**Eight Hours (to be discussed together)**
3.	Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands, after they are passed by Lok Sabha:—		
	(i)	Demands for Grants on Account for 2024-25	
	(ii)	Supplementary Demands for Grants for 2023-24	
4.	Consideration and return of the Finance Bill, 2024, after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha.		
5.	General Discussion on the Interim Budget for Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25.		

6.	Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands, after they are passed by Lok Sabha:—		
	(i)	Demands for Grants on Account of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25	
	(ii)	Supplementary Demands for Grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2023-24	
7.	Consideration and passing of the following Bills after their introduction:—		
	(i)	The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024	**Two Hours**
	(ii)	The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024	**Two Hours**
	(iii)	The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024	**Two Hours (to be discussed together)**
	(iv)	The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024	

The Committee also recommended that the lunch hour may be skipped on the remaining sittings of the House during this Session in order to dispose of the Business before the House.

STATEMENT REGARDING GOVERMENT BUSINESS

MR. CHIARMAN: Now, Statement regarding Government Business, Shri V. Muraleedharan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the 263rd Session of Rajya Sabha will consist of:-

1.Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper which contains discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.
2. General Discussion on Interim Union Budget 2024-25.
3.Consideration and return of the Appropriation Bills relating to:
a) Demands for Grants on Account 2024-25; and
b) Supplementary Demands for Grants 2023-24.
4. Consideration and return of the Finance Bill, 2024, *after it is passed by Lok Sabha*.
5. General Discussion on Interim Budget for Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25.
6. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to:
a) Demands for Grants on Account of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25; and
b) Supplementary Demands for Grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 2023-24.
7. Consideration and passing of the following Bills, *after their introduction:*
a) The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024;
b) The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024;
c) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024;
d) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024; and
e) The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

REGARDING A STATEMENT MADE BY A MEMBER OF OTHER HOUSE AND OTHER ISSUES

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Leader of the House and the Leader of the Opposition have conveyed to me that they have matters of urgent importance which, in their wisdom, need to be raised in the House. I would appeal to both the Leader of the House and the Leader of the Opposition that we in this House must follow the rules and maintain absolute discipline and decorum. Now, the Leader of the House and then the Leader of the Opposition. Hear both of them peacefully, please.

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक वक्तव्य प्रिंसिपल अपोज़िशन पार्टी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कोई

साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के एक उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और वे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं...

MR. CHAIRMAN: What is your point?

श्री पीयूष गोयलः उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, "We will be forced to demand a separate country."*...(Interruptions)...* फिर वे कहते हैं, "There was no other choice... " *...(Interruptions)...* फिर वे आगे कहते हैं "There was no other choice but to ask for a separate country. All southern States have to raise their voices demanding a separate nation." *...(Interruptions)...*

माननीय सभापति जी, यह कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनके काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय-समय पर किया है, यह इसका एक और उदाहरण है। माननीय सभापति जी, जब हम सदन में आते हैं ...(**व्यवधान**)... तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं, तो हम शपथ लेते हैं, "I do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge my duties..." *...(Interruptions)...*

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, he is not a Member of this House. *...(Interruptions)...*

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Sir, he is not a Member of this House. *...(Interruptions)...*

श्री पीयूष गोयलः माननीय सभापति जी, हम इसको छोटी-मोटी घटना के रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं समझता हूं कि यह देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर यह आघात है ...(**व्यवधान**)... देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता का यह अपमान किया गया है ...(**व्यवधान**)... हम जब शपथ लेते हैं, तो देश की sovereignty, देश की integrity सर्वोपरि होती है, यह सर्वप्रथम रहती है। माननीय सभापति जी, यह किस दिन उठाया जाता है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is your point? *...(Interruptions)...*

SHRI L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, it cannot be discussed here. *...(Interruptions)...*

श्री पीयूष गोयल : जब माननीया वित्त मंत्री देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रही हैं ...(**व्यवधान**)... अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, यह पूरा विश्व कल देख रहा था कि यह देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेकर जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... क्या यह कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता या नहीं? ...(**व्यवधान**)... क्या वे देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण दें। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस की इस विभाजनकारी सोच को देश कदापि स्वीकार नहीं करेगा। मैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनकी सोच की घोर निंदा करता हूं। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के लिए स्पष्टीकरण देकर माफी मांगे और उनके सदस्य से भी यह स्पष्टीकरण आए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमने शपथ ली है, वे उससे सहमत हैं या नहीं ...(**व्यवधान**)... वे भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं ...(**व्यवधान**)... और उनकी कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति क्या है, ...(**व्यवधान**)... वह देश के सामने आनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Now, the Leader of the Opposition *...(Interruptions)...*

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, एलओपी की पूरी बात सुनने के बाद आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन दीजिएगा। सर, एलओपी को पूरा सुनिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition *...(Interruptions)...*

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वे लोअर हाउस, यानी लोक सभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कहीं नहीं है कि ...

श्री सभापति : एक सेकंड, एक सेकंड। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी : कम से कम एलओपी को तो बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : तुम से भी ज्यादा ...(**व्यवधान**)... बैठो। ...(**व्यवधान**)... सर, आप उनकी उतनी बात सुनने के बाद मेरी बात तो नहीं सुनते!

MR. CHAIRMAN: On this point, hon. Leader of the Opposition, you had raised a point of order when an issue about Rahul Gandhi*ji* was raised by Shri Piyush Goyal. I had given my ruling on that. My ruling was very categorical that our rules provide that this House is well within the rights to discuss the conduct even of a Member of Lok Sabha. If there are allegations to be levelled against a Member of Lok Sabha, then a notice is required to be given to the Chairman. I had given my ruling. When Shri Piyush Goyal, the Leader of the House, raised that issue, Mallikarjun Kharge*ji* took exception. Please go through that ruling of the Chair. The ruling is very categorical.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, anything said against the law, which is established in this House and which is enacted under the business rules, cannot be allowed. The Prime Minister is the Leader of that House. Let him raise it. Ask them to bring the video *...(Interruptions)...* It is simple.

MR. CHAIRMAN: The Leader of the Opposition is on his legs. *...(Interruptions)...* आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: देश को आप अकेले ...(**व्यवधान**)... देश की एकता के लिए तो हमारे लोग, दो हज़ार लोगों ने जानें दीं। तुम क्या बोलते हो? ...(**व्यवधान**)... देश के लिए हमारे कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। ...(**व्यवधान**)... तुम क्या हो? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. ...(Interruptions)... Hon. Members, please take your seats. *...(Interruptions)...*

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, उन्होंने क्या बोला? ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन : क्या बोला, सही बोला। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. *...(Interruptions)...* I will look into it. *...(Interruptions)...* Hon. Members, let the tempers cool. We all have taken an oath under the Constitution and any outrage of that oath is a serious matter raising serious consequences. Coming to what the Leader of the Opposition has said, my ruling was very categorical. I had taken recourse to the rules. The rules of this House provide that if an issue regarding a Member of the other House is to be raised here, it can be

done. But if any allegation is levelled against that particular Member, then, a notice is required to be given to the Chair. In that specific case, when the hon. Member of the Lok Sabha and the leader of the Congress Party had made observations outside the country, I had held, firstly, that his conduct can be debated, discussed and deliberated in this House and, secondly, after going through the record forcing the Leader of the House to put everything on the Table of the House, I had concluded that the Leader of the House had only quoted the observations imparted by the leader of the Congress Party outside the country. That was my ruling. I decided that very categorically. From that perspective, Khargeji's observation that the gentleman who happens to be a Member of the Lok Sabha and who, according to the Leader of the House, has made an observation, which, I think, is unprecedented, too severe to be countenanced, contrary to the oath, contrary to the spirit and essence of the Constitution. And I am sure the entire House will be one, and it is for all of us in togetherness to see that such kind of tendencies do not get into a groove. They need to be nipped in the bud. I am on that point.

So, the hon. Leader of the Opposition, if you are taking a technical plea that has been determined by the House,... *...(Interruptions)...* Only the Leader of the Opposition*...(Interruptions)...* Everyone will observe silence. This is a very, very serious matter.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैंने दो ही बातें बोलीं। एक तो यह कि वे यहाँ के सदस्य नहीं हैं। दूसरा, मैंने सुना कि आज टीवी पर उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो वहाँ पर उसे प्रिविलेज कमेटी में भेजने दीजिए, उसको काम करने दीजिए।

सर, मैं तीसरी बात बोलता हूँ कि अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात करेगा, तो हम उसे कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे वह मेरी पार्टी का हो, उनकी पार्टी का हो या अन्य किसी पार्टी का हो। ...(**व्यवधान**)... इस देश को एक रखने के लिए कोई यह कहे या नहीं कहे, मैं खुद, मल्लिकार्जुन खरगे खड़े होकर यह कहूँगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी और राजीव गांधी जी ने भी अपनी जान दी। ...(**व्यवधान**)... क्या ऐसी पार्टी कभी इस तरह से देश तोड़ने की बात कर सकती है और अलग देश बनाने की बात कर सकती है? ...(**व्यवधान**)... हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने नहीं बोली, नहीं कही, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, making a statement is fine. The fact of the situation is that nationally and globally, a message has emanated in public domain that a Member of Parliament had categorically said so. I direct, invoking my authority, the Leader of the House, Shri Piyush Goyal, to put it on the Table of the House. These

issues cannot be taken lightly. It is not an issue which is in the domain of the other House only. It is equally our prerogative, our constitutional ordainment, and such a person is required to be visited with exemplary consequences. I will look into it. The Leader of the House will put it on the Table of the House and I direct my Secretariat to share it immediately with the Leader of the Opposition.

SHRI PIYUSH GOYAL: Yes, Sir, I will place it. This recording is in Kannada.

MR. CHAIRMAN: Put it on the Table of the House.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I have one more point. I have already written a letter to you.

MR. CHAIRMAN: I have not received your letter, but I have received your message.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have given in writing. Okay, whatever it is.

MR. CHAIRMAN: Your deputy leader was good enough to see me.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Okay, thank you, Sir. In Jharkhand, one issue has arisen. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please listen to him.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने जो रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी। उसमें nearly 43 लोगों के signatures थे और चार लोग अभी बाहर थे, यानी 47 लोग उनके साथ थे।

MR. CHAIRMAN: What is your point, Sir?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: 47 लोग गए थे। ...(**व्यवधान**)... सर, उन्होंने ...(**व्यवधान**)... सर, उन्होंने उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनायी। सर, हम भी पॉलिटिक्स में हैं और आप भी जानते हैं कि immediately क्या होता है, till alternate arrangement, he may be continued. ...(**व्यवधान**)... पहले आप सुन तो लीजिए, फिर कुछ बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I am here to take a call. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : * ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *

श्री पीयूष गोयल : सर, मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हुआ हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, इस प्रकार से मुख्य मंत्री ने जमीन का घोटाला किया हो, इन सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उस मुख्य मंत्री को डिफेंड कर रही है। उस मुख्य मंत्री के कांड के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। यह पुनर्स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है।...(**व्यवधान**)... कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करती है।...(**व्यवधान**)...

माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक गवर्नर की बात है, तो गवर्नर का कंडक्ट कोई इस हाउस में तो नहीं डिस्कस होता है।...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir... ...*(Interruptions)*...

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Mr. Chairman, Sir... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Elamaram Kareem, please. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, हम इसके प्रोटेस्ट में वॉकआउट करते हैं।...(**व्यवधान**)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री पीयूष गोयलः सर, इतने सारे कोर्ट के केसेज़ हुए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि गवर्नर्स पूरी तरह से अपने आप को सैटिस्फाई कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... सर, कांग्रेस ने तो पहले भी लिस्ट्स दी हैं, जिनके बारे में बाद में पता चला कि उनमें सिग्नेचर ही किसी और के हैं। ...(**व्यवधान**)... बिना पूछे भी सिग्नेचर दे देते हैं।...(**व्यवधान**)... कांग्रेस का जो व्यवहार है, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One second, please. Now, Dr. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Sir, I also raised this issue in the morning. ...*(Interruptions)*... This morning, I raised this issue and the hon. Chairman was so

---

* Not recorded.

kind that he called me and said that he had with him the papers and documents which showed that the Chief Minister was asked to continue till the next man. I said, unless the notification is showed to us, we will not agree, because this country cannot be run without a Constitution. Constitution says that there has to be a Government and the Government has to be run by a Chief Minister. We are not bothered whether the Chief Minister is this man or that man or whether Nitish goes within five minutes or ten minutes. The point is that we have not seen the notification. There was no need for them to walk out if you have to only tell us that there was a notification, that there was a nod that that particular Chief Minister, who had resigned, were to continue till the next arrangement is made.

MR. CHAIRMAN: I did not say that. I said, we need to look at the notification.

DR. K. KESHAVA RAO: You said that you had the notification. If it is not there, then my point still remains that this country has to be run through a Constitution. *...(Interruptions)...*

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am sorry to say that when there is a Member of the other House talking about breaking the country, we are being told, on technical grounds, that we cannot discuss that but we are happily discussing the conduct of a Governor, who knows his position... *...(Interruptions)...*

DR. K. KESHAVA RAO: We are not discussing the conduct of the Governor. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the walk-out is in favour of corruption. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members.. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Rather than getting up and speaking in between with such protest, senior Member, Dr. Keshava Rao, should listen to what I am saying just as I have listened to him. The entire Opposition has walked out in favour of corruption. We are talking about eliminating corruption and they want to walk out and they are doing this. We are reminded that we cannot speak about a Member of the other House even if he is planning to break this country! But here they are,

questioning the functioning of the Governor! Doesn't the Governor know what to do? And this kind of a conduct against a constitutional authority by a party which has been in power for more than 45-50 years is despicable. And hon. Member, Keshav Rao ji, please do listen to what I am saying rather than getting up to disrupt me. *..(Interruptions)..* You may be a senior Member, but I am sorry to say*...(Interruptions)..* I am sorry to say that the questioning of a Governor's conduct by the Congress Party, particularly when the issue pertains to stopping corruption in a State, is astonishing as it is also astonishing to walk out on that, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, one minute, please. *...(Interruptions)...* One second, please. *..(Interruptions)..*

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I have got one thing to say. *..(Interruptions)..*

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order. *..(Interruptions)..*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, *..(Interruptions)..* I will give you the floor. *..(Interruptions)..* Take your seat. *..(Interruptions)..*

RULINGS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on 5th April, 2023, I had imparted a ruling and I was called upon because the hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, wanted a ruling on that. I quote: " 'On March 13, 2023, the hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, responding to the assertions of the Leader of the House, Shri Piyush Goyal, who demanded apology for shameless way by which a senior leader of Opposition in a foreign country had attacked the democracy of India, insulted Parliament of India, raised a point of order that there could be no discussion, reflection in the Rajya Sabha, on or about a Member of the Lok Sabha or anyone who is not a Member of the Rajya Sabha'. I concluded, after bestowing earnest consideration on this momentous aspect, saying, I am of the firm view that there can be no issue or individual beyond the purview of discussion in the Rajya Sabha and the same is exclusively subject to regulation by the House and the Chairman. The two precedents relied upon by the hon. Leader of the Opposition have no bearing on the issue being determined herein. I further took note of the situation that notice had to

be given to me if you level allegations against a Member of Lok Sabha and further, the authenticated record made available by the Leader of the House, Shri Piyush Goyal, bears out that his demand of apology on the overseas statements made by a senior leader of Opposition is factually premised and does not graduate to making allegations of a defamatory or incriminatory in nature. The documentation submitted by the Leader of the House as per directive bears out his assertion imparted in Rajya Sabha on March 13, 2023, the same being in consonance with facts and situation. In view of categorical and firm constitutional prescriptions, I cannot persuade myself to sustain the point of order raised by the hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, and the same is hereby declined.

Now, what is really worrisome is that if a senior person and the Leader of the Opposition rakes up the same issue on the same premise that we can't discuss it, whether we discuss it or not is prerogative of the House. But we can discuss, and hon. Members, the issue raised by the Leader of the House is existential one. It is very serious. *..(Interruptions)..* I will give you the floor. *..(Interruptions)..*

REGARDING A STATEMENT MADE BY A MEMBER OF OTHER HOUSE AND OTHER ISSUES - *Contd.*

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Sir, the House stands by you. What we said is *..(Interruptions)..*

MR. CHAIRMAN: And, in that perspective, I directed the Leader of the House to put on the Table of the House the document that bears out the statement of the Member of Parliament concerned.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I immediately placed on record the clipping of the statement which the hon. MP had made. It is in the same language that the hon. Leader of the Opposition also knows very well. I am sure he will be able to understand what he said in that. Sir, it is an outrage of the Constitution and outrage of the oath that we all have taken to become Members of Parliament and to become public servants. It is to be noted that the hon. Leader of the Opposition has not condemned the statement made by his senior colleague. He has not condemned the statement by a Member of Parliament of his party despite him being the brother of the Deputy Chief Minister of their State. It clearly shows that the Congress Party is not entirely against the views of the hon. Member of Parliament

from Karnataka. In some sense, it is important that the hon. Leader of the Opposition, who is also the Leader of the Congress Party, the President of the Congress Party, should not only apologise to the nation but should also condemn the views of his Member of Parliament. He should apologise to the people of India. Today, 140 crore people are feeling outraged by the comments and the divisionary thinking of the Congress Party. And I think the other issue that was raised was only as a response, again as a diversionary tactic, by the Leader of the Opposition.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I must first...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I must put on record that Dr. K. Keshava Rao had seen me in my Chamber and had raised an issue of constitutional situation. I confronted him asking whether he had seen the notification. Neither had he seen it nor have I seen it. He was good enough to say that without notification, we cannot proceed further. We will gather the notification. But that would again leave an issue open to us whether we can discuss the conduct of a constitutional functionary in this House where provisions are made. So lay your hands on the notification, and after going through the notification, if you feel the rules permit, then, you may raise it. If the rules do not permit...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, rules are subservient to the law, the Constitution. What I am saying is about a situation where the Constitution is silent. It is Article 74. When a Chief Minister resigns, there cannot be a vacuum in governance. In a parliamentary democracy, there cannot be a vacuum. Once you resign, the authorities have to ask him to continue till alternative arrangements are made or immediately take it up as we have done in other States. That is what I said. You said that notification has already come.

MR. CHAIRMAN: No. I said, 'It has come. I am not aware of the contents'.

DR. K. KESHAVA RAO: Yes, you don't know the contents.

MR. CHAIRMAN: I am not aware of the contents.

DR. K. KESHAVA RAO: Yes. So, the question I am raising today before you, from the Council of States, is this. The question before the Chairman, who is a known legal luminary of this country, is this. When a thing like this happened, what had happened in the last 20 hours? Were we without a Government? Can there be a State without a Government? If the Constitution is wrong, this House should take note of it and pass an amendment or pass some kind of a provision which fills in the vacuum.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I think these are just diversionary tactics that different Members of the Opposition are raising. First it was the Leader of the Opposition and now it is the Leader of another party. I don't know what the connection between the two is. They are trying to divert the issue from very, very big corruption and scandal in the State of Jharkhand. The important issue is the corruption in Jharkhand. The important issue is the outrage of India's Constitution. ...(*Interruptions*)... They are just trying to divert the issue to try and defend a corrupt Chief Minister of Jharkhand.

DR. K. KESHAVA RAO: Corruption is only a passing matter. Do you understand that? The Constitution talks about the Government. ...(*Interruptions*).. I am not talking about how...(*Interruptions*)... What Piyush *ji* does in his Ministry, I am not concerned. ...(*Interruptions*)... You must know the law. Law is one thing. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister wants to say something.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, there are two issues on our table now. One is about a Member of Parliament, belonging to the party to which the Leader of the Opposition belongs and of which he is the President, talking about dividing this country. The Member is a sitting Member of the House, the Lok Sabha. And here, we have been lectured on technicalities that you cannot speak about that. Your ruling, which you have taken all care to read out in full, says that this is not beyond this House to talk if it is matter of such a serious concern and it is very well established in your order. Now, instead of going by the precedent of that order, the Leader of the Opposition and his entire party has chosen to walk out on a matter which is on dividing this country by a sitting Member of their own party in Lok Sabha, and on an issue like this where the Leader of the Opposition claims that they have given lives for the country.

MR. CHAIRMAN: Not the entire party.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, no; it is all right.

MR. CHAIRMAN: One hon. Member is here.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You may correct me on that ground but the fact remains that he represents that party sitting here as a leader. My concern is regarding the major issue of separatist language by a Member of Lok Sabha of that party. And instead of outrightly condemning it and saying that nothing can be before us when we talk about the integrity and sovereignty of this country, we have been lectured on technicalities! Your ruling has not even been heard. Your ruling, which is a precedent and which you yourself sitting in the Chair are quoting, is not even being heard by the Members of the Opposition and they chose to walk out on an issue which is on unity of this country. Whether you are in Rajya Sabha or Lok Sabha, what more can be important than the unity of this country? At that time, we have learned senior Member from another party in the Opposition talking to us about the role...(*Interruptions*)... This is diversionary. ...(*Interruptions*)... This is diversionary. ...(*Interruptions*)... We need to address this question of whether this country can be divided even as a wishful thinking by a Member in the Lok Sabha. Can any Member here talk of anything else more important than that?

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, one minute, please. ...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, please take your seats. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record unless I allow. ...(*Interruptions*)... झारखंड का नहीं है। Hon. Members, any challenge to the integrity to this nation...(*Interruptions*)... One minute, please. ...(*Interruptions*)... Please listen to me. ...(*Interruptions*)...

Dr. Keshava Rao, nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, I have no doubt. ...(*Interruptions*)... We represent 1.4 billion people and it is our constitutional obligation. ...(*Interruptions*)... I am making a general preposition and no one should disagree with that. Any challenge to the sovereignty and integrity of this nation has to be resisted with the full might of every institution. ...(*Interruptions*)... And this House is seized of the matter

---

* Not recorded.

and I would greatly appreciate that the House, in one voice, reflects the mindset of 1.4 billion people that such an attempt from any quarter, within or outside, has to be met with unitedly and effectively, and has to be neutralized.

Now, matters to be raised with permission. Shri A.D. Singh; not present.

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, I am here.

MR. CHAIRMAN: I should have noticed your presence. ...(*Interruptions*)...

SHRI A.D. SINGH: Sir, could I start or will he speak?

MR. CHAIRMAN: He has a point of order. Under which rule, are you raising a point of order?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar pradesh): Sir, it is rule 238(v): "A Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

So, hon. Leader of the Opposition referred to a constitutional authority without having submitted a motion and without the motion having been accepted by the hon. Chairman. Therefore, whatever he said must be expunged from the record because this pertains to a very high constitutional authority.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Narasimha Rao*ji*. We would look into this. Now, Mr. A.D. Singh, please.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Shortage of Pilots/Crew in Indian Aviation Sector

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, India is now the third-largest aviation market in the world and various airlines are increasing the number of aircrafts that they are buying. The Government is also expanding the aviation network around the country but, unfortunately, with the kind of place that the Indian aviation industry has ascended,

correspondingly, we do not have that much of pilots who can do their job because there is a lack of availability of pilots and particularly for that CAT-III landing, training is also not there. As of now, 34 DGCA approved flying training organizations are there in the country. Some training centres operate simulators. Private flying academies are also getting license. Airlines are also going ahead with their own training programme but all this is not sufficient. The training facilities in India are grossly inadequate. There is an urgent need for more pilot training and flying institutes. DGCA should play a decisive role in coordinating flying training organizations, pilot training in airlines and various examinations, etc., connected with the training of pilots. I urge the Government to take urgent steps so that there is no shortage of pilots in the country in the future. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri A.D. Singh: Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra).

Thank you, Shri A.D. Singh. Now, Shri Rajeev Shukla, 'Need to address alarming rise in students suicides in the country.'

Need to address alarming rise in students suicides in the Country

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, मैं आज सदन में अति महत्व के प्रश्न पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से छात्रों के द्वारा आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से कोटा या अन्य जगहों पर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, यह एक गंभीर विषय है। इस पर पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। इसमें किसी सरकार को दोष देने की बात नहीं है, किसी राज्य सरकार को दोष देने की बात नहीं है। यह एक बड़ी विकराल समस्या आ खड़ी हुई है। करीब 35 हजार छात्रों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि कोई किसी एग्जाम में फेल हो गया, कोई आशा के अनुरूप मार्क्स नहीं ला पा रहा है। इसलिए यह एक बड़ा गंभीर विषय है और मैं चाहूंगा कि पूरा समाज इस तरफ ध्यान दे।

अभी उस दिन प्रधान मंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा में संबोधन था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि माता-पिता छात्रों पर बहुत दबाव डाल देते हैं, उससे भी छात्रों के अंदर बहुत बड़ा मानसिक संकट पैदा हो जाता है। सीएसडीएस ने एक हजार स्टूडेंट्स का सर्वे किया था - उनके हिसाब से जो 35 हजार छात्र आए, उनकी मुख्य रूप से वजह यह थी कि 'Several factors contributing to this distressing trend include academic pressure,

mental health issues, isolation, financial concerns, lack of support and the stigma surrounding failure in competitive exams.' अगर बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आप फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिदंगी खत्म हो गई, आपका सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह के जो कोचिंग सेंटर्स हैं या एजुकेशनल सेंटर्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी लोग रखने चाहिए। वहां पर मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के सेंटर्स भी खुलने चाहिए, जो उनकी इस तरह से सहायता कर सकें और financial problem भी दूर करें, क्योंकि मां-बाप पेट काटकर बच्चों को भेजते हैं, तो वे उस पर दबाव डालते हैं कि तुम हर हालत में क्वालिफाई करो। अगर तुमने क्वालिफाई नहीं किया, कुछ नहीं बना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस दबाव में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। यह किसी एक के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सारे लोगों को इसके बारे में मिलकर सोचना पड़ेगा। मेरे पांच सुझाव हैं – एक तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट्स में क्रिएट करनी चाहिए। There should be mandatory training programmes for teachers. टीचर्स स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे ऐसे छात्रों का उत्साहवर्धन करें, कैसे उन्हें निराशा के दौर से निकालें और इसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें फर्स्ट एड का भी इंतजाम होना चाहिए। वहां पर अवेयरनेस कैम्पेन लाँच होने चाहिए। यह काम गवर्नमेंट को और तमाम एनजीओज़ को करना चाहिए। यह जो stigma है कि हम फेल हो गए, तो सब खत्म हो गया, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वह इसके बारे में पूरे देश में एक जन-जागरण अभियान चलाए, ताकि छात्र इस तरह का काम न करें। सर, *

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। *...(Interruptions)...* No. *...(Interruptions)...* You are not going on record now. *...(Interruptions)...* You are not going on record. *...(Interruptions)...* The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Rajeev Shukla:

Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra).

Now, Shri Nabam Rebia, 'Creation of separate All India Service cadres of IAS, IPS and IFS for Arunachal Pradesh.'

Creation of separate All India Service Cadres of IAS, IPS and IFS for Arunachal Pradesh

* Not recorded.

श्री नबाम रेबिआ (अरुणाचल प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस विषय को पहले भी इस सदन में रख चुका हूं। भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर उसका अपना सैपरेट ऑल इंडिया ऑफिसर्स सर्विस कैडर नहीं है, like IAS, IPS and IFS, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स आते हैं, ये दो-तीन साल बैठकर चले जाते हैं। यह चीज़ हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को हैम्पर करती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी यह मांग कई बार केंद्र में रखी है और अरुणाचल प्रदेश विधान सभा में भी बहुत बार इसका रेज़ोल्यूशन पास हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश का डेवलपमेंट होना है और इसकी भलाई के लिए काम करना है तो वे ऑफिसर्स कम से कम पाँच-दस साल के लिए यहाँ बैठें। तभी अरुणाचल प्रदेश के विकास का काम होगा, वरना वे दो-तीन साल में क्या काम करेंगे? मैं केंद्र सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए सैपरेट कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज़-- IAS, IPS and IFS which means Indian Forest Service का सेपरेशन जल्दी किया जाए। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Nebam Rabia: Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Kamakhya Prasad Tasa, (Assam), Shri Rwngwra Narzary, (Assam), Shri Sujeet Kumar, (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Ashok Kumar Mittal; Demand for amendments/simplification of provisions with respect to FIR, Arrest and Bail.

Demand for amendments/simplification of provisions with respect to FIR, Arrest and Bail

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज सदन में सरकार के समक्ष एक ऐसा मुद्दा रखना चाहूंगा, जो कानूनी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान एक बात कही - 'Justice First' और देश में जो नए क्रिमिनल लॉज़ आ रहे हैं, उनके बारे में भी कहा। महोदय, हमारे देश में जो अंडरट्रायल्स हैं, जब हम उनकी परिस्थिति देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे क्रिमिनल लॉज़ में एफआईआर, अरेस्ट और बेल के प्रोविज़न्स में क्लैरिटी न होने के कारण पुलिस प्रशासन के लिए यह कमाई का एक माध्यम बन गया है। ऐसे बहुत सारे केस भी सामने आए हैं, जिनमें माइनर ऑफेन्सेज़ के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे

देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है और भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है, जिसका सबसे साधारण तरीका एफआईआर की धमकी देना है। कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके पुलिस शोषण करने के लिए किसी भी कानून के किसी भी सैक्शन को एप्लाई करके लोगों को जेल में डाल देती है। पीएसआई रिपोर्ट के मुताबिक दिसम्बर 2022 तक 5 लाख, 70 हज़ार कैदी थे। इसमें 75 प्रतिशत यानी 4 लाख, 30 हज़ार कैदी अंडरट्रायल हैं। हमारी जेल्स ओवरक्राउडिड हैं और काफी केसेज़ में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को भी पुलिस गलत एफआईआर करके जेल में डाल देती है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'Bail is a matter of right and jail is an exception.' ऐसे भी कई केसेज़ हैं, जहाँ हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज बेल नहीं देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल हो जाती है। इसका कारण है judicial discrimination in granting bail. जिसमें हर जज अपने विवेक के हिसाब से बेल की कंडीशन निर्धारित करता है। मैं इस सदन के सामने एक इंटेरेस्टिंग केस लाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक केस में बेल देते वक्त यह कंडीशन लगाई थी कि मुज़रिम किसी हॉस्पिटल को 25 हज़ार रुपये का एलईडी टीवी दान में देगा। एक अन्य केस में यह कहा गया कि मुलज़िम दो महीने तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रिमिनल लॉज़ को रिपील किया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया, जिसमें एफआईआर, बेल और अरेस्ट के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra).

Please conclude. ...*(Interruptions)*... The time is over. Please. *(Time-bell rings.)* Shri Abdul Wahab. Shri A.A. Rahim is associating. Concern over various problems faced by Railway passengers in Kerala.

Concern over various problems faced by Railway passengers in Kerala.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, in Kerala, as usual, we don't have any special zone. The passengers are facing huge difficulties. All railway stations are crowded. Keralites are the most respectful and responsible passengers of the Indian Railways. There are less defaulters, I mean, those who travel without tickets. Ninety-nine per cent Keralites travel with tickets. I request our Ministry to specifically consider one or two items. Nilambur is the station where the railway ends. It was started by

Britishers not for the development of Malabar or Kerala. It was developed to get the forces to suppress the rebellions against the British and take out the Nilambur teak from there to the U.K. That is why they started it. But now, after Independence, the Nilambur-Shoranur Express is connecting different places. Nilambur Road Station has now been identified under the Amrut Bharat Station Scheme. The hon. Minister has included it and the work is going on. The problem is with the speed and the electric connection and all. So, I request the hon. Minister to look into that one. The long-pending Bathery-Nanjangud-Nilambur to Bangalore, there is an easy road, so that Keralites can save, at least, 150 kms. So, for Nilambur-Nanjangud projects and all, the PPR is already done and I wish the next Minister will be looking into that. The General-Manager of Southern Railways agreed for A.C. coaches from Nilambur to Ernakulam-Kottayam. But, so far, it is not there. MEMU train is not there and it is very difficult for us to travel. So, I request the Government of India, through you, that immediate action should be taken for Nilambur-Shoranur-Cochin and Kottayam routes. We have already got the Rajya Rani Express from Nilambur to Kochuveli, but it is very difficult for the cancer patients, as 90 per cent of the cancer patients are going to RCC, Trivandrum because the train stops at Kochuveli; and again, from there to Trivandrum, they have to take auto rickshaws, taxis which are fleeing the people by charging Rs.300, Rs.400 for five kilometres. So, I request, through you, not to extend, but to make the Nilambur Road Rajya Rani Express to Trivandrum Central which is our most important demand. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Abdul Wahab: Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), and Shri Jose K. Mani (Kerala).

Shri M. Shanmugam; need for constructing laying overland bridge between Dhanushkodi, Tamil Nadu and Talaimannar in Sri Lanka. *...(Interruptions)...* His name was for association. He has associated. *...(Interruptions)...*

Need to construct laying overland bridge between Dhanushkodi, Tamil Nadu and Talaimannar in Sri Lanka

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, for the last two centuries, efforts are being made to provide sea communication between Sri Lanka and Indian mainland

and many surveys and projects were prepared. Recently also, Sethusamudram Canal Project that would connect the Gulf of Mannar and the Palk Strait was conceived and all feasibility reports were prepared and dredging work was also started during the UPA regime. Unfortunately, when the BJP Government came to power, it was discontinued and ultimately, it was abandoned.

Our hon. Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, last year moved a resolution in the Tamil Nadu State Assembly seeking the revival of the Sehtusamudram Project, but the Union Government did not give any response.

From the Indian coastal corner at Dhanushkodi to Sri Lanka's Talaimannar, it is only 25 kms., and it can be easily connected with a bridge. It will improve the port connectivity and also the movement of the people. Dr. A. Ramasamy Mudaliar Committee which was engaged by the Union Government in 1955, examined the desirability of the project and found the project feasible and viable. However, it strongly recommended an overland passage instead of a channel cutting through the sea.

I would, therefore, urge upon the Union Government, especially, the hon. Minister of External Affairs and the Minister of Road Transport to consider laying overland bridge or under-sea bridge between Dhanushkodi and Talaimannar to improve economic and trade relations and people to people movement between India and Sri Lanka at the earliest. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri M. Shanmugam: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), and Dr. John Brittas (Kerala).

Thank you. Hon. Member, Shrimati Priyanka Chaturvedi on 'Need to include HPV vaccines in the Universal Immunization Programme (UIP)'.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, thank you so much for the time for this important topic to be discussed, पर उससे पहले मैं 30 सेकंड लेना चाहूँगी। *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You are not speaking on the subject. ...(*Interruptions*)... No, this is not going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I will speak on this. ...(*Interruptions*)...

---

* Not recorded.

श्री उपसभापति : अगर आप सब्जेक्ट पर नहीं बोलेंगी तो I will proceed further.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, please listen to me. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. The Chair is not allowing. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: It has nothing to do with the allegations, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, you have to speak on the subject. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: It has nothing to do with the allegations. All I want to know is, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Priyanka*ji*, you have to speak on the subject. Otherwise, I am calling the other Member. Shri K.R.N. Rajeshkumar.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, today, I rise to bring to your notice. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. Now, Question Hour. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record, Madam. Now, Question Hour.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Irrigation system in Jharkhand

†*1. SHRI DEEPAK PRAKASH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS Welfare be pleased to state:

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

(a) whether Government has conducted any survey in Jharkhand regarding percent age of agricultural land that does not have irrigation system as paddy is the main crop of the State and there is no adequate water system for it;
(b) if so, the details thereof and the manner in which the dependence on rain could be reduced; and
(c) Government's response to the damage caused due to monsoon based farming in Jharkhand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILALSH CHOUDHARY): (a) to (c): A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) & (b) As per Land Use Statistics at a Glance 2012-13 to 2021-22 (latest), during the year 2021-22, out of net area sown of 13.8 lakh hectares in Jharkhand, 2.8 lakh hectares was irrigated area and 11 lakh hectares was unirrigated area.

Government of India is implementing Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) since 2015-16 in the country, including Jharkhand with an aim to enhance physical access of water on farm and expand cultivable area under assured irrigation and introduce sustainable water conservation practices. The components of PMKSY are as under:

(i) Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP): This programme is being implemented by the Department of Water Resources River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD&GR) with an aim to focus on faster completion of ongoing major and medium irrigation projects including National Projects in the country.

During 2016-17, ninety-nine (99) on-going major/medium irrigation projects were identified as priority projects to be taken up under PMKSY-AIBP. Assured financial assistance was provisioned for these projects under Long Term Irrigation Fund, with borrowings from NABARD. Out of these projects, AIBP works of 54 prioritized projects have been completed and remaining 45 projects are at different stages of implementation.

Subarnarekha Multipurpose Project in Jharkhand is covered under PMKSY-AIBP which is planned to be completed by March 2026. This project is benefitting East Singhbhum, West Singhbhum & Saraikela Kharsawan districts. The target irrigation potential under this project is 2.37 lakh hectares out of which 1.43 lakh hectares has been created up to December, 2023.

Further, after approval of implementation of PMKSY during 2021-2026, eight additional irrigation projects have been included under PMKSY-AIBP from 2021-22 onwards, which are presently under implementation.

(ii) Har Khet Ko Pani (HKKP): This scheme is being implemented by the Department of Water Resources River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD&GR). HKKP consists of four sub-components, being Command Area Development & Water Management (CAD&WM), Surface Minor Irrigation (SMI), Repair, Renovation and Restoration (RRR) of Water Bodies (WBs), and Ground Water (GW) Development component. The activities undertaken, inter alia, include creation of new water sources through minor irrigation, repair, restoration and renovation of water bodies; strengthening carrying capacity of traditional water sources, construction of rain water harvesting structures etc.

The continuation of PMKSY-HKKP for the FY 2021-22 to FY 2025-26 has been approved by Union Cabinet in December 2021 with a budget outlay of Rs. 4580 crores and targeted irrigation potential of 4.50 lakh-ha for Surface Minor Irrigation(SMI) and Repair, Renovation and Restoration (RRR) of WBs schemes. The Central Assistance (CA) under both the schemes (SMI and RRR of WBs) is provided in the form of grant which is 100% of the project cost for UTs without legislature. Central Assistance is 90% of the project cost for UTs with legislature and 7 North-Eastern states and Sikkim & Hilly States (Himachal Pradesh and Uttarakhand).

A cluster of 82 number of Surface Minor Irrigation Schemes having estimated cost of Rs. 75.32 crores of Jharkhand were included for Central Assistance in financial year 2014-15. An amount of Rs. 19.38 crore have been released as Central Assistance to the Govt. of Jharkhand. All such irrigation schemes have been completed as reported by the State and an additional area of 8730 hectares has been brought under irrigation.

(iii) Watershed Development Component (WDC): This component is being implemented by the Department of Land Resources (DoLR) for development of rainfed/degraded lands in the country. The activities undertaken, inter alia, include ridge area treatment, drainage line treatment, soil and moisture conservation, rainwater harvesting, nursery raising, pasture development, livelihoods for asset-less persons etc.

Under WDC 1.0, out of the 6382 projects, a total of 6372 projects in 27 States and UTs of J&K and Ladakh have been reported to be completed, as on 20.12.2022. The period of WDC-PMKSY 1.0 projects got over in March,

2022. Government of India approved continuation of programme as WDC-PMKSY 2.0 for the period 2021-22 to 2025-26 with a physical target of 49.5 lakh ha and financial outlay of Rs. 8,134 crore, as the Central share. DoLR has till date sanctioned 1149 projects to 28 States and 2 UTs of J&K and Ladakh, including 30 projects in Jharkhand. Under WDC-PMKSY 2.0, during 2022-23 to 2023-24(Q 1), 75023 Water Harvesting Structure (WHS) have been created / rejuvenated, including 477 in Jharkhand and 57255 hectare area have been brought under protective irrigation, including 739 hectare in Jharkhand.

(iv) Per Drop More Crop (PDMC): This scheme is being implemented by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. The PDMC scheme mainly focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation viz. Drip and Sprinkler irrigation systems. From the year 2015-16 to 2021-22, the PDMC was implemented as a component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY). During the year 2022-23, the PDMC is being implemented under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

Under the scheme, government provides financial assistance of 55% for small and marginal farmers and 45% for other farmers for installation of Drip and Sprinkler systems under the PDMC. The assistance for installation of Micro Irrigation systems is limited to 5 hectares for beneficiary.

Since launch of PDMC in 2015-16, Central Assistance of Rs. 19351.23 crore has been released and 82.57 lakh hectare has been covered under Micro Irrigation in the country. For Jharkhand central assistance of Rs. 200.64 crore has been released and an area of 34675 hectare has been covered since launch of the scheme.

Further, as a part of Azadi ka Amrit Mahotsav, the Mission Amrit Sarovar has been launched on 24th April, 2022 with an objective to harvest and conserve water for future generations. Under the Mission, every district of the country has been targeted to construct or rejuvenate at least 75 Amrit Sarovars. Under this Mission, 4160 sites have been identified for Jharkhand. The works have completed on 2088 sites out of 2608 sites on which works have commenced.

(c) The State Government is primarily responsible for providing necessary relief measures in the wake of natural calamities. For undertaking relief measures, funds are available with the State Government in the form of the State Disaster Response Fund (SDRF). Additional financial assistance, over and above SDRF, is considered from the National Disaster Response Fund (NDRF) for natural calamities of severe nature

and is approved on the basis of Memorandum received from the State Government, in accordance with established procedures.

The Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW) provides relief under NDRF to farmers who have lost their crops due to drought, hailstorm, pest attack and cold wave/frost. The financial assistance approved by the Government of India from NDRF to the State Government of Jharkhand in respect of the above said calamities, since 2015-16 is as under:

Financial Year	Calamity	Amount approved by the Government of India (Rs. in crore)
2015-16	Drought (Kharif)	336.94
2018-19	Drought (Kharif)	272.42

श्री दीपक प्रकाश: सर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी और कृषि मंत्रालय का अभिनंदन करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में लगातार

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछें।

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है कि क्या केन्द्र सरकार ने झारखंड में ऐसी कृषि भूमि, जिस पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसकी प्रतिशतता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है, क्योंकि झारखंड में मुख्य रूप से धान की पैदावार की जाती है, जिसके लिए यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, जैसा कि झारखंड और पूरे देश के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी चिंता करते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, मुझे बताते हुए खुशी है कि 2016 में एक स्कीम बनाई गई, जिसके अंदर तीन मंत्रालयों - कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय - के द्वारा योजना बना कर काम प्रारम्भ किया गया, जिसके तहत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस योजना के माध्यम से लगातार उसके अंदर काम हुआ और अलग-अलग मंत्रालयों ने काम किया। जैसे कृषि मंत्रालय के अंदर 'per drop more crop' पर काम किया गया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 'हर खेत में पानी' और 'एआईबीपी' योजना के तहत काम किया गया और वाटरशेड विकास घटक के ऊपर भू-संसाधन विभाग द्वारा काम किया गया। उसी का परिणाम रहा कि पूरे देश के अंदर लगातार ये जो क्षेत्र हैं, उनका क्षेत्रफल भी बढ़ा है। अगर हम इरिगेटेड खेती की बात करते हैं, तो इसके अंदर लगभग 77.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है। इसके अंदर

झारखंड में भी लगातार इसका क्षेत्रफल बढ़ा है। मुझे लगता है कि झारखंड के अंदर भी अभी जो 1.43 लाख हेक्टेयर है, आने वाले समय में बढ़ कर 2.37 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। इसके ऊपर सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

श्री उपसभापति : दूसरा सप्लीमेंटरी।

श्री दीपक प्रकाश : बहुत-बहुत धन्यवाद, सम्मानित मंत्री जी। झारखंड को 2015-16 और 2018-19 में एनडीआरएफ से सहायता दी गई थी। उसके बाद राज्य को सहायता क्यों नहीं मिली है, जबकि राज्य में कई जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिसके चलते झारखंड आज परेशान दिख रहा है?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, जब भी कोई सूखा पड़ता है या किसान पर आपदा आती है, तो उसके लिए एसडीआरएफ फंड का प्रावधान किया हुआ है। सरकार प्रत्येक साल के प्रारम्भ में हर स्टेट को स्टेट डिज़ास्टर फंड के तौर पर फंड उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार से जब उनका वह फंड पूरा हो जाता है और अगर उसके बाद और आवश्यकता होती है, तो स्टेट नेशनल डिज़ास्टर फंड की डिमांड करता है और उसके आधार पर नेशनल डिज़ास्टर फंड के तहत उसको फंड उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि किसान को राहत मिल सके। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर भी समय-समय पर स्टेट डिज़ास्टर फंड दिया गया। उसने अभी तक हमसे नेशनल डिज़ास्टर फंड की कोई डिमांड नहीं की। मुझे आपको यह भी बताना है कि 2015-16 के अंदर नेशनल डिज़ास्टर फंड के तौर पर जो 273 करोड़ रुपए थे, वे अभी बढ़ कर 637 करोड़ रुपए हो चुके हैं। भारत सरकार की ओर से लगातार झारखंड के अंदर भी स्टेट डिज़ास्टर फंड बढ़ाया गया है। झारखंड की राज्य सरकार की ओर से हमारे पास कोई ऐसा प्रपोज़ल प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें उसको नेशनल डिज़ास्टर फंड की आवश्यकता हो। स्टेट डिज़ास्टर फंड की गाइडलाइन है। अगर वह उस गाइडलाइन को फॉलो करती और उसकी आवश्यकता के मापदंडों को पूरा करती, तो उसको तुरंत ही स्टेट डिज़ास्टर फंड उपलब्ध करवा दिया जाता है। झारखंड की सरकार की तरफ से बीच में ऐसा प्रपोज़ल नहीं आया है। उसके जो मापदंड पूरे होने चाहिए थे, वे मापदंड पूरे नहीं किए गए, इसकी वजह से यह स्थिति आई है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। क्वेश्चन नं. 2, डा. सी.एम. रमेश।

Decline in export of pharmaceutical products

*2. DR. C.M. RAMESH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether exports of pharmaceutical products have declined in recent years, if so, the details thereof during the last three years;

(b) the details of pharma companies which have contributed towards pharma exports, during the last two years, company-wise; and

(c) whether Government proposes to explore new markets for exporting pharma products, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) India's exports of pharmaceutical products have been consistently growing in the last few years. Exports have grown from USD 24.44 Bn in 2020-21 to USD 25.39 Bn in 2022-23. Pharma exports during the last three years are as under:

(Values in USD Million)

2020-21	2021-22	2022-23
24,444.03	24,594.27	25,392.99

(Source: DGCIS)

(b) Over 6000 companies contributed towards pharma exports in 2021-22 as well as in 2022-23.

(c) It is the continuous endeavor of Government of India to expand its export presence in the existing markets as well as exploring emerging new markets. Under the Market Access Initiative (MAI), which is an export promotion scheme of GoI, export promotional activities are supported with focus country approach. Some of the activities supported under the MAI scheme include market studies/survey, exhibitions, capacity building, organizing buyer-seller meetings, statutory compliances in the export market and mounting business delegations. There is also a dedicated Export Promotion Council for Pharmaceutical exports to support and expand India's presence in overseas markets.

Further, the potential for generic drug export is increasing with improvement in access to health care and as a result, countries pursue for affordable import sources. Accordingly, the Government consistently and regularly engages with our Indian missions abroad and the potential foreign trade partners through various institutional dialogue and cooperation mechanisms to identify the emerging health care demands in these markets for timely penetration.

DR. C.M. RAMESH: Sir, I have gone through the answer provided by the Minister. I want to ask as to how the PLI Scheme has helped improving the tech capabilities, capacity utilisation and competitiveness in the pharma sector, especially, in MSME Sector.

SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL: Hon. Deputy Chairman, Sir, there are two PLI schemes in the pharma sector which have been introduced by the Government and they have three different objectives. One is to boost the domestic manufacturing capacity in pharmaceuticals and drugs. The other is to reduce our import dependence and third is to encourage product diversification in the pharma sector so that our industry can attain a dominant position in the global landscape.

The first PLI Scheme is aimed at boosting the domestic manufacturing for the KSM, the Key Starting Materials, the APIs as well as the drug intermediates. Regarding this scheme, Sir, 48 projects for 33 bulk drugs have been approved with a total committed investment of Rs. 3,938.57 crores, manufacturing of 22 bulk drugs has already been approved and the production capacity of 89000 plus million tonnes has been committed. So, the manufacturing capacity has been attained.

The second PLI Scheme is for the pharmaceuticals and this is broadly aimed at creating global champions so far as the product diversification is concerned. Here, Sir, there have been 55 selected applicants who have made an investment of Rs. 25,813 crores against the committed investment of Rs. 17,275 crores and that has been the progress of the two PLI Schemes so far. Overall, we have been able to move rightly in the direction of attaining the objectives of these two PLI schemes.

DR. C.M. RAMESH: Sir, I would like to know whether the Government may like to adopt holistic approach that involves collaboration between industry stakeholders, Government and regulatory bodies which can enhance our position as global leaders in pharma sector.

SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL: Sir, any kind of cooperation between Government of India, pharma industries or the other Statutory Government regulatory bodies goes to foster more and more of regulatory compliance and convergences. In this regard, Sir, the CDSCO coordinates the activities of the State Drug Control Organisations and provides expert advices through statutory bodies like the Drugs Consultative Committee along with the Drugs Technical Advisory Board. The Drugs Technical Advisory Board is also a multi-stakeholder body which includes experts from the pharmaceutical industry. Moreover, Sir, a two-day 'Chintan Shivir' was

organised last year in the month of February on 'Drugs: Quality regulation and Enforcement'. This was primarily aimed at reviewing the implementation and processes of the policies and programme and, in this event, State Government regulators, the representatives from the State Governments, from the industry, they deliberated at large on the transparency and compliance of the Indian drug standards, the regulatory capacities across States and Centre, the global best practices, also the introduction of newer interventions like digital tools, clinical trial standards, etc., to create a multi-stakeholder approach for the benefit of the common citizens.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, I would like to ask what actions have been taken to recoup the reputation of Indian pharmaceuticals that went for a six in Africa and in Central Asia, after several deaths took place because of exports of faulty medicines and pharmaceuticals products.

SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL: Sir, it is important to record first that the Indian pharmaceutical industry enjoys a very good reputation in the global landscape. India is popularly known as the pharmacy of the world. In terms of volume, we are the third largest in the world and in terms of value we are the fourteenth largest, currently valued at 55 billion dollars and aim to reach 130 billion dollars by 2030. So, we enjoy a very good reputation and, especially during the Covid-19 pandemic, our industry, despite the nation-wide lockdown, was able to maintain a steady supply of Covid vaccines and other Covid-related medicines to more than 100 countries across the world under India's very, very unique *Vaccine Maitri* initiative. Our exports have also been consistently growing in the past one decade. However, I would agree with the hon. Members that even if there are some isolated cases of sub-standard products, then, we need to take some proactive measures and that Government of India is committed to it. The issue actually pertains to the Ministry of Health and the Ministry of Health has, along with the CDSCO, taken appropriate measures. They have looked into the specific issues also which they have quoted. It is under active examination but broadly, Government of India is committed to ensuring the safety and quality of medicines and I repeat that the brand image of the India pharma industry remains intact which is evident from the fact that our exports are consistently growing. Between April to December, 2023 our growth rate has been 8.19 per cent.

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: First of all, I would like to congratulate the hon. Prime Minister and the Government for the market access initiatives through which

several export promotion initiatives have been taken for the export of pharmaceuticals.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: My question is about the remission of duties and taxes on export products, the RoDTEP scheme. The pharmaceutical products are not included, as per my knowledge, in the list of eligible products for the RoDTEP scheme. I would like to know from the hon. Minister what is the actual position on this and whether pharmaceutical products also will be considered for the benefits under the RoDTEP Scheme.

SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL: Sir, we keep reviewing the products which are to be remitted under the RoDTEP scheme. I will collect the necessary details and will inform the hon. Member.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: I would like to ask the hon. Minister, what is the Ministry doing in respect of exploring new markets, especially in manufacturing? I want to congratulate you for you have allowed manufacturing of medicines which have rare genetic disorder.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: What is the Ministry looking at? How is it looking at these opportunities?

SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL: It is the constant endeavour of our Ministry to not just expand our export presence in the existing markets, but also keep exploring the new emerging markets and, which is why, today the Indian pharma industry has its presence in over 200 destinations. We are trying to make use of our market access initiative particularly, which has a focus-country approach and we are making inroads into the Latin American and Caribbean Region, the Asia-Pacific region. Right now, we are focusing on certain specific countries under the Latin American region which is Argentina, Brazil and Chile and also in the Africa, in South Africa, in Nigeria, in Kenya. So, we are making these initiatives under the MAI Scheme. Apart from that, we have a dedicated EPC, the Pharmexcil which also makes effort to make inroads into the markets which have an untapped potential and, lately, we have

concluded the very important Free Trade Agreements, the CEPA with UAE and the ECTA with Australia. Those are also opportunities available to our exporters in the pharma industry to explore these newer markets and, on the other FTAs which we are negotiating, once concluded, will also provide better access to our exporters in the pharma sector.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q.No.3

Railway infrastructure in Tamil Nadu

*3. SHRI R. GIRIRAJAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether income through Southern Railway is being pooled back to Railway projects in Tamil Nadu and if so, the details thereof;
(b) whether Government plans for construction of new Road Over Bridges (ROB), Rail Under-Bridges (RUB), Foot Over Bridges (FOB), Escalators and other infrastructure facilities like installation of CCTVs and Digital Rail Information displays, Multi-level Parking facilities in Tamil Nadu and if so, details thereof and the total amount allocated and disbursed for the same;
(c) whether Government has identified railway infrastructure needs of Tamil Nadu, and if so details thereof, Railway Division-wise; and
(d) the total funds earmarked for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI DANVE RAOSAHEB DADARAO): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In 2022-23, total revenue generated by Southern Railway (SR) was ₹9,966.69 cr. against expenditure of ₹15,345.69 cr., implying thereby that Ministry of Railways has supported SR's additional expenditure over its revenue by ₹5,379 cr. Additionally, SR's net Capital expenditure in 2022-23 from Gross Budgetary Support etc. for creation of assets like New lines, Doubling, Electrification, Station Development, Customer Amenities and other developmental works was ₹7,526.84 cr.

(b) to (d) Railway Infrastructure Projects are taken up on the basis of remunerativeness, last mile connectivity, missing links and alternate routes,

augmentation of congested/saturated lines, socio-economic considerations etc. depending upon liabilities of ongoing projects, overall availability of funds and competing demands. Sanction of Railway infrastructure projects in areas which are not connected by Railway network including coal connectivity projects is a continuous and ongoing process of Indian Railways. The Railway Infrastructure projects are sanctioned Zonal Railway wise and not State wise/UT wise as the Railways' projects may span across various state boundaries.

Budget allocation for Infrastructure and safety works, falling fully/partly in the State of Tamil Nadu has been increased to ₹6,080 crore this year which is nearly seven times of the average budget allocation of ₹879 crore from 2009-14.

Tamil Nadu state is covered by Southern Railway (SR), South Central Railway (SCR) and South Western Railway (SWR). As on 01.04.23, 23 projects (09 new line, 03 Gauge conversion and 11 doubling) of total length of 2,848 Km and costing ₹35,580 crore falling fully/partly in the State of Tamil Nadu are at planning/approval/construction stage. These include:-

I. 9 New Line projects covering total length of 871 km at a cost of ₹14,682 crore.
II. 3 Gauge Conversion projects covering total length of 748 km at a cost of ₹5,224crore
III. 11 Doubling projects covering total length of 1,229 km at a cost of ₹15,674 crore.

Though fund allocation has increased manifold but pace of execution of project is dependent on expeditious land acquisition. Railway acquires the land through State Government. State Government assesses the compensation amount and advises to Railway. On receipt of demand from State Government, Railway deposits compensation amount with concerned District Land Acquisition Authority. Execution of important infrastructure projects falling fully/partly in the State of Tamil Nadu is held up due to delay in land acquisition and only about 624 Ha land has been acquired out of total requirement of about 1832 Ha. Railway had initiated efforts for acquisition of land but could not succeed in acquiring land for projects.

Augmentation of Passenger Amenities at Railway stations is a continuous process. Ministry of Railways has launched 'Amrit Bharat Station scheme' for development of Stations on Indian Railways. So far, 1318 number of railway stations including 77 railway stations in the State of Tamil Nadu have been identified for development/redevelopment under this scheme.

This scheme envisages development of stations on a continuous basis with a long term approach. It involves preparation of Master Plans and their implementation

in phases to improve the amenities at the stations like improvement of station access, circulating areas, waiting halls, toilets, lift/escalators as necessary, cleanliness, free Wi-Fi, kiosks for local products through schemes like 'One Station One Product', better passenger information systems, executive lounges, nominated spaces for business meetings, landscaping etc. keeping in view the necessity at each such station.

The scheme also envisages improvement of building, integrating the station with both sides of the city, multimodal integration, amenities for Divyangjans, sustainable and environment friendly solutions, provision of ballast less tracks, 'Roof Plazas' as per necessity, phasing and feasibility and creation of city centres at the station in the long term. In addition to the above, since 01.04.2014 (till December 2023), 542 Road Under Bridges (RUBs) and 134 Road Over Bridges (ROBs) have been completed in Tamil Nadu. Further, a total of 129 ROBs and 100 RUBs are under planning/execution stage.

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, I thank the hon. Minister for his reply.

Sir, the budgeted allocation for the Southern Railway, particularly for railway projects and passenger amenities in Tamil Nadu is very much wanting for more than ten years. In his reply, the hon. Minister himself has confirmed that the Railways sanctioned an amount of Rs. 879 crores between 2009 and 2014.

So, I would like to know from the hon. Minister the amount allocated to railway projects in Tamil Nadu from 2014 to 2022, income generated through passengers, freight traffic and other source during the last ten years i.e., since 2014, steps to be taken by the Government to complete several railway projects in Tamil Nadu pending since 2008 and the list of projects, actually, pending.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, be brief in your supplementary.

SHRI R. GIRIRAJAN: I would like to know the exact status of long-pending railway projects from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Be brief in your question. I expect reply will also be brief.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, रेल परियोजनाएँ राज्यवार नहीं ज़ोनवार होती हैं। तमिलनाडु राज्य दक्षिण, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पश्चिम, इन तीन ज़ोन्स को कवर करता है। ये परियोजनाएँ केवल तमिलनाडु के लिए नहीं हैं, बल्कि ये ज़ोनवार चलती हैं, लेकिन

तमिलनाडु में अभी काफी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स स्थापित किए जा रहे हैं। वहाँ पर ढांचागत परियोजनाओं और संरक्षा के लिए वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक औसतन 879 करोड़ प्रति वर्ष बजट दिया गया था, लेकिन अब वर्ष 2023-24 में वर्ष 2009-14 से लगभग सात गुना ज्यादा, यानी 6,080 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। यानी, वर्ष 2009-14 में तमिलनाडु का जो बजट औसतन 879 करोड़ प्रति वर्ष का था, वह आज वर्ष 2023-24 में 6,080 करोड़ रुपये का हो गया है। वहाँ पर अभी जो परियोजनाएँ चल रही हैं, उनमें नौ परियोजनाएँ नई लाइंस की हैं, ग्यारह दोहरीकरण और तीन गेज परिवर्तन के लिए चल रही हैं। महोदय, वहाँ जो नई लाइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कुल लम्बाई 871 किलोमीटर्स की है और उनकी लागत 14,682 करोड़ रुपये की है। इसी तरह, तमिलनाडु में अभी रेलवे लाइंस का गेज परिवर्तन 748 किलोमीटर्स और दोहरीकरण 1,229 किलोमीटर्स का चल रहा है।

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, under Amrit Bharat Station Scheme, Southern Railway plans to complete upgradation of 90 railway stations this year and 15 stations in Chennai region. There is an urgent need for fourth terminal in Chennai. There is a plenty of vacant land belonging to Railways available around Perambur where the ICF is located. Sir, my supplementary to the hon. Minister is whether the Railways would come forward to utilize available vacant land belonging to Railways around Perambur to establish a much needed fourth railway terminal in Chennai to avoid congestion at Chennai Central and Chennai Egmore. Thank you.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, रेल विभाग की दृष्टि से तमिलनाडु एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। वहाँ लगभग 77 स्टेशंस 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' के अतंर्गत लिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो खाली पड़ी जमीनें हैं, उनका उपयोग हो रहा है। क्षमता की दृष्टि से आज सबसे बड़ी coach factory ICF पेरम्बुर, तमिलनाडु में है, जहां वर्ष 1955 में उत्पादन शुरू हुआ था , जब वहाँ 1,000 से भी कम डिब्बे प्रति वर्ष बनते थे। वर्ष 2019-20 में हमने वहाँ की ICF में 4,166 डिब्बे बनाए, वर्ष 2022-2023 में 2,702 बनाए और वर्ष 2023-24 में 3,241 डिब्बे बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितनी जगह है, उसका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister the present status of the long-pending railway project for laying new railway line between Jolarpettai and Bengaluru *via* Krishnagiri and Hosur. The Ministry of Defence has declared Hosur and Krishnagiri as 'defence corridor'. Therefore, this line is very, very important. Discussion on this line has been going on for thirty-five years. What is the present position of connecting this line?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, वहां 4 परियोजनाएं चल रही हैं। मदुरई-बोडिनायक्कनूर, रामेश्वरम-धनुषकोडी परियोजना, तिंडीवनम-जिंजी-तिरुवन्नामलई, मोरापुर धर्मापुरी रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन मदुरई-वेडासंदूर कमीशन हो गया है और उसकी लागत 593 करोड़ रुपये है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him reply. ...*(Interruptions)*...

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: महोदय, तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम धनुषकोडी परियोजना हटाने का आग्रह किया है।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, डा. मु. तंबी दुरै जी जिस प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आपके पास अभी उत्तर न हो तो आप बाद में भी बता सकते हैं। Dr. John Brittas, you have a question. Please go to your seat. ...*(Interruptions)*... Next, Dr. Fauzia Khan.

डा. फौजिया खान: सर, मैं महिला होने के नाते माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जब हम रेल प्रवास करते हैं, तो टॉयलेट्स की बहुत तकलीफ होती है। ट्रेन्स में इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं कि जो most modern toilets हैं, वे भी पूरे फुल हो कर खराब हो जाते हैं। महिलाओं को ट्रेन्स में अच्छे और साफ-सुथरे टॉयलेट्स मिलें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
ڈاکٹر فوزیہ خان[†]: سر میں مہیلا ہونے ے ناتے مانیئے منتری جی سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ریل پرواس کرتے ہیں، تو ٹائلیٹ کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹرینس میں اتنے گندے ٹائلیٹس ہوتے ہیں کہ جو most modern toilets ہیں، وہ بھی پورے فل ہوکر خراب ہوجاتے ہیں۔ مہیلاؤں کو ٹرینس میں اچھے اور صاف ستھرے ٹائلیٹس ملیں، اس کے لیے ہم کیا کرسکتے ہیں؟

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: आदरणीय उपसभापति महोदय, रेल में जो टॉयलेट्स बनाए हैं, उनको साफ-सुथरा रखने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है, तो मैं उसको दूर करूंगा।

DR. JOHN BRITTAS: Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister has spoken about the investment that is being done in the Southern Railway. As you would appreciate, Kerala is also a part of the Southern Railway. And, Vande Bharat trains, which are plying in Kerala have the highest occupancy rate in the country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: It has justified the demand for a semi-high-speed railway because of the enhanced demand. So, in this context, I would specifically ask the

† Transliteration in Urdu script.

hon. Minister whether he will consider the K-Rail Project, submitted by the Kerala Government to the Railway Minister.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: आदरणीय उपसभापति महोदय, अपने देश में अभी वंदे भारत ट्रेन्स शुरू की गई हैं, हर ज़ोन में उसकी मांग बढ़ती जा रही है। आज हम 41 ट्रेन्स चला रहे हैं और जैसे-जैसे ट्रेन्स की उपलब्धता होगी, वैसे-वैसे हम देंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are other methods also ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्य का जो सवाल है, माननीय मंत्री जी, आप उसका उत्तर पता करके माननीय सदस्य को बुलाकर उन्हें बता दें।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या-4, श्री ईरण्ण कडाडी

Establishment of post offices for implementation of communication systems

*4. SHRI IRANNA KADADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of post offices across the country, along with the total number of savings accounts in these post offices and the facilities provided to the account holders;
(b) whether post offices have been established in all the major villages in the country to ensure the smooth implementation of communication systems;
(c) if so, the details thereof;
(d) whether all post offices in the country have been equipped with modern technology; and
(e) if so, the specifics of these modernisation efforts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Postal Circle-wise details (including States and Union Territories) of the number of Post offices along with the total number of savings accounts as on 31.03.2023 are given at Annexure-I.

The savings account holders have the facility of availing the Automated Teller Machine (ATM), Issuance of Cheque book, Internet Banking, Mobile Banking, various types of SMS alerts, e-Passbook for viewing the balance and account statement, Funds transfer from bank accounts to post office accounts and vice versa through National Electronic Fund Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS), Electronic Clearing Services (ECS) facility for crediting the interest and maturity amount in bank accounts, Interactive Voice Response System (IVRS) facility under Core Banking System (CBS).

(b) & (c) There are 1,49,478 post offices (including Head Post Offices, Sub-Post Offices and Branch Post Offices) in rural areas of the country. These post offices provide access to postal facilities and other services to ensure smooth implementation of communication systems. Postal Circle-wise details (including States and Union Territories) of number of post offices in rural areas in the country as on 31.03.2023 are given in Annexure-II.

(d) & (e) All Departmental Post Offices in the country have been computerized and networked under the Information Technology (IT) Modernization Project. Branch post offices functioning in rural areas of the country have been provided with mobile devices for carrying out online postal, financial and insurance transactions.

Annexure-I

Data as on 31.03.2023

Sl No.	Name of the Postal Circle	Total Number of Post Offices (Head Post Offices, Sub-Post Offices, Branch Post Offices)	Total number of Savings Accounts
1	Andhra Pradesh	10668	4420563
2	Assam	4062	1851107
3	Bihar	9342	3356810
4	Chhattisgarh	4468	956480
5	Delhi	509	1047885
6	Gujarat (including Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu)	8887	4151730
7	Haryana	2699	1647645

8	Himachal Pradesh	2807	2262886
9	Jammu and Kashmir (including Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh)	1735	555628
10	Jharkhand	4580	1233100
11	Karnataka	9658	7811891
12	Kerala (including Union Territory of Lakshadweep)	5063	2937250
13	Madhya Pradesh	10271	2289463
14	Maharashtra (including Goa)	14032	5593422
15	North-East (including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Nagaland)	4478	662152
16	Odisha	8907	3272252
17	Punjab (including Union Territory of Chandigarh)	3842	1830135
18	Rajasthan	11047	2270573
19	Tamil Nadu (including Union Territory of Puducherry)	11866	7233125
20	Telangana	6267	3801964
21	Uttar Pradesh	17953	6498134
22	Uttarakhand	2736	1434021
23	West Bengal (including Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands)	9095	8106264
	Total	164972	75224480

Annexure-II

Data as on 31.03.2023

Sl No.	**Name of the Postal Circle**	**Total Number of Rural Post Offices**
1	Andhra Pradesh	9928
2	Assam	3762

3	Bihar	8889
4	Chhattisgarh	4171
5	Delhi	80
6	Gujarat (including Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu)	8141
7	Haryana	2335
8	Himachal Pradesh	2684
9	Jammu and Kashmir (including Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh)	1534
10	Jharkhand	4321
11	Karnataka	8607
12	Kerala (including Union Territory of Lakshadweep)	4163
13	Madhya Pradesh	9466
14	Maharashtra (including Goa)	12731
15	North-East (including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Nagaland)	4217
16	Odisha	8309
17	Punjab (including Union Territory of Chandigarh)	3420
18	Rajasthan	10397
19	Tamil Nadu (including Union Territory of Puducherry)	10274
20	Telangana	5724
21	Uttar Pradesh	16055
22	Uttarakhand	2440
23	West Bengal (including Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands)	7830
	Total	149478

श्री ईरण्ण कडाडी : माननीय उपसभापति महोदय, पोस्ट ऑफिस और डाक सेवाओं के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण डाक सेवकों की होती है। ग्रामीण डाक सेवकों की बहुत वर्ष से मांग है कि उन्हें विभाग द्वारा दिए जा रहे लाभ जैसे एचआरए, टीए, डीए, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि दी जाए, जिसकी सिफारिश वर्ष 2015 में कमलेशचंद्र द्वारा की गई थी। मेरा मंत्री

जी से प्रश्न है कि सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री देवुसिंह चौहान: उपसभापति महोदय, ग्रामीण डाक सेवक हमारे विभाग के अति महत्वपूर्ण भाग हैं। एक Government employee को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे कई बेनिफिट्स हम ग्रामीण डाक सेवकों को देते हैं। हालांकि उनके duty hours 4 to 5 hours रहते हैं और ये 4 to 5 hours में भी करीब-करीब 10 हजार से लेकर 35 हजार तक के भत्ते DA, GDS में Government employees को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे gratuity, group insurance, service discharge benefits, एक तरीके से जो new benefits, वे सारे बेनिफिट्स हम डाक सेवकों को देते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Iranna Kadadi.

श्री ईरण्ण कडाडी : मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में कितने निष्क्रिय खाते और अदावित राशि है? क्या सरकार इन निष्क्रिय खातों में जमा राशि का प्रयोग ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण हेतु करेगी?

श्री देवुसिंह चौहान : उपसभापति महोदय, वर्तमान में जो unclaimed amount है, वह करीब 25,480 करोड़ रुपये के आस-पास है। जो unclaimed amount हैं, उसको verify करके उसके परिवार में जो लोग हैं, उनको identify करते हैं। मैं आपको मार्च और दिसम्बर, 2023 की फिगर देता हूं। Unclaimed amount - हमने मार्च, 2023 तक 21 लाख अकाउंट्स में 1,240 करोड़ रुपये के आस-पास उनको वापिस किया है। दिसम्बर, 2023 तक 33.35 लाख अकाउंट्स में 1,319.67 करोड़ रुपये जो unclaimed account holders हैं, उनका वैरिफिकेशन करने के बाद हमने उनको वापिस दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदय, पूरे देश में पोस्ट ऑफिस में लगभग साढ़े सात करोड़ अकाउंट्स हैं। इन साढ़े सात करोड़ अकाउंट्स में कितनी राशि जमा है?

श्री देवुसिंह चौहान : महोदय, हमारे यहां टोटल 1,64,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस में जो कुल अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में अभी तक अलग-अलग स्कीम्स में चाहे वे IPPB के अकाउंट्स हैं, उनमें आठ करोड़ से अधिक अकाउंट्स हैं। उसके बारे में मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि 47 per cent women's accounts हैं। मैं आपको केवल IPPB के बारे में बताता हूं। उसमें 30,181 करोड़ रुपये राशि के AePS transaction किये गये हैं। यह केवल IPPB account की बात कर रहा हूं। जो पोस्टल अकाउंट्स हैं, उनमें लगभग 18 लाख करोड़ डिपॉजिट है।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, today, post offices in our country are providing not just postal services but also many additional services like passport *sewa*, banking facilities and other citizen-centric services. Sir, I would like to know from the hon. Minister

whether there has been any impact assessment study done to measure the economic impact, particularly, the economic impact of these new services in the post offices and the adjoining areas in the rural India.

श्री देवुसिंह चौहान : उपसभापति महोदय, आज पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं largest postal network है, तो वह भारत में है। आज हमारे देश में 1,49,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस रूरल एरियाज़ में हैं और करीब 15,000 से अधिक urban में हैं। यह पोस्टल नेटवर्क सबसे trustworthy network है। पहले डाकिया केवल डाक लाने का काम करता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में यह डाकिया अब डिजिटल डाकिया हो गया है। यह डाकिया अब केवल मेल और पार्सल नहीं देता है, बल्कि आज वह बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है, जो बेनिफिशियरी सिटीजन्स हैं, उनका जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन रूरल में होता है, चाहे वह woman का हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए किसान का हो या कोई भी भारत सरकार की सोशल सर्विस की स्कीम हो, वह सारा ट्रांजैक्शन rural-end पर, डोर स्टेप पर देता है, अगर भारत सरकार का कोई विभाग सर्विस देता है, तो हमारा पोस्टल विभाग देता है। आज पोस्टल डिपार्टमेंट मॉर्डन टेक्नोलाजी को स्वीकार करके 'Minimum Government Maximum Governance', जिसको हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं, वह सारी सर्विसेज़ देता है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्रीमती सीमा द्विवेदी : संचार प्रणालियों के कार्यान्वयन में ...

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए। आपका सवाल क्या है?

श्रीमती सीमा द्विवेदी : महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डाकघरों की संख्या 16,055 है। क्या ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाने के लिए इन डाकघरों की संख्या को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री देवुसिंह चौहान: उपसभापति महोदय, हाल ही में हमारी सरकार ने brick and mortar के बेस पर हर पांच किलोमीटर्स पर – जैसे हिली एरिया है, डैज़र्ट एरिया है या जो फॉरेस्ट एरिया इत्यादि है, वहां पर हमने नॉर्म्स में रिलैक्स देने के बाद every citizen को टच करने के लिए every five kilometre पर नया पोस्ट ऑफिस खोला है। अगर उत्तर प्रदेश में भी पोस्ट ऑफिस की आवश्यकता होगी तो हम खोल देंगे। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले की कांग्रेस की सरकार के समय में करीब 634 पोस्ट ऑफिस बंद हो गए थे। अभी-अभी हमने 5,746 नये पोस्ट

ऑफिस खोले हैं। इसके अलावा और नये लगभग 5,000 पोस्ट ऑफिस LWE प्रभावित क्षेत्र में भी खोले हैं। दस हजार नये पोस्ट ऑफिस खोलने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में भी कहीं पर पोस्ट ऑफिस खोलने की आवश्यकता होगी, तो हम जरूर खोलेंगे। हम हर सिटीजन तक पहुंचना चाहते हैं और traditionally बैंक जहां पर नहीं जाता है, क्योंकि वह unsustainability के कारण नहीं जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विस देने के लिए तैयार है, जो भी unbank areas हैं, उन सारे unbank areas को हम कवर करेंगे।

श्री उपसभापति : क्वेश्चन नम्बर पांच। श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी।

Installation of Kavach safety system

*5. SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government has achieved its target of installing 637 km railways lines with Kavach safety system till October 31, 2023 and the details of new lines commissioned with Kavach system in 2023;

(b) the total number of railways accidents in the last three years; and

(c) whether derailments due to improper maintenance are a major cause of railway accidents, if so, the steps taken by Government to fully mechanize track maintenance activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI DANVE RAOSAHEB DADARAO): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Presently, Kavach has so far been deployed on 1465 Route Km and 139 Locomotives including (Electric Multiple Unit rakes) on South Central Railway. Kavach tenders have been awarded for Delhi-Mumbai and Delhi-Howrah corridors (approximately 3000 Route Km) and work is in progress on these routes. The progress of main items related to Kavach is as under:

(i) Laying of Optical Fibre Cable : 3040 Km

(ii) Installation of Telecom Towers : 269 Nos.

(iii) Provision of equipment at Stations : 186 Nos.

(iv) Provision of equipment in Loco : 170 Locos

(v) Installation of Track side equipments : 827 Route Km.

(b) During the last 03 years i.e. from 2020-21 to 2022-23, total 105 consequential train accidents took place over Indian Railways. There has been a significant improvement in the safety performance of Indian Railways over the years, as shown below.

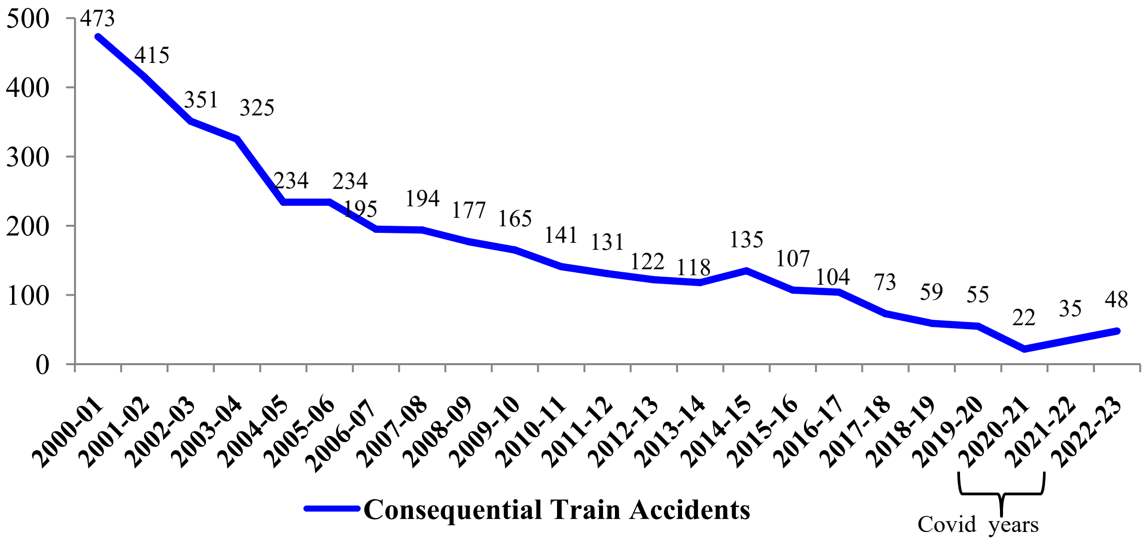

(c) The major causes of Consequential Train Accidents broadly include asset failure, environmental factors, human errors etc. Indian Railway have taken a number of steps to enhance the level of safety, some of which are given below:

1. Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK) has been introduced in 2017-18 for Replacement/renewal/upgradation of critical safety assets, with a corpus of Rs. 1 lakh crore for five years. From 2017-18 till 2021-22 a Gross expenditure of Rs. 1.08 lakh crore was incurred on RRSK works. In 2022-23, the Government extended the currency of RRSK for another period of five years with Gross Budgetary Support (GBS) of Rs. 45,000 crores.
2. Modern track structure consisting of 60kg, 90 Ultimate Tensile Strength (UTS) rails, Pre-stressed Concrete Sleeper (PSC) Normal/Wide base sleepers with elastic fastening, fanshaped layout turnout on PSC sleepers, Steel Channel/H-beam Sleepers on girder bridges is used while carrying out primary track renewals.
3. Mechanisation of track laying activity through use of track machines like PQRS, TRT, T-28 etc to reduce human errors.
4. Maximizing supply of 130m/260m long rail panels for increasing progress of rail renewal and avoiding welding of joints, thereby ensuring safety.

5. Laying of longer rails, minimizing the use of Alumino Thermic Welding and adoption of better welding technology for rails i.e. Flash Butt Welding.
6. Monitoring of track geometry by OMS (Oscillation Monitoring System) and TRC (Track Recording Cars).
7. Patrolling of railway tracks to look out for weld/rail fractures.
8. The use of Thick Web Switches and Weldable Cast Manganese Steel (CMS) Crossing in turnout renewal works.
9. Inspections at regular intervals are carried out to monitor and educate staff for observance of safe practices.
10. Web based online monitoring system of track assets viz. Track database and decision support system has been adopted to decide rationalized maintenance requirement and optimize inputs.
11. Detailed instructions on issues related with safety of Track e.g. integrated block, corridor block, worksite safety, monsoon precautions etc. have been issued.
12. Preventive maintenance of railway assets (Coaches & Wagons) is undertaken to ensure safe train operations and to keep a check on Rail Accidents across the country.
13. Replacement of conventional Integral Coach Factory (ICF) design coaches with Linke Hofmann Busch (LHB) design coaches is being done.
14. All unmanned level crossings (UMLCs) on Broad Gauge (BG) route have been eliminated by January 2019.
15. Safety of Railway Bridges is ensured through regular inspection of Bridges. The requirement of repair/rehabilitation of Bridges is taken up based upon the conditions assessed during these inspections.
16. Indian Railways has displayed Statutory "Fire Notices" for widespread passenger information in all coaches. Fire posters are provided in every coach so as to inform and alert passengers regarding various Do's and Don'ts to prevent fire. These include messages regarding not carrying any inflammable material, explosives, prohibition of smoking inside the coaches, penalties etc.
17. Production Units are providing Fire detection and suppression system in newly manufactured Power Cars and Pantry Cars and Fire and Smoke detection system in newly manufactured coaches. Progressive fitment of the same in existing coaches is also underway by Zonal Railways in a phased manner.
18. Electrical/Electronic Interlocking Systems with centralized operation of points and signals have been provided at 6521 stations upto 31.12.2023.
19. Interlocking of Level Crossing (LC) Gates has been provided at 11143 level Crossing Gates upto 31.12.2023.

20. Complete Track Circuiting of stations to enhance safety for verification of track occupancy by electrical means has been provided at 6558 stations upto 31.12.2023.
21. Locomotives are equipped with Vigilance Control Devices (VCD) to ensure alertness of Loco Pilots.
22. Retro-reflective sigma boards are provided on the mast which is located between two OHE masts prior to the signals in electrified territories to warn the crew about the signal ahead when visibility is low due to foggy weather.
23. A Global Positioning System (GPS) based Fog Safety Device (FSD) is provided to loco pilots in fog affected areas which enables loco pilots to know the distance of the approaching landmarks like signals, level crossing gates etc.
24. Concept of Rolling Block introduced in Indian Railways (Open Lines) General Rules vide Gazette notification dtd. 30.11.2023, wherein work of maintenance/repair/replacement is planned in advance on rolling basis and executed as per plan.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, I would like to ask the hon. Minister whether it is a fact that between 2017 and 2021, 217 consequential accidents and 1,800 other accidents took place and that derailments were the cause of majority of the accidents. If so, the details and the actions taken thereof.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : उपसभापति महोदय, पिछले तीन वर्ष के दौरान जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, भारतीय रेल विभाग निरंतर रेल दुर्घटनाएं रोकने का प्रयत्न करता है। महोदय, 2020-21 से 2022-2023 के बीच में कुल 105 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। रेल दुर्घटना होने का कोई एक कारण नहीं होता है। रेल ट्रैक में खराबी, रेल इंजन में खराबी, इक्विपमेंट में खराबी आदि दुर्घटना के कारण होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोहरा होता है, उस समय दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। अभी जो उन्होंने आंकड़े बताये हैं - लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2001-2002 में 415, 2011-2012 में 131 और 2012-2013 में 122 एक्सीडेंट्स हुए हैं। वर्ष 2016-17 में 104, 2017-18 में 73, 2018-19 में 59 और 2019-20 में केवल 55 एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में 35 और 2022-23 में 48 एक्सीडेंट्स हुए हैं।

श्री उपसभापति : सेकंड सप्लीमेंटरी।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, last year, the Railways spent Rs. 15,378 crores on its budget; Rs. 65,000 crore were spent from Government's budgetary support and Rs. 40,000 crores from internal revenue. My question is: how much money

has been spent on the warning system, that is, the *kavach* system, and how much has been spent on track upgradation?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : उपसभापति जी, कवच एक नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और आज की तारीख में 1,465 किलोमीटर दक्षिण मध्य रेल पर कवच लग चुका है। लगभग 3,000 किलोमीटर, जो अभी दिया गया है, उसका काम अभी दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर चल रहा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, दूरसंचार टॉवर्स की स्थापना करना, स्टेशन्स पर उपकरणों का प्रावधान करना, लोकों में उपकरणों का प्रावधान और ट्रैक साइड उपकरणों की स्थापना के काम अभी चल रहे हैं।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, how much money has been spent?

श्री उपसभापति : माननीय राकेश सिन्हा जी, आप बोलिए।

श्री राकेश सिन्हा : माननीय उपसभापति जी ,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मिलेट्स, श्री अन्न की बात यूनाइटेड नेशन्स में रखी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकृति मिली है, तब से मिलेट्स का उत्पादन और उपभोग दोनों बढ़ा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे प्लैटफॉर्म पर जंक फूड्स को विस्थापित करके मिलेट्स, यानी श्री अन्न को प्रमोट करने का कोई कार्यक्रम रेल मंत्रालय के पास है और रेल में भी जो भोजन दिया जा रहा है, क्या उसमें मिलेट्स को देने का प्रावधान कर रहे हैं?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया है। माननीय सदस्य की जो सूचना और प्रश्न है, मैं उनसे मिलकर इसके बारे में चर्चा करूंगा।

SHRI NIRANJAN BISHI: Sir, a coach washing plant at Kantabanji and a railway underbridge have been sanctioned by the East Coast Railways in the last two years, but work has not started yet. So, I would like to know from the hon. Minister when the work would be started.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : माननीय उपसभापति जी, यह प्रश्न कवच के बारे में पूछा गया है, लेकिन माननीय सदस्य को जो जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं उन्हें समय दूंगा और चर्चा भी करूंगा।

SHRI A.A. RAHIM: Sir, every life is precious. In the past few years, many lives have been lost on the tracks, including that of track-men and track-women. About 361 workers died on railway tracks in the last five years. My question is this. In how many railway divisions, has the *rakshak* device been fully implemented?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : माननीय उपसभापति जी, जो मृत्यु हुई हैं, मैंने आपको उनके आंकड़े बता दिए हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके आंकड़े आज की तारीख में मेरे पास नहीं हैं, मैं उन्हें बाद में सभा पटल पर रख दूंगा।

SHRI A.A. RAHIM: Sir, my question was about the *rakshak* device.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q. No. 6; Dr. Amar Patnaik.

Greenhouse gas emission by cement industry

*6. DR. AMAR PATNAIK: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the data regarding the current greenhouse gas emissions from the cement industry, broken down by individual companies, production unit-wise;

(b) whether Government is planning to allocate funds or incentives to support the cement sector in transitioning towards a lower carbon footprint, if so, the proposed budget and mechanism; and

(c) whether Government has taken measures to promote the utilization of alternate materials and waste streams in the cement industry, the contribution to emission reduction in terms of percentage?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The data pertaining to current greenhouse gas emission from cement industry broken down by individual companies is not maintained centrally.

(b) The Government has not earmarked any budget specifically to support the cement sector in transitioning towards a lower carbon footprint. However, multiple initiatives have been undertaken by the Government to encourage and promote environment consciousness, research and responsibility in the cement industry.

The Government constitutes the Development Council for Cement Industry (DCCI) under which partial funding is provided to research projects of National Council for Cement and Building Materials (NCCBM), which conducts research in areas such as reduction in carbon footprint, reduction in thermal energy consumption, increase in utilization of alternate fuels and raw materials and utilization of renewable energy in Indian cement plants.

The NCCBM has also instituted the National Awards in Indian Cement Industry which includes categories, such as, Energy Excellence, Environment Excellence, Achieving Circular Economy and Total Quality Excellence.

Further, the Ministry of Power has notified India's Carbon Credit Trading Scheme, 2023 under the Energy Conservation Act, 2001 for setting up of the Indian Carbon Market (ICM) to enable the cement industry to adopt low-cost options by attracting technology and finance towards sustainable projects that generate carbon credits.

(c) The Government has taken several measures to promote the utilization of alternate materials and waste streams in the cement industry.

The Central Pollution Control Board has brought out guidelines to facilitate State Pollution Control Board (SPCBs)/Pollution Control Committees (PCCs) to grant authorization for utilization of different kinds of wastes, including Hazardous and other wastes, without carrying out trial runs. Further, the Bureau of Indian Standards has formulated standards to enable the Indian Cement Industry to utilize various industrial wastes/by-products viz. Flyash based Portland Pozzolana Cement (PPC) and slag-based Portland Slag Cement (PSC).

In terms of percentage, the usage of waste derived alternative fuels in cement industry has increased to 7% in 2023 from 0.6% in 2010.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, greenhouse gas emissions are at the core of the discourse on adverse climate effects. In the reply, the Ministry has said that they are monitoring industry-wise, or even company-wise, any data on greenhouse emissions made by each of the industries. Can I make a suggestion to the hon. Minister, since the Minister is here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, put your question.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, the question is the suggestion.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

It is by way of a suggestion that you could have a portal, just like the Ministry of Corporate Affairs has a CSR portal, where companies upload whatever is the greenhouse emission made by them, which is available to public and other industry competitors, so that a fair amount of environment ecosystem is developed for controlling greenhouse emissions company-wise, because that is what is ultimately going to matter.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, 'the Government should not be interfering in every aspect of every industry' is a principle that we uphold because making such data in the public domain could also harm the interest of India's export competitiveness or export performance. Therefore, individual company-wise data is not something that the Government would like to interfere in. However, this is one Government which has always been very conscious of our global responsibility and it has been part of the solution across the world. Ever since Paris Agreement in 2015 at COP21, India, led by Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been at the forefront of forging consensus and ensuring that the world wakes up to this climate crisis. We are, in fact, very proud that India, as a nation, is one of the few countries which regularly submits our biannual UNFCCC Report about our performance against the nationally-determined contributions of 2015. We are the best performing countries amongst all the G-20 countries when they were ranked by an independent agency and, therefore, the Government is focussing its attention at the macro level whereas industries, on their own, thanks to the consciousness that has been generated in the country, are looking at their own processes, looking at improving their own processes and playing an important positive role in addressing this problem of climate change.

DR. AMAR PATNAIK: May I suggest to the hon. Minister that in the reply they have mentioned that India's Carbon Credit Trading Scheme 2023 has been put in operation? It cannot be put under operation unless you have separate company-wise data of green house emissions and carbon emissions. However, the second supplementary is whether the de-carbonisation pathway has been proscribed for each industry or company by way of a notification, that is being reviewed so that we achieve the targets which you have mentioned of the hon. Prime Minister to make net zero by 2050 or even earlier.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, as regards the Carbon Credit Trading scheme, the benefit will be taken by those who prepare the data and who are able to demonstrate that they are eligible for carbon credits. In a way, it is Government's efforts to encourage more and more companies to come within the ambit of the scheme to take benefit of this trading scheme. Therefore, we believe that a persuasive approach and taking industry together is the right way to achieve these goals. As regards the overall India's contribution to greenhouse gas emission reduction or to address the challenge of climate change, extensive data is being collected by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and extensive research is being done in different sectors on our ability to bring down the carbon emission and to create carbon sink. As regards both adaptation and mitigations measures, India is at the forefront of these measures. I can assure the hon. Member, through you, that India will relentlessly pursue the path both of inclusive growth and sustainable growth.

DR. AMEE YAJNIK: Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I have seen the reply given by the hon. Minister. It is very clearly said that there is no database which has been formed for the cement industry. So, there is no greenhouse gas emissions database. You do not have a special budget also for this particular industry which is carved out for treating the greenhouse gas emissions. Given this situation, you talk about inclusive and sustainable growth. You have committed net zero emissions at the international level, but you do not have a roadmap or a budget or a plan, either shorter or longer, for the cement industry, which is one of the largest sectors and which contributes to the construction industry as well. So, when you do not have this, how would you go for emission trading or carbon credit trading without having anything or a roadmap in place? So, all these hollow statements do not give concrete examples of how you are going to bring zero net emissions at the international level.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I think, the same issue was agitated by the earlier speaker, but I would like to repeat...

MR. CHAIRMAN: It was with more force this time.

SHRI PIYUSH GOYAL: Yes, Sir. The question was regarding the current greenhouse gas emissions from the cement industry, broken down by individual companies and production unit wise. So, my reply relates to the question that we don't have every production unit's data for every industry running the cement plants. The country is collecting data for different sectors which are recognised as contributing to the

greenhouse gas emissions at the aggregate level. The industry bodies are working in consultation and collaboration with the Government to address these issues. The cement industry is a very important sector of the economy. They are *suo motu* recognising the global problem and are taking necessary steps for mitigation of the greenhouse gas emissions. I think, the Indian industry today is self-reliant and I am proud to say this on behalf of the Indian industry as the Industry Minister. The industry in India is *Atma Nirbhar*. They are not looking for clutches for everything that has to be done. They don't look at the Government for every small thing. They are not looking at Government subsidies and it is not that only after those subsidies that they will act in the interest of the country or the nation. So, I think, the important thing to be noted is that industry is conscious of their obligations.

As regards the Carbon Credits Trading Scheme, the Bureau of Energy Efficiency is, as per this scheme, if you will care to go into the details of the scheme, already undertaking studies for the sectors which are obligated to be covered under this scheme and, accordingly, they will work out the targets and will work out the incentives or credits which should be given to each industry for improvement. Those targets, in due course after this study, will be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and it is only after that that they will be able to start giving the carbon credits. The Scheme has been notified. The trading process has been brought to fore. The auctioning of the scheme is under process. Thank you.

DR. AMEE YAJNIK: Regarding the carbon credits trading, it was already there in place. It is not a new thing that has come and Gujarat had one of the industries which was topping the list in chlorofluorocarbons. This is not a new thing. You already have a roadmap. So, how are you going to implement this? That is the question.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, I did not hear. What did you say about Gujarat?

DR. AMEE YAJNIK: In Gujarat, there is an industry which is already dealing in this emission trading. So, it was already there, brought during the UPA years. So, there is already a roadmap. They just have to follow it, but I think they are perplexed and not sure how to go about it.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I would like to...

MR. CHAIRMAN: She is appreciating you.

SHRI PIYUSH GOYAL: Yes, Sir. I would like to thank the hon. Member for having highlighted how the hon. Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, was at the forefront of the fight against climate change. *...(Interruptions)...*

DR. AMEE YAJNIK: The UPA Government was at the forefront. *...(Interruptions)...*

SHRI PIYUSH GOYAL: The important point to be noted is that when the world was waking up to the challenge of the climate change, the Vice-President of one of the world's global super powers, the world's largest economy, came out with a book called '*An Inconvenient Truth*'. But, our hon. Prime Minister, in response to that, said as the Chief Minister of Gujarat that for us in India, we knew this 'inconvenient truth' for generations and centuries because India consciously respects nature and every aspect of nature. He came out with the book '*Convenient Action - Continuity for Change*'. That was the book that our hon. Prime Minister Modi wrote. He consistently worked as the Chief Minister. Whether it was the first solar power unit in India or whether it was the first wind power unit along the canals, I think, he has demonstrated, through actions right for the last 23 years where he has led the country in one form or the other in different initiatives, his sensitivity to the environment and his commitment to make India a global player when it comes to addressing the challenges of climate change.

MR. CHAIRMAN: Question No. 07 - Shri Anil Desai.

Production of wheat, rice and pulses

*7. SHRI ANIL DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the total production of wheat, rice and pulses in the country during last three years, year-wise;

(b) the total domestic demand of the same during last three years, and whether demand is more than production in the country;

(c) the quantity of the same being imported; and

(d) the total demand and production of the same in the country after Covid pandemic?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The country witnessed a record foodgrain production of 3296.87 Lakh Metric Tonnes (LMT) during the agricultural year 2022-23 registering an increase of 30.82% as compared to 2520.25 Lakh Metric Tonnes (LMT) in 2014-15. Further, during 2022-23 the production of rice, wheat and pulses stood at 1357.55 LMT, 1105.54 LMT and 260.58 LMT respectively registering an increase of 28.7%, 27.77% and 51.90% over their respective production of 1054.82 LMT, 865.27 LMT and 171.54 LMT during 2014-15. The growing foodgrains production in the country is due to higher budget allocation to agriculture sector and successful implementation of various scheme and programmes by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

The budget allocated for Agriculture during the FY 2022-23 stood at Rs. 1,24,000.00 crore as compared to Rs. 22,652.25 crore in FY 2014-15, recording an increase of 447.41%.

National Food Security Mission (NFSM) aims to increase the production of rice, wheat and pulses through area expansion and productivity enhancement; restoring soil fertility and productivity; and enhancing farm level economy. During the year 2022-23, Rs. 1395.00 crores was allocated under NFSM. Rashtriya Krishi Vikas Yojana – Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation (RKVY-RAFTAAR) targets at broad objectives of making farming a remunerative economic activity through strengthening the farmer's effort, risk mitigation with major focus on pre & post-harvest infrastructure. During the year 2022-23, Rs. 3005.08 crore was allocated for RKVY.

Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan' (PM-AASHA), is an umbrella scheme comprising Price Support Scheme (PSS) which is implemented for procurement of notified pulses, oilseeds and copra of Fair Average Quality (FAQ) at Minimum Support Price (MSP), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) and Private Procurement & Stockist Scheme (PPSS). Further, Government announces Minimum Support Prices (MSPs) for twenty-two (22) mandated crops. Government has increased the MSPs for all mandated Kharif, Rabi and other commercial crops with a return of at least 50 per cent over all India weighted average cost of production from the agricultural year 2018-19.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in 2016 in order to provide a simple and affordable crop insurance product to ensure comprehensive risk

cover for crops to farmers against all non-preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest and to provide adequate claim amount. During the year 2022-23 under PMFBY, 1174.7 lakh farmers applications were enrolled and the funds allocated stood at Rs. 15500 crores. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is a central sector scheme under which financial benefit of Rs. 6000/- per year is transferred in three equal four-monthly instalments into the bank accounts of eligible farmers' families across the country, through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. The Government of India has disbursed over Rs. 2.81 lakh Crore to more than 11 Crore farmers.

The details of production of rice, wheat and various pulses during last three years are given as under:

Crop	Production (lakh tonnes)		
	2020-21	2021-22	2022-23
Rice	1243.68	1294.71	1357.55
Wheat	1095.86	1077.42	1105.54
Pulses	254.63	273.02	260.58
Total Foodgrains	3107.42	3156.16	3296.87

India, in recent years, has emerged as net exporters of agricultural products. It is the major rice exporting country in the World. During 2022-23, the export of rice stood at 223.47 lakh tonnes witnessing an increase of 86% in comparison to rice export of 120.01 lakh tonnes during 2014-15. Further, the import of pulses in the country witnessed a decrease by 46% in comparison to pulses import in 2014-15. During the year 2022-23, pulses import stood at 24.96 lakh tonnes, as against 45.85 lakh tonnes in the year 2014-15, depicting less reliance on imports due to increased domestic production.

The details of import of wheat, rice and pulses during last three years are as under:

Crop	Import (in thousand tons)		
	2020-21	2021-22	2022-23
Rice	4.76	10.58	6.71
Wheat	0.00	0.05	13.57
Pulses	2466.16	2699.69	2469.17

The Working Group constituted by National Institution for Transforming India (NITI) Aayog on Crop Husbandry, Agricultural Inputs, Demand and Supply Projections in its report "Demand & Supply Projections towards 2033 Crops, Livestock, Fisheries and Agricultural Inputs" published in February, 2018 had projected the demand for terminal years 2016-17, 2017-18 and 2021-22.

The details of production and projected demand for aforesaid years are as under:

(in lakh tonnes)

Crop	2016-17		2017-18		2021-22	
	Demand	Production	Demand	Production	Demand	Production
Rice	1035.90	1096.98	1081.60	1127.58	1092.80	1294.71
Wheat	901.80	985.10	957.10	998.70	971.20	1077.42
Pulses	236.10	231.31	260.50	254.16	267.20	273.02

SHRI ANIL DESAI: Sir, the Minister of Agriculture has given a very elaborate reply. In fact, I had asked very specific questions but going beyond the scope of the questions, the Minister has given a very elaborate reply.

In the answer which has been given, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has been emphasized. During the year 2022-23, 11.75 lakh farmers' applications were enrolled and the funds allocated -- in a sense, it is taken as claims which were paid -- were to the tune of Rs. 15,500 crores. If we go by this, the PMFBY, which was introduced in 2016, it needed desperate improvement every year because the farmers' woes on the ground were never heard. If we go by the figure of 15,500 crore of rupees by way of claims given to the farmers, average farmer gets around Rs. 1,320. The amount which the farmer pays by way of premium comes to 2 per cent of the Kharif crop and 1.5 per cent of the Rabi crop. On an average, an amount of more than 5,000 rupees is paid by the farmer. The Government's answer talks about PMFBY on which a lot of emphasis has been made. Sir, the Government has been saying it with pride that over the years, it has been very beneficial for the farmers but it is not a fact. On the ground, farmers are crying and you can verify the facts from the insurance companies and the Government department, and more than anything, from the farmers themselves.

MR. CHAIRMAN: Supplementary, please.

SHRI ANIL DESAI: May I know from the hon. Minister as to what improvements are being made or have already been done so that the Pradhan Mantri Fasal Bimal Yojana (PMFBY) becomes an effective instrument in the hands of the Government to give benefits to the farmers?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे : सभापति जी, भारत की फसल बीमा योजना 2016 में नयी पॉलिसी के तहत शुरू हुई। This is the largest crop insurance scheme in the world in terms of farmers' registration. Also, this is the third largest scheme in the world in terms of insurance premiums. हमारे देश में 7 सालों में 49.44 करोड़ किसानों ने application enroll की है और इस साल 14.06 करोड़ applications आयी हैं। इसमें 7 सालों में किसानों ने 29,183 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा है। Claims received - Rs. 1,46,664 crore, यानी claims मिलने में बहुत ज्यादा गुना बढ़ोतरी हुई है। हर साल यदि किसी किसान ने 100 रुपये भरे, तो Government of India स्टेट को मदद देती है। इसमें तो पूरी की पूरी स्टेट ही इसकी implementing agency है। भारत सरकार अपना हिस्सा स्टेट को देती है। स्टेट टेंडर मँगाती है, स्टेट ही इसका implementation करती है और भारत सरकार का हिस्सा उसको मिलता है। इस प्रकार यदि किसानों ने 100 रुपये pay किये तो अभी तक 502 रुपये किसानों को मिले हैं, इसीलिए 29,000 करोड़ के लिए 1,46,000 करोड़, they got the claims under Fasal Bima Yojana. सभापति जी, हम इसमें नयी फसल बीमा योजना की नीति लाये हैं। इसमें अगर किसी को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान होता है, तो उसको क्लेम देने के लिए हमने एक नयी पॉलिसी बनायी है। हमने टेंडर प्रक्रिया को तीन साल के लिए बढ़ाया है। ऐसे ही जो स्वेच्छा से खुद प्रीमियम भरना चाहते हैं, वे भर सकते हैं। यह कम्पल्सरी नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। इस संबंध में राज्य सरकार जो करना चाहती है, उसके हिसाब से वह कर सकती है और भारत सरकार इस मद में अपना हिस्सा देती है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI: Sir, for my first supplementary, I would request the hon. Minister to go through the answer and please answer correctly because the answer which has been given is completely wrong. The explanation given by the hon. Minister does not satisfy me or my expectations because I have different figures with me.

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: सर, वह गलत नहीं है, बल्कि सही है।

SHRI ANIL DESAI: Sir, any way, my second supplementary is with respect to the figures regarding pulses which I asked in my question. In 2021-22, the projected demand in pulses was 267 lakh tonnes whereas the production during the same

period was 273 lakh tonnes and the imports during the same time, which has been shown on the earlier page, were around 2699 thousand tonnes. May I know from the hon. Minister, through you, why has this anomaly or mistake taken place? Is it a mistake in the answer or when the production is higher than the demand, where is the question of importing pulses in that very year? How do you justify the need to go for import of pulses during 2021-22 when the production of pulses was much higher than the demand?

सुश्री शोभा कारान्दलाजेः सर, हमारे देश में तिलहन और दलहन की जितनी माँग है, उतनी पैदावार नहीं है, इसलिए हमें बाहर के देशों से इनका इम्पोर्ट करना पड़ता है। तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए किसानों को मदद भी दे रही है। हमें तिलहन और दलहन का एरिया बढ़ाना है, इसलिए हम उत्पादन और उत्पादकता, दोनों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हर साल दलहन की कमी का सामना कर रहे हैं, तुअर दाल की ज्यादा कमी का सामना कर रहे हैं। तुअर दाल की ज्यादा उपज कर्णाटक और महाराष्ट्र में होती है।...(**व्यवधान**)...दलहन के संबंध में पूछा गया है।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. *..(Interruptions)..* Yes, hon. Minister.

सुश्री शोभा कारान्दलाजेः सर, हम तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए दलहन के 250 हब्स बनाये हैं। हम इसकी नई वैरायटीज़ के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। हम क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज़ के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। आईसीएमआर इसके लिए रिसर्च कर रही है। हमने इसके लिए एमएसपी को बढ़ाया है। हम एमएसपी पर किसानों से इसको खरीदते हैं।...(**व्यवधान**)... एमएसपी देने से किसानों को लगता है कि हम जो फसल उगाते हैं, उसको सरकार एमएसपी पर खरीदती है।...(**व्यवधान**)... इसलिए हम एमएसपी को समय-समय पर बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से हम दलहन की पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं। हम इसका एरिया बढ़ाने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तुअर दाल की पैदावार में कमी है, क्योंकि कर्णाटक और महाराष्ट्र में इसकी पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन इन राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। इसके कारण तुअर दाल की पैदावार में कमी हुई है। हम तुअर दाल का इम्पोर्ट करके देश की माँग को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Supplementary number three, Dr. Ashok Kumar Mittal.

डा .अशोक कुमार मित्तल : सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों को दिया जाने वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोगुना कर दिया गया है, जो कि सराहनीय है। मेरा

माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या भारत सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): माननीय सभापति महोदय, दलहन की कई किस्मों में से कुछ की पैदावार अधिक होती है, कुछ की कम होती है, जिसमें से तूर दाल के बारे में कहा गया है। यह सबकी जानकारी में है कि पिछली बार कर्णाटक में सूखे के कारण अच्छी फसल नहीं हो पाई और जो तूर दाल होती है, उसके उत्पादन में बहुत अधिक समय लगता है। चना दाल का उत्पादन अधिक है। देश में कुल दालों का जो उत्पादन हुआ है, उसके अनुसार वह सरप्लस है, लेकिन तूर दल की जितनी आवश्यकता है, उसमें कमी आई है।

सर, माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एमएसपी के बारे में माननीय मोदी जी की गारंटी है। किसानों की आय दोगुनी हो, उनकी लागत का लाभ अच्छे ढंग से मिले, यह अपने आपमें मोदी जी की गारंटी है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: Hon. Member Kavita Patidar to move that an Address be Presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2024."

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए:-

"कि राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2024 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

सभापति महोदय, 'अमृत काल' की शुरुआत में बने नये संसद भवन में अपने जीवन को कर्म से गढ़ने वाली नारी-शक्ति की परिचायिका, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 500 साल के इंतजार

के बाद बने भव्य अयोध्या मंदिर एवं रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के मनोभावों के साथ ही रामराज्य की स्थापना की ओर कदम उठाते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नये भवन की भव्यता को तो उन्होंने दर्शाया ही है, साथ में विश्वास भी जताया है कि विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति के रचनात्मक संवाद इस नई बिल्डिंग के गवाह बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जैसा हम जानते हैं कि हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण में उठाए गए कदम हर स्तर पर किए गए संभव प्रयास हैं। उद्यमिता, सुगम जीवन, महिलाओं के लिए सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को इन 10 वर्षों में जो गति मिली है, वह हम सबके सामने है। *"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:"*, इस मूलमंत्र पर केन्द्रित होकर माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा भी निर्धारित किया और उसको वास्तविकता का स्वरूप भी प्रदान किया। इसके साथ-साथ, उसने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की तकदीर सँवारने का भी काम किया, चाहे वह 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना' से तीन करोड़ से अधिक बहनों के पोषण की चिन्ता का विषय हो या फिर बहनों के सम्मान से जुड़ा 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर बुनियादी जरूरत को पूरा करने का प्रण हो। आज हमारी सरकार ने हर उस माता की चिन्ता समझी, जिनकी आँखों की रोशनी घर की रसोई में चूल्हा जलाते हुए धूमिल हो गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उस धुएँ से आज़ादी मिली, जिसने उनकी साँसों को दमा जैसी बीमारियों से जकड़ रखा था। माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों से करोड़ों बहनों ने बैंक की दहलीज तब लांघी, जब उनके जन-धन खाते खोले गए। आज हमारी सरकार के द्वारा 27 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन खाते खोले गए हैं। आज हमारी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक दिखाती गणतंत्र दिवस की परेड भी नारी शक्ति को समर्पित की गई थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारिता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उसी का परिणाम है कि आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, जिन्हें 8 लाख करोड़ रुपये बैंक लोन और 40 हज़ार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, one minute. Yes, Digvijaya Singhji, under which rule, are you raising a point of order?

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, Rule 258. The point of order is this. The procedure here is this.

MR. CHAIRMAN: Would you kindly look at Rule 258? ...(*Interruptions*)... Is it Rule 238? Please make up your mind. Is it Rule 238 or Rule 258? You will have to decide under which rule you are raising it.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the point is of procedure. When is the amendment to be moved?

MR. CHAIRMAN: Under which rule so that I may also have the benefit of it?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is Rule 258 -- Points of order and decisions thereon.

MR. CHAIRMAN: I gave no decision. I will read it. Rule 258 refers to points of order and decisions thereon. It says that any member may at any time submit a point of order for the decision of the Chairman, but in doing so, shall confine himself to stating the point.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Yes. Sir, the point is simple. The amendments are moved after the mover has moved the motion and seconded by the seconder and then come the amendments. After that, her speech will start. That is the procedure. ...(*Interruptions*)... That has been the procedure.

MR. CHAIRMAN: Can you indicate this procedure in the rule?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it is the procedure. This has been done over the precedents. This is the first time that she has started the speech without the amendments being moved.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, many things are happening for the first time.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: * ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, Digvijaya Singhji.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: Sir, I am very mindful of history and that is why I seek everybody's assistance.

* Not recorded.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have sought the advice of the officers here and they confirmed that usually the amendments are moved before her speech starts. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: There is no such provision of seconding. ...(*Interruptions*)... Take your seat. ...(*Interruptions*)... You are a very experienced Member. ...(*Interruptions*)... As a matter of fact, I am going by the Listed Business. ...(*Interruptions*)... Hon. Member may continue her address.

सुश्री कविता पाटीदार: माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। 'नमो ड्रोन दीदी योजना' के तहत समूह को 15 हज़ार ड्रोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह करना महिला सम्मान का एक सटीक उदाहरण है। सशस्त्र बलों में महिलाओं को पहली बार परमानेंट कमीशन देने का निर्णय हो या सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को पहली बार प्रवेश देने की बात हो - हमारी सरकार द्वारा दिए गए अवसर आज हमारी बहनों के विकास और सम्मान के रास्ते खोल रहे हैं। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं और नौसेना के जहाज़ को भी कमांड कर रही हैं। वे चंद्रयान-3 की सफलता में भी भूमिका निभा रही हैं और कोविड जैसे संकट के समय अपने धैर्य और मनोबल को ऊंचा करते हुए वैक्सीन निर्माण में भी सहभागी बनी हैं। हमारी सरकार की मुद्रा योजना के तहत करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं, जिससे स्वरोजगार शुरू कर बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। पहली बार भारत के लिंग अनुपात में 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं तक सुधार आज हम देख रहे हैं।

महोदय, ट्रिपल तलाक को गैर-कानूनी बनाकर एक तरफ बहनों के सम्मान की रक्षा करने से लेकर इतिहास को बदलते हुए राजनीति के साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के सफर तक, 'पीएम आवास योजना' के तहत महिलाओं को मालिकाना हक देते हुए 70 प्रतिशत से अधिक घर देने के साथ ही नाबालिगों से बलात्कार के लिए मृत्यु दंड और न्यूनतम सजा को बढ़ाकर बीस साल तक किया गया। ये माननीय प्रधान मंत्री जी के वो संकल्प थे, जिनके द्वारा नारी के अधिकारों में वृद्धि कर उनके सम्मान की रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस प्रदेश से मैं आती हूं मध्य प्रदेश, जहां मां नर्मदा और मां शारदा का आशीर्वाद पग-पग पर मिलता है, उस प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, विवाह और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की सभी योजनाओं के साथ केन्द्र की योजना का लाभ लेकर महिला क्रांति का सामाजिक प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है।

'घर-घर आंगन देखो खुशहाली आई है,
सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है।'

यह सुअवसर मिला है, क्योंकि आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। हमारी सरकार ने बहन-बेटियों के जीवन-चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसका समाधान किया है। महिला शक्ति के साथ ही युवा शक्ति, किसान और गरीब-इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है। राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से अनेकों योजनाओं और नीतियों के माध्यम से हमारी सरकार विकास रथ पर आगे बढ़ रही है। सफल चन्द्रयान मिशन से लेकर हाल ही में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने देश के सम्मान को बढ़ाया है।

महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा है कि बीते दस वर्ष की साधना का यह विस्तार है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जो संशाएं थीं, आज वे इतिहास बन चुकी हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में भी बहुत कमी आई है। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने 'One Rank One Pension' को भी लागू किया है, जिसका इंतजार काफी समय से था। देश सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे तेज गति से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज 'Top Five Economies' में हमारा भारत पहुंच चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। इसके साथ ही सफलता के साथ 'आदित्य मिशन' को भी लॉन्च किया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस के साथ भारत के सबसे लंबे समुद्री 'अटल सेतु' के रूप में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत को अपनी पहली 'अमृत भारत ट्रेन' मिली। मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। भारत का निर्यात 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI दुगना हुआ है। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादनों की बिक्री में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। Start ups बढ़कर 1 lakh से अधिक हो गए हैं। GST देने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़, 40 लाख हो गई है। 2023-24 में 12 lakh electric वाहन बिके हैं, जो एक नई क्रांति का आह्वान है। 'Make in India' और 'आत्मनिर्भर भारत' हमारी ताकत बन चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात देश बन चुका है। हम बचपन से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे थे, लेकिन आज हमारी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारा देश आगे निकला है। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन-देन का 46 प्रतिशत भारत में होता है। आज गांव में चार लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो या नेशनल हाईवे की बात हो, एयरपोर्ट की संख्या दोगुना बढ़ाने के साथ ही 10 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना हो, हमारा देश तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

पांच शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाये गये हैं। आज 49 से ज्यादा रूट पर वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं। यह विकसित भारत के संकल्प की यात्रा का विकास रूपी प्रतिबिंब है।

सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की सराहना करती हूं। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने ओबीसी समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने के

लिए कई पहल की हैं। उनके नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियां मिलती हैं। यह मुझे उपलब्धि की भावना से भर देता है जब मैं यह उल्लेख करती हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी स्वयं ओबीसी श्रेणी से हैं, उनके मंत्रिमंडल में कई मंत्री ओबीसी हैं, साथ ही मेरे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी ओबीसी श्रेणी से आते हैं। ऐसे कई निर्णय यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारी सरकार ओबीसी हितैषी है और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा)** *पीठासीन हुईं*]

सुश्री कविता पाटीदार: उपसभाध्यक्ष महोदया, भव्य अयोध्या मंदिर और श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे गौरव का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक पल एक प्रकाश पुंज है, जो हमें एकता, नैतिक मूल्यों और हमारे महान राष्ट्र की भावना से मेल खाने वाले सिद्धांतों की ओर मार्ग दर्शित करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए, आइये, हम सबका साथ, सबका विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, यह मानते हुए कि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है,

'सूरज जैसा बनना है, तो सूरज जितना जलना होगा,
नदियों सा आदर पाना है, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा,
हम इस सदी के लोग हैं, तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी,
अगर मोदी की गारंटी है, तो हर मुश्किल अब हल होगी।'

इस भाव के साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना, उसके भाव हम सब के दिलों में गूंजें और उसकी सफलता के सामूहिक प्रयास के आह्वान हेतु पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत !

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा) : धन्यवाद। श्री विवेक ठाकुर जी।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नये संसद भवन में प्रस्तुत राष्ट्रपति के प्रथम अभिभाषण पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मुझे अवसर प्रदान किया। महोदया, आज भले ही हम नये संसद भवन में प्रवेश कर चुके हों, परंतु पुराने सदन की एक स्मृति संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा -

'सर्वदा स्यान्नपः प्राज्ञ,
स्वमते न कदाचन।
सम्याधिकार प्रकृति,
सभासत्सुमते स्थितः ।।'

यह श्लोक लिफ्ट नम्बर चार के पास स्थित गुम्बद पर अंकित है। पद्म पुराण में इसे सर्वलोक सुख प्रदम् कहा गया है, सांख्य दर्शन में इसे अत्यंत लोकहितम् सत्यम् कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि राजा को हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए। बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना से निर्णय लेने की क्षमता प्रामाणिक होती है। उन्हें यह सुनना चाहिए कि सदन में अन्य लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसे सभी की भलाई के लिए कार्य करना है। उपसभाध्यक्ष महोदया, आप सोच रही होंगी कि मैंने उपरोक्त श्लोक की चर्चा क्यों की? वह इसलिए की क्योंकि उपरोक्त श्लोक में प्रधान सेवक से जो अपेक्षा की गई है, उन सभी की पूर्ति हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने पिछले दस वर्षों में की है। यह बजट देखकर यही प्रतीत होता है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना से जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वह साफ-साफ परिलक्षित होता है, वरना हमने कितने चुनावी वर्ष के बजट देखे, जिनमें freebies की भरमार होती थी, परंतु यह बजट भारत के अमृतकाल का बजट है, जिसमें 2047 में विकसित भारत के roadmap को जुलाई में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह एक दूरदर्शी सोच के बजट की झलक है, क्योंकि यह interim budget है। जब दूरदर्शिता की बात आती है, तो पूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा इस सदन में demonetisation पर दिया गया बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने केन्स, जो एक बहुत ही नामी-गिरामी इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें क्वोट किया था और कहा था कि वर्तमान सरकार जो नीति लेकर आई है, उससे वह दूरदर्शी लाभ की अपेक्षा कर रही है, पर केन्स का कहना है, "In the long-run, we are all dead." अर्थात् हमें निकट भविष्य की चिंता पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य की दूरदर्शी योजनाओं पर। विचार कीजिए कि ऐसे विचार वाली सरकार ने देश पर दशकों तक राज किया और इसी दूरदर्शिता का अभाव था कि जब 2014 में हम सत्ता में आए, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह स्थिति में थी। अगर मैं उन्हीं पूर्व प्रधान मंत्री जी के उस समय के एक और बयान का जिक्र करूं, जब उन्होंने demonetisation को organised loot and legalised plunder कहा था, तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि organised loot and legalised plunder उसे कहते हैं जब देश में oil bonds के माध्यम से तेल खरीदा जा रहा था ताकि भुगतान मौजूदा वित्तीय वर्ष में न करना पड़े और current account deficit कम दिखे। महोदय, organised loot and legalised plunder तब होता है, जब बजट में loss or borrowings को carry forward करके fiscal deficit को paper पर limit में रखने का प्रयास किया जाता था, लेकिन वह वास्तव में अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा होता था। महोदय, organised loot and legalised plunder तब होता है, जब 2G घोटाला होता है, कोल घोटाला होता है, कॉमनवैल्थ गेम्स घोटाला होता है, अगस्टावैस्टलैंड घोटाला होता है। यह सब एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री और अर्थशास्त्री वित्त मंत्री की नाक के नीचे होता था और वे दोनों अभी भी इस सदन के सदस्य हैं। जनता से खुलेआम ऐसी * की गई थी कि आदमी जिसका कम वर्णन करे, वही उचित है। वह सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि दूरदर्शिता का अभाव था और राष्ट्र के प्रति समर्पण नगण्य था, भाव एक जमींदार और जागीर का था और एक चरमराई अर्थव्यवस्था के साथ हमारा सरकार में गृह प्रवेश हुआ था।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

सभापति महोदय, जब हम 2014 में आए और इकोनॉमी की समीक्षा की तो हालात भयावह थे। एक जोरदार बहस छिड़ी कि state of economy पर White Paper लाया जाए और देश और दुनिया जाने कि किस अवस्था में देश आकर खड़ा है। ऐसा बोला ही जाता था कि भारत fragile five में है, policy paralysis से ग्रसित है, banks bad shape में हैं और borrowings fiscal mismanagement का अहम हिस्सा बन गया था। मैंने पहले भी जिक्र किया है।

महोदय, inflation out of control था, लेकिन उस White Paper को तब लाने पर हालात ऐसे बन जाते कि सारे investors भाग जाते और India investment story तहस-नहस होनी तय थी। वहाँ से प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दस साल के आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्ध भारत की जिस यात्रा पर हम चले, उससे आज fragile five से विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बने ही, साथ ही fastest growing economy का सेहरा पहनकर हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहे हैं। महोदय, बाधाएं तो ऐसी आईं कि विश्व हिल गया, कोविड जैसी महामारी ने world economy को हिला दिया और geopolitical हालात, युद्ध आदि सभी कुछ एक साथ होकर एक नए world order को भी स्वरूप देने लगे, लेकिन हमारा भारत अग्रणी होकर इन सबके बीच से एक bright spot बनकर निकला। आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसी सत्र में सदन में वह White Paper जरूर लाएं, ताकि देश यह जाने कि इन्होंने हमें कहाँ लाकर खड़ा किया था और आज हम देश को दस वर्षों में कैसे-कैसे निकालते हुए भारत को bright spot बना बैठे हैं। एक चमकता हुआ सितारा, जिसको विश्व अब हर समस्या के निदान के लिए आशाभरी निगाह से देखता है। आप जान लें कि बिना भारत के पोज़िशन तय किए, global opinion अब shape up नहीं करती है। इसके साथ-साथ मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की foreign policy का transformation जिसमें इंडिया फर्स्ट आया, वह एक केस स्टडी बन चुका है। आज के इस भारत पर हमको नाज़ है और गर्व भी है। 2014 के पूर्व महंगाई की क्या स्थिति थी, inflation rate out of control था। उस समय की स्थिति को देखकर एक German economist, Dr. Karl Pohl का इन्फ्लेशन के संबंध में एक क्वोट याद आता है। "Inflation is like toothpaste. Once it's out, you can hardly get it back in again." इसी प्रकार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Harry Truman ने कहा था कि a recession is when your neighbor is out of work, a depression is when you are out of work. आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने economic recession और economic depression दोनों से हम भारतीयों को बचाया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, देश को बांटने का हाल फिलहाल एक जबर्दस्ती का विवाद खड़ा किया गया और पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन भारत की जनता ने इतना बुरे तरीके से बीते चुनाव में इनके इरादों पर पानी फेर दिया कि ये समझ ही नहीं पाए। हमारी सरकार ने चार जातियों को विकास के लिए बेंचमार्क बनाया है और यह सम्पूर्ण सच है - गरीब, किसान, महिला और युवा। प्रधान मंत्री जी का तो यह स्पष्ट मानना है कि यदि हम इन चार जातियों का उत्थान करते हैं, तो देश का उत्थान स्वतः हो जाएगा और यह सही भी है। इसलिए पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 4 करोड़, 10 लाख लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए गए। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे। करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधान मंत्री

गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन प्रदान किया जा रहा है। 51.5 करोड़ पीएम जनधन अकाउंट खोले गए और यह financial inclusion का विश्व में एक अदभुत उदाहरण बना। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन वितरित किए गए। पहली बार आज़ाद भारत में किसी सरकार ने समाज के इस वर्ग की भी चिंता की है। यह एक अदभुत मिसाल कायम हुई है। हमारी इन्हीं जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा था कि पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को multi-dimensional poverty index से बाहर निकाला है। इसलिए कहा जाता है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अगली जाति - किसानों पर आता हूं। देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और शोधक, स्वर्गीय एम. एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि if agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. यह सच भी है। आज हमारी अर्थव्यवस्था के अन्नदाता के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कोविड के समय हमारे अन्नदाता ही थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के इंजन को गति प्रदान की। इसलिए प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाताओं को सहायता प्रदान करने हेतु, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई और आज लगभग 11.8 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि वितरित की जा चुकी है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जा चुका है। अब तो ड्रोन दीदी के माध्यम से आज महिला समूह को ड्रोन के माध्यम से किसानी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यूरिया के बढ़ते उपयोग को सीमित करने हेतु नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका जिक्र इस इंटेरिम बजट में भी किया गया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां जल में arsenic की समस्या बहुत अधिक है। केवल बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यह समस्या अति गंभीर है। इस योजना से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने जा रहा है। Soil or ground water management improvement की दिशा में यह बहुत बड़ी पहल है। आज 1361 मंडियों को eNAM के तहत डिजिटल रूप में जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। अब मैं अगली जाति - महिला पर आना चाहता हूं। कौटिल्य ने कहा था -

"न स्त्रीरत्नसमं रत्नम्"।

अर्थात् स्त्री के समान कोई रत्न नहीं है। महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, यह आदरणीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य रहा है और उसी दिशा में यह सरकार निरंतर काम कर रही है। इसलिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 25.86 लाख करोड़ रुपये 44.16 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए गए, जिसमें से 30 करोड़ लाभार्थी सिर्फ महिलाएं थीं । आज एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। इस बजट के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। हायर एजुकेशन में पिछले 10 वर्षों में फीमेल एनरॉलमेंट में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आज 37 प्रतिशत तक जा पहुँचा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट में आशा और आँगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत के तहत कवर करने की जो घोषणा की है, इससे इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। कोविड काल में गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे घुस कर जिस तरह से इन्होंने टीकाकरण कराया और देश को बचाया, यह एक उचित सम्मान देने वाला

कदम है। इसी संसद भवन ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं को समान भागीदारी दिलाने का ऐतिहासिक कदम भी उठाया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अब अगली जाति, यानी युवा शक्ति की बात करना चाहूँगा। कहते हैं न कि Europe has aged, China is aging and India is young. हमारी सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को पिछले 10 वर्षों में स्किल ट्रेनिंग प्रदान की है। 2014 में जहाँ 16 आईआईटीज़ थे, वहीं आज 23 आईआईटीज़ हैं; 2014 में जहाँ 7 एम्स थे, वहीं आज 22 एम्स हो चुके हैं; 2014 में जहाँ 723 यूनिवर्सिटीज़ थीं, वहीं आज 1,113 नई यूनिवर्सिटीज़ हैं। पीएम-श्री स्कूल्स के माध्यम से स्कूल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और इस बजट में धनराशि को 4,000 करोड़ से बढ़ा कर 6,050 करोड़ कर दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1 प्रतिशत से घट कर 3.2 प्रतिशत हो चुका है। खेलों में विश्व स्तर पर भारत के युवा खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है और 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। स्टार्ट-अप्स की संख्या बढ़ कर एक लाख हो चुकी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट की सफलता का मापन इससे होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 वर्षों में यह 5 गुना बढ़ कर इस साल 11.11 लाख करोड़ हो गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। यह तब संभव हो पाता है, जब आप फ्रीबीज़ की राजनीति को छोड़ कर देश के दीर्घकालिक विकास के बारे में सोचते हैं। जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के तहत राज्य सरकारों को भी कैपेक्स में बढ़ोतरी करने हेतु 50 वर्षों का ब्याज मुक्त लोन दिया गया और हम पर आरोप लगता है कि हम राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं! इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने उधर के गठबंधन के मित्रों के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा।

"तू इधर उधर की न बात कर ये बता कि क़ाफ़िला क्यूँ लुटा
मुझे रहज़नों से गिला नहीं तिरी रहबरी का सवाल है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, कैपेक्स में बढ़ोतरी का ही परिणाम था कि आज देश में गाँवों में लगभग 3.75 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो चुका है; राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90 हजार किलोमीटर से बढ़ कर 1 लाख, 46 हजार किलोमीटर हो गई है; चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई ढाई गुणा हो गई है; हाई स्पीड कॉरिडोर का 500 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर तक विस्तार हो चुका है; हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी 149 हो चुकी है। मतलब अनगिनत ऐसे काम हुए हैं, जो भूतो न भविष्यति की ही कैटेगरी में आते हैं। हाल में जो अटल सेतु के विकास ने भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया, यह भी एक अद्भुत मिसाल है, जो पूरी दुनिया देख रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से, पीएम गति शक्ति के माध्यम से तीन बड़े रेल कॉरिडोर्स की संकल्पना की गई है, जो एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर; दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है। जैसे मान लिया जाए कि दिल्ली और पटना का रूट है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, तो इससे यात्री सेफ्टी भी बढ़ेगी, टाइम में भी कमी आएगी और यह एक बहुत ही जरूरी पहल है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हर प्रकार के रॉ मैटीरियल्स उपलब्ध हैं, लेकिन एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई मैनेजमेंट का बड़ा इश्यू रहता है। जहाँ डिमांड है, वहाँ तुरंत सप्लाई हो, ऐसी योजनाएँ हमारे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाएँगी। जिस प्रकार दक्षिण में सीमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि आवश्यकता पूर्व में है, लेकिन यह कैसे तुरंत पहुँचे, यह सब कुछ यह योजना साकार करेगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होगा, जब इन सबका स्वरूप खड़ा होगा। महोदया, आम रेल यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत के समान 40,000 बोगीज़ बनेंगी और आम यात्रियों को भी बेहतर यात्रा कराने का एक बेंचमार्क तय हो चुका है।

महोदया, आधारभूत अवसंरचना की बात हो रही है, तो साथ ही साथ मैं इस सदन का ध्यान पिछले 10 वर्षों की अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हमने चंद्रयान-2 की विफलता देखी, लेकिन जैसा कि साहिर लुधियानवी कहते हैं कि :

"*हज़ार बर्क गिरे लाख आँधियाँ उट्ठें,*
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।"

और हुआ भी ऐसा। आज हम चंद्रयान-3 के माध्यम से और आदित्य-एल1 के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा तक पहुँच गये हैं।

हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वे जीएसटी का विरोध करते हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि "*हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या।*" अर्थात् सारे प्रमाण आपके समक्ष हैं। हमारी सरकार द्वारा टैक्स संरचना में जो आमूलचूल परिवर्तन किये गये, उनका नतीजा है कि जीएसटी आने के बाद 2018 में monthly GST collection 90,000 करोड़ से बढ़ कर अब average 1.7 लाख करोड़ प्रति माह हो चुका है। टैक्स संरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा आदरणीया वित्त मंत्री जी ने की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2010 के 25,000 तक के और वित्तीय वर्ष 2011 से 2015 के 10,000 तक के tax dispute को सरकार पूरी तरह withdraw करेगी, जिससे लगभग 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को लाभ होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा।

महोदया, आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यदि हम देखें, तो भारत का निर्यात 450 बिलियन डॉलर से बढ़ कर 775 बिलियन डॉलर हो चुका है, forex reserve आज 600 अरब डॉलर हो चुका है, mobile manufacturing में हम 5 गुना बढ़ोतरी कर चुके हैं और आज DBT के माध्यम से हम लगभग 2.25 लाख करोड़ की बचत कर चुके हैं। इन सबका श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के समक्ष खड़ा रहा और वे हैं - आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी। इसलिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी पर सिखों के महान गुरु, गुरु गोबिन्द सिंह जी, जिनका केन्द्र हमारा पटना साहिब रहा, उनकी एक पंक्ति है, जो बड़ी सटीक बैठती है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा :

"*देह शिवा बर मोहे ईहे,*
शुभ कर्मन ते कभुं न टरूं
न डरौं अरि सौं जब जाय लड़ौं,
निश्चय कर अपनी जीत करौं।
जब आव की अउध निदान बनै,
अति ही रन मैं तब जूझ मरों।"

जिसका अर्थ है - हे शिवा (शिव की शक्ति), मुझे यह वर दे कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी भी पीछे न हटूँ। जब मैं युद्ध करने जाऊँ, तो शत्रु से न डरूँ और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूँ। हम फिर जुलाई में आ रहे हैं।

महोदया, धर्म और अर्थ का बड़ा मजबूत सम्बन्ध होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारतवर्ष में बहुत सम्भावनाएँ अभी छिपी हुई हैं। अभी हाल में रामलला के भव्य मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा प्रधान मंत्री जी द्वारा की गयी। उसने अयोध्या की सूरत ही बदल दी। आज अयोध्या में एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, होटल्स बन रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, चार धाम कॉरिडोर और केदारनाथ का विकास किया, उससे लोकल अर्थव्यवस्था का बहुत अधिक विकास हुआ है। मैं हाल ही में तमिलनाडु गया था। वहाँ ऐसी पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। हमारे मन्दिरों में बहुत पोटेंशियल है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि आज भी कई ऐसे मन्दिर हैं, जिनके विकास से अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है।

स्पिरिचुअल टूरिज्म के प्रमोशन हेतु इस इंटेरिम बजट में चर्चा की गई है, जिसकी प्रतिभा as a sector - अभी देश में harness नहीं हुआ है और इसको बढ़ावा देना बहुत ही सकारात्मक कदम है, जो आने वाले समय में रोजगार के दृष्टिकोण से अपार opportunities को एक बहुत ही बड़ा स्वरूप दे सकता है। प्रभु श्रीराम की बात तो पूरा देश कर ही रहा है, प्रधान मंत्री जी ने प्राण-प्रतिष्ठा के बाद नयी सोलर पॉलिसी के तहत सौर ऊर्जा से जुड़ी अत्यधिक दूरदर्शी Rooftop Solarization योजना का शुभारम्भ किया, जिसमें 1 करोड़ उपभोक्ता 300 युनिट बिजली मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और सरकार को उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो एक सूर्यवंशी की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद उस दिन की एक अद्भुत घोषणा रही।

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और माननीया वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस इंटेरिम बजट में एक अद्भुत घोषणा की है। एक पॉलिसी डिसीज़न इस बजट के तहत किया गया है कि भारत सरकार आने वाले समय में "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु बना कर इंडिया की growth story तय करने जा रही है। पूर्वोत्तर का एक वासी होने के नाते इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदया, इस बजट की कई क्रांतिकारी घोषणाएँ हैं - मत्स्य पालन की दुनिया में 'Blue Economy-2' का आरंभ होना, देश में हर जिला स्तर पर हॉस्पिटल सेटअप करना, 9 से 14 वर्ष की बच्चियों का सर्वाइकल कैंसर रोधी टीकाकरण की शुरुआत करना - यह निर्णय हमारी सरकार की संवेदनशीलता का अद्भुत परिचायक है।

सब बात हो और डिजिटल क्रांति की बात न हो, जो विश्व में एक मिसाल बन चुका है। आज दुनिया के कुल रीयल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में ही होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1,200 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति, जिसको हम 'जैम ट्रिनिटी' भी कहते हैं, इनसे भ्रष्टाचार पर अद्भुत लगाम लगी है। यह सरकार अब तक डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर चुकी है। 'जैम ट्रिनिटी' के कारण 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी तंत्र से बाहर किए गए हैं। इस सरकार के इनबिल्ट मेकेनिज़्म में करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन के खिलाफ की लड़ाई लड़नी है। चाहे जो भी शोर मचा ले, लेकिन यह लड़ाई निरंतर चलती रहेगी।

महोदया, अनुच्छेद 370 हटाकर, अंग्रेजों के कानून समाप्त कर, भारतीय न्याय प्रणाली के रिफॉर्म्स लाकर, लीगल सिस्टम में गुणात्मक सुधार लाकर भारत को दशकों के लिए कानून से सुदृढ़ करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, उसको आने वाला समय याद करेगा। आंतरिक सुरक्षा तंत्र को इतना सुदृढ़ किया गया कि आम नागरिक ने देश में इतना सुरक्षित पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गयी है और सीमित क्षेत्र में प्रभाव मात्र रह गया है।

महोदया, जब हमारी सरकार बनी, तब हमने 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र के साथ शुरुआत की। आज हम इससे भी आगे बढ़ कर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की ओर अग्रसर हैं। जिस प्रकार 'जैम ट्रिनिटी' ने इस देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किए, उसी प्रकार trinity of demography, democracy and diversity के साथ सबके प्रयास के द्वारा हम 2047 के विकसित भारत की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं।

अंत में, मैं बशीर भद्र के शब्दों में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के लिए यही कहना चाहूँगा :-

"जिस दिन से चला हूँ मिरी मंज़िल पे नज़र है,
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।"

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री विवेक ठाकुर: सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी की 2014 से शुरू हुई यात्रा ने कई मील के पत्थर देखे, पर कभी रुके नहीं, क्योंकि उनकी मंज़िल यही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। महोदय, मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Motion that has been moved and seconded is:
That an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31st, 2024."

There are 102 Amendments to the Motion which may be moved at this stage. Amendments (Nos. 1 to 4) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

1. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

" but regret that the Address does not mention about the exponential rise in inflation and the prices of essential commodities which have been affecting the poor and the middle-class sections of society detrimentally."

2. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the privatization and disinvestment of profitable PSUs which have a devastating impact on the common man by way of taxes levied on them."

3. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the Government's plan to revamp health and education by increasing funding."

4. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

" but regret that the Address does not mention about falling allocations for MNREGA and the increasing demand for MNREGA work."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 5 to 7) by Shri Vaiko and Shri M. Shanmugam. Are you moving?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I move:

5. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret to say that the Address does not mention about the need to review the provisions of the Constitution dealing with Role of Governors, since it is the colonial legacy."

6. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about extending ESI benefits to workers in the unorganized sector and to extend EPF scheme to them."

7. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret to say that the Address does not mention about eradicating poverty and unemployment and generating more job opportunities."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 8 to 13) by Shri Vaiko; not present. Not moved. Amendment (No. 14) by Shri Elamaram Kareem and Dr. V. Sivadasan. Are you moving?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

14. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to extend the benefit of MGNREGA to every individual jobseeker."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 15 and 16) by Shri Elamaram Kareem, Shri A. A. Rahim and Dr. V. Sivadasan. Are you moving?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

15. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to Address the burning issue of price rise and particularly the price of petrol and diesel."

16. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the shrinkage and deepening recessionary tendencies in the core sectors of the economy."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 17) by Shri Elamaram Kareem, Shri A. A. Rahim. Are you moving?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

17. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the issues of growing unemployment, loss of lakhs of jobs because of the privatization and disinvestment of public sectors, etc. "

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 18 to 23) by Shri M. Shanmugam. Are you moving it?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I move:

18. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to apportion certain percentage of GST collections to the funding of various Labour Welfare Boards which were getting cess funding through the respective Labour Welfare Acts which were subsumed in the GST Act after the introduction of GST, with the result no funds are provided for their schemes.

19. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to revive and expedite the Sethusamudram Ship canal project which would benefit the economy and increase maritime trade for the country."

20. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to increase the EPF minimum monthly Pension to Rs.7500 along with dearness allowance, as demanded by various trade union organisations."

21. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention the need to hold bipartisan meetings with the trade unions on all important matters relating to labour issues. "

22. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to provide all basic facilities like fixed wages, insurance, risk allowance to ASHA and Anganwadi workers immediately. "

23. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about giving preferential employment to health workers, nurses and para medical staff who were engaged for health emergency during the Covid pandemic, but retrenched later on."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 24) by Dr. V. Sivadasan, not present. Not moved. Amendments (Nos. 25 to 34) by Dr. Ashok Kumar Mittal. Are you moving it?

DR. ASHOK KUMAR MITTAL (Punjab): Sir, I move:

25. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for focus on learning outcomes in education and the need to calculate and qualitatively assess the same."

26. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing unemployment and the jobless growth phenomenon in the country."

27. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the effective steps proposed to be taken to control rising inflation in the country."

28. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about fixing the minimum support price of various agricultural products and also to provide legislative backing to minimum support price mechanism."

29. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to increase budgetary allocation for the health sector so as to achieve the target of allocating 2.5 percent of GDP for health."

30. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention aboutthe need to provide a Special Financial Package for the State of Punjab."

31. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to constitute a National

Commission for Farmers with a constitutional status for the development of our farmers."

32. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any programme for the welfare of shopkeepers in the country. "

33. That at the end of the Motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing appropriate reforms in the present education system to make it employment oriented.v

34. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures being taken to control the steep fall in ground water level and to encourage rain water harvesting in the country. "

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 35 to 41) by Prof. Manoj Kumar Jha, not present. Not moved. Amendments (Nos. 42 to 46) by Shrimati Jebi Mather Hisham. Are you moving it?

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I move:

42. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures taken to prevent train derailments through the adoption of fully mechanized methods of track maintenance, as recommended by the CAG."

43. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the concrete measures to bring price rise under control."

44. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures taken to control 5.69% retail inflation in the country and 10.4% food inflation in urban India."

45. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing Petrol and Diesel within the ambit of GST."

46. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the conduct of Census without further delay. "

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 47 to 54) by Shri Raghav Chadha, not present. Not moved. Amendments (Nos. 55 to 63) by Shri Sandosh Kumar P. Are you moving it?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

55. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the fact that the New Education Policy will result in increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education to the children belonged to the poor."

56. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the increasing incidents of crime against women and children in the country."

57. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to recognize the "scheme workers" numbering a crore in the country mostly women working under various schemes of the government of India, as workers as per the recommendations of the 45th Indian Labour Conference making them eligible for PF, ESI and other social security benefits."

58. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to expand the workdays to minimum 200 days in a year and to increase the remuneration of the workers under the MGNREG Scheme and implement similar scheme in urban areas also to solve the urban unemployment problem."

59. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the ongoing mass scale contractorization and casualization of regular and perennial work in industries and the need to ensure same wages and benefits for contract/casual/outsourced workers doing the same work as regular workers."

60. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the large-scale privatization of production units of Railways and outsourcing of more than 60 % of the regular activities of routine nature in Railways."

61. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention of the fact that the four labour codes enacted, amalgamating various labour laws will take away almost 90 per cent of the existing workforce out of the purview of the labour legislations and the need to scrap the four labour codes restoring the old labour laws."

62. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the fact that the commitment given to the farmers on MSP and procurement has not been implemented as yet."

63. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention that despite the claim of the fast-growing economy, what we experience is jobless growth and the inequality in the economy is widening."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 64 to 70) by Dr. John Brittas. Are you moving it?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

64. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the concern over the freedom of Press in the country as evident from the World Press Freedom Index 2023, published by Reporters without Borders, where India plummeted to its lowest-ever ranking of 161st out of 180 countries, consistently declining since 2016 when it held the 133rd position."

65. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the growing inequality in the country in the distribution of wealth between rich and poor, with the richest 1 per cent own more than 40 per cent of the country's total wealth, while the bottom 50% of the population share just 3% of wealth."

66. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about meeting the demands of the state governments to extend the GST Compensation for another five years as well as to exclude state public account balances and borrowings of state government entities in the computation of the net borrowing ceiling of the States."

67. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:
"but regret that there is no mention in the Address about the growing attacks against minority communities, specifically Muslims and Christians."

68. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:
"but regret that there is no mention in the Address about the need to curb the inflation and the price rise of the essential commodities in the country as well as to bring legal guarantee by way of MSP for all agricultural produces".

69. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:

"but regret that there is no mention in the Address about the adverse impact of demonetisation on economic growth and the deepening recessionary conditions in the Indian economy."

70. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:

"but regret that there is no mention in the Address about the need to extend the benefits of MGNREGS to every individual job seeker."

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, आप उनके नाम पर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is enormously talented, और उनके वकील भी तो आप हैं!

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं देश का वकील हूँ, सर।

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Otherwise, many people may come to you. Amendments (Nos. 71 to 77) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Are you moving it?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I move:

71. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the steps to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities."

72. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the loss of jobs and the proactive measures taken to tackle the huge unemployment problem in the country."

73. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the measures to allocate 6% GDP in Health care and development of health infrastructure."

74. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the need to provide adequate financial support to the state like Tamil Nadu affected badly due to heavy rains and floods."

75. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the measures taken by the Government to stop the crimes against women children and elderly persons."

76. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the steps taken by the Government to achieve its goal to double the income of farmers in the country."

77. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the various steps taken by the Government to expedite the Station redevelopment works at Chennai Egmore Railway Station and Chennai Central Railway Station."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 78 to 84) by Shri R. Girirajan. Are you moving it?

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, I move:
78. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the steps taken by the Government to provide adequate financial support to Government of Tamil Nadu which was affected very badly due to heavy rains and inundation."
79. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the various remedial steps taken by the Government to stop the farmers suicides during last few years in various parts of the country."
80. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about need to provide adequate matching funds for the construction of Chennai Metro Rail Project — Phase —II and for the implementation of various Railway projects in Tamil Nadu."
81. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the construction of Sethusamudram Ship CanalProject which is very important for maritime trade and commerce in India and several Port development projects in Tamil Nadu as well as the development of Cruise Services in Tamil Nadu."
82. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the effective measures and welfare schemes by the Government to double the income of farmers in the country."
83. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the steps being taken for the construction of Green Field Airport at Parandur in Tamil Nadu and the expansion of Madurai Airport as well as the establishment of Airports at Vellore, Neyveli."
84. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the universal social security for the unorganized sector workers and creation of a National Social Security Fund with

adequate resources as per the commendations of the National Social Security Board for unorganized Workers."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 85 to 92) by Shri Shaktisinh Gohil. Are you moving it?

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I move:

85. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the huge increase in deaths due to heart attack after the corona vaccination."

86. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the unemployment."

87. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the amount of black money deposited in foreign countries and the amount which has been got backfrom there during the last ten years."

88. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about our fishermen who were picked up by the Pakistani Marines from the shores of Gujarat and many fishermen who are in Pakistan's captivity."

89. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about resuming the special subsidy in the railways' journey for the elderly, journalists and special category people, which has been discontinued by the government since the Corona period."

90. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the vacant posts in government jobs and how to fill them."

91. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the numerous vacant posts of professors in the central universities and how to fill them."

92. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the considerable increase in the prices of petrol, diesel and cooking gas and the people of the country are very troubled by inflation."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 93 to 94) by Shri M. Mohamed Abdulla. Are you moving it?

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I move:

93. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide adequate financial support to the state like Tamil Nadu which are affected badly due to heavy rains and floods."

94. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the steps being taken for the construction of AIIMS at Madurai in Tamil Nadu."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 95 to 101) by Shri A.D. Singh. Are you moving it?

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, I move:

95. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about granting Special Category Status to the State of Bihar."

96. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the granting special financial assistance to the tune of Rs. 2.5 Lakhs crores to the State of Bihar as desired by the State Government to undertake developmental work and welfare schemes in the State for removing the backwardness of the State nor it envisages any list of developmental works to be done by Central Government akin to the one prescribed in Schedule 13 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014."

97. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the conducting a nationwide Caste Survey to know the exact percentage of Other Backward Classes in the country."

98. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the about increasing the retirement age and salaries of the scientists engaged in the various departments of the Government."

99. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any concrete plan to protect the Himalayan Glaciers by regulating the indiscreet development activities jeopardizing the lives of people living in Himalayan States."

100. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to regulate the use of AI techniques in various fields."

101. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the stand of the Government towards the Houthis attacks on merchant ships plying through Suez Canal."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 102) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I move:

102. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing disparity in income of the poor and the rich."

SHRI DIGVIJAYA SINGH: But, at the same time, Sir, *

MR. CHAIRMAN: Shri Digvijaya Singh, you can move an Amendment which I authorize. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. The Motion and the Amendments moved thereto are now open for discussion.

The questions were proposed.

RULINGS BY THE CHAIR - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before I go to the list of speakers, hon. Member, Shri Digvijaya Singh, had raised a point of order.

As per practice, after the Motion of Thanks on the President's Address is moved by a Member and seconded by another Member, the Members who have given notice for Amendments thereto are called to move their Amendments. It has been categorically said so. In this regard, the practice is regulated by Rule 242 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) regarding, inter alia, order of speeches. Accordingly, the mover of a motion has the right to speak thereon immediately after moving the Motion. And, similarly, the seconder would also speak after seconding the Motion. Thereafter, the Motion becomes the property of the House and Amendments may be moved thereto by other

---

* Not recorded.

Members. Therefore, that is the stage, when Members who have given Amendments are called to move their Amendments, if they so desire. The sequence followed by the House today is, therefore, in order. The issue raised by Shri Digvijaya Singh *Ji* is not tenable. In case, ...*(Interruptions)*... Please take your seat. In case, hon. Member, Shri Digvijaya Singh*ji*, needs further clarification, he may kindly refer to the proceedings of the House, dated 07th February 2023, when the Motion of Thanks on the President's Address was taken up by the House last year; and, also peruse the practice detailed in the publication 'Rajya Sabha at Work' at pages 233 and 235. So, as per rule, as per practice, and as per practice during my tenure, the point raised by you was an intervention, not very wholesome. Thank you.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS - *Contd.*

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, just one point. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Tiruchi Siva. No more discussion on that. I have concluded that issue. Nothing more on what I have ruled. ...*(Interruptions)*... Now, the Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने चार शब्द रखना चाहता हूं। पहली बार उन्होंने इस सदन में आकर ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया और चुनाव से पहले उन्होंने सारी बातें कहीं। मैं उनके अभिभाषण का स्वागत करता हूं और उसमें जो कमियां हैं, उन्हें आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूं। आप और बीजेपी सरकार मुझे संयम से सुनेगी, यह मेरी आशा है।

महोदय, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उनके कुछ सवाल भी थे कि किस तरह से पहले की सरकार ने काम नहीं किया, इस अर्थ में भी उनके शब्द थे। यह सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इसका भी ब्यौरा उन्होंने दिया।

महोदय, हिमांशु बाजपेयी एक कवि हैं, उन्होंने कुछ कहा था, मैं उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं।

"न खाता, न बही है, जो तुम बोले वही सही है।
न्यूज़ ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है।
सच पर एफआईआर क्यों, रासुका की मार क्यों,
झूठ की जय-जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों?
मेरे शहर के लोग, देश के लोग यह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं।"

मैं यही पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो आप अपनी बातों को बहुत से adjectives लगा कर यहां बोले। यह सही है कि हर सरकार अपनी बात को राष्ट्रपति जी के माध्यम से कहलाती है,

लेकिन इस राष्ट्र के जो निर्माता हैं, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और समृद्धि की इस राह पर जाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। महोदय, जब लोग देश के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और अपने हकों को नहीं जानेंगे, संविधान की रक्षा नहीं करेंगे...। तब तक गरीबों को इसका फल नहीं मिलेगा, * को नहीं मिलेगा, निचले वर्गों को नहीं मिलेगा और कमजोर तबके के लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यही काम किया। उन्होंने शिक्षा के लिए प्रथम स्थान दिया। उन्होंने अपनी योजनाओं में primary schools से लेकर high schools, colleges, IIT institutions खोले और ये institutions देश के vision बने। जब हम देश के लिए एक vision बनाकर चलते हैं, तो वह बहुत दिन चलता है, लेकिन जब उसको छोड़कर सिर्फ अपने ही काम पर लग जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और देश पीछे जाता है। चाहे education हो, technical education हो, medical college हो, engineering college हो या AIIMS हो, इनका लाभ सबको मिलना चाहिए। संविधान में Scheduled Castes, Scheduled Tribes और OBCs के लिए भी reservation बनाया गया है। आज OBC के बच्चों को 27 per cent reservation मिलना चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। किसी कारणवश वे घट जाते हैं। SCs/STs के लिए भी ऐसे ही होता है। कई जगह reservation को घटाने को कोशिश चल रही है, जैसेकि qualification बढ़ाना, experience बढ़ाना या age को बढ़ाना। इन सारी चीजों को लाकर SC/ST/OBC के बच्चों को कैसे काटा जाए, यह चंद लोग सोचते हैं और कोई भी सरकार इसकी जांच नहीं करती है। उनके लिए कोशिश नहीं करती है, तो यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। खासकर scholarship में - जो scholarship उनको regularly Social Justice Department से मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल रही है। वे देरी से जाते हैं, तो वे बोलते हैं कि जब तक यहां आपके पैसे भरे नहीं जाते, तब तक हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं या एक-दो महीने होने के बाद आपकी scholarship नहीं आई, इसलिए यहां पर जगह नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, इन चीजों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहले से ही समाज में यह मानसिकता है, मोदी जी आए, इसलिए ऐसा हुआ, यह नहीं बोलता हूं। यह समाज की एक मानसिकता है, चाहे धार्मिक मानसिकता बोलो या ऊपर-नीचे का बोलो, यह सब में है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी, जो पहले कांग्रेस में थे, अब चीफ मिनिस्टर बने, आजकल वे आपके बहुत लाड़ले बन रहे हैं। उनका कहना है - मैं यह दावे से कहता हूं कि उन्होंने बाद में उसको किस ढंग से समाज में कहा, मालूम नहीं। मेरे उच्चारण में कम-ज्यादा हो सकता है। जितना मोदी जी संस्कृत में बोलते हैं, उसमें बोलने में मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आपको और जनता को समझाने के लिए...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Kharge*ji*, you are aware that when we refer to a constitutional office in this House, you will keep that rule in mind also.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What, Sir?

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: You will keep in mind the rule how and under what circumstances, we raise issues about a constitutional office order. Bear that in mind.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं 11 साल किया हूं। सर, ठीक है।

MR. CHAIRMAN: Please bear that in mind.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

"कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।।"

इसका मतलब है कि खेती, गाय पालन और व्यापार करना, यह वैश्यों का दायित्व है। * ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Khargeji, I take exception to this. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: This will not go on record.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Why?...*(Interruptions)*... Why? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Because you are not following the rules. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is said by Dr. Babasaheb Ambedkar in the *Samvidhan*. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Rules do not allow you unless you authenticate it. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You can read it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I request you ... ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, यह क्यों नहीं जाएगा? ... (**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: How can it be done? It is contrary to the rules. *...(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, ... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: There is no notice to me. *...(Interruptions)...* You have to give notice to me. *...(Interruptions)...*

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is in public domain. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: No, no. *...(Interruptions)...* Please take your seat. *...(Interruptions)...* I again appeal to you, follow the rules. You have a great experience. *...(Interruptions)...* I acknowledge your experience. *...(Interruptions)...* Please. Please. *...(Interruptions)...* Don't get into that mode. *...(Interruptions)...* Don't get into that mode. *...(Interruptions)...* Please. Please.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have not named. I have not said anything. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please. Please.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am appealing to the Prime Minister: *

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. *...(Interruptions)...* This will not go on record.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, ... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Go ahead.

SOME HON. MEMBERS: Why?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Why? Tell me why, Sir? *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Yes, it is a good question. It is a good question. I will respond. Rules do not permit it. As simple as that. *...(Interruptions)...* Please continue. *...(Interruptions)...*

---

* Not recorded.

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK (Rajasthan): Which rule has been violated, Sir? He is talking about the condition of ... *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Does he need your support? *...(Interruptions)...* He is Leader of the Opposition. *...(Interruptions)...*

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: He is talking about someone ... *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: He doesn't need your support. *...(Interruptions)...* Come on. ...(*Interruptions*)... Khargeji, keep your flock in order. Let them take their seat and you speak. *...(Interruptions)...*

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: Sir, which rule has been violated? *...(Interruptions)...*

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (West Bengal): Sir, Mr. Kharge needs nobody's support. But I want to say a sentence here. *...(Interruptions)...* He has not named anybody. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Dr., most of the time when legal issues are there, you are absent. *...(Interruptions)...*

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: And the person concerned is not... *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You are absent whenever we need you. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: And it attracts the SC/ST Atrocities Act also. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Khargeji, have you finished?

SHRI MALLIKARJUN KARGE: Finished!

MR. CHAIRMAN: Then continue, please. Then, please continue.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, अगर आप यही चाहते हैं, तो खत्म करो।

MR. CHAIRMAN: No, no, please continue. Please continue.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं मन की बात इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमको दर्द होता है। जब ऐसे लोग सरकार में होते हैं, कुर्सी पर बैठकर ऐसी बात करते हैं। आज भी संविधान लागू होने के बाद, आजादी मिलने के बाद और आजादी मिलने के 78 साल होने के बाद और संविधान लागू होने के 75 साल के बाद भी, अगर इस तरह की मानसिकता लोगों में है, तो शूद्र लोग कैसे आगे आएंगे, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। ऐसा ही यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ऐसा ही हाई प्रोफाइल स्कूल-कॉलेजेज़ में होता है। वहां पर उनको एडमिशन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। आप बड़े-बड़े स्कूल-कॉलेज खोलते जा रहे हैं। आप स्कूल खोलिए, यह अच्छी बात है, लेकिन इनको भी एडमिशन दीजिए। आप उनको यह मत बोलिए कि आपका काम सिर्फ सेवा करना है, आपका काम दूसरा नहीं है। आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, देश के लिए लड़ नहीं सकते। आपने कांट्रैक्ट लिया है, तो दूसरों को भी उसमें शामिल कीजिए। आज मैं आपसे यही पूछने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज प्रधान मंत्री जी भी यहाँ हैं, वे इसके बारे में सोचेंगे, कम से कम बाद में अपने चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर यह कहेंगे कि ऐसी बात मत करो, इससे मेरी बदनामी तो होगी ही होगी, लेकिन तुम भी जनता की आँखों से गिर जाओगे।

महोदय, दूसरी बात स्किल डेवलेपमेंट ग्रेजुएट्स की है। 2022 के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोज़गारी 13.04 परसेंट और फीमेल ग्रेजुएट्स की संख्या 20.06 परसेंट है। अगर एजेंसियों के आंकड़े देखें, तो स्थिति और भी खतरनाक है। इस बेरोज़गारी के कारण चाहे लोग लिखे-पढ़े भी हों, तब भी आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है।

महोदय, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए था, आपने उस पर क्या किया, इसको बताइए। आपने उसके विषय में कुछ नहीं कहा है। आप युवाओं को अपने भाषणों से आकर्षित करते हैं कि यहाँ जाओ, फॉरेन जाओ। आप कहीं-कहीं जाते हैं, हर जगह जाते हैं, इसलिए अपने भाषणों से उनको आकर्षित करते हैं, लेकिन वह बेचारा भूखे पेट आपका भाषण क्या सुनेगा! उसका पेट भूखा है, बेरोज़गारी है, वह आपका भाषण क्या सुनेगा! इस बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया - यह हमारा सवाल है, लेकिन इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं एक उदारहण देता हूं कि महाराष्ट्र में, जहाँ से हमारे लीडर ऑफ दि हाउस आते हैं, वहाँ 4500 वैकेंसीज़ के लिए 10 लाख एप्लिकेशन्स आईं और उसमें एमबीए, इंजीनियरिंग के लोग शामिल हैं। आप देखिए कि हम रोज-ब-रोज कितने कमज़ोर बनते जा रहे हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है - आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर ने भी
देखा होगा - खास कर हमारे बीजेपी प्रेज़िडेंट के स्टेट से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी के बॉर्डर से बहुत लोग मिलिट्री फौज़ में जाते हैं। इज़रायल की एक एजेंसी ने जब एप्लिकेशन्स मंगाई, तो हमारा युवा कहता है कि यहाँ बेरोज़गार रहने से अच्छा तो मैं इज़रायल नें काम करते हुए मरना पसंद करूंगा। यहाँ का यूथ ऐसा बोलता है और जहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। यूपी का यूथ यह कहता है कि अगर मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, तो कभी इज़रायल नहीं जाऊंगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जनता कह रही है, युवा कह

रहे हैं। आप जो इनकी बात करते हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि आप Public sectors भी खत्म कर रहे हैं, जबकि Public sectors are most important for the reserved classes. वह एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या economically weaker sections हों, आप जो इन Public sectors को एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं, उससे नौकरियाँ भी खत्म हो रही हैं। मैं सभी कुछ मिलाकर बोलता हूं कि चाहे रेलवे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे aided institutions plus Government institutions हों, यदि इन सभी को मिलाएं, तो इनमें आज करीब 30 लाख वैकेंसीज़ हैं। आप 10-12 हज़ार लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनकी नियुक्ति हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ से दिलाते हैं। यह एक रुटीन कोर्स है, इसको कोई अंडर सेक्रेटरी या कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी दे सकता है, लेकिन मैंने दो-चार दफा देखा है कि वे नौकरियों को हमारे प्रधान मंत्री जी के हाथ से दे रहे हैं। नौकरियां देनी हैं, तो एक बार इसकी मुहिम करो, 30 लाख लोगों को भर्ती करो, जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट बांटो, हम कहेंगे कि यह ठीक है। लेकिन 30-30 लाख वेकेन्सीज़ खाली हैं और हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एम्स में भी बहुत सी वेकेन्सीज़ खाली हैं। मैं इसके बारे में पूरा बोलते जाऊं, तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं इसकी परसेंटेज बोलूंगा। आज एम्स का वेकेन्सी रेट 41 परसेंट है। बीस में से सात अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। आपने कहा कि हमने एम्स खोले, दूसरे इंस्टिट्यूशन्स, हॉस्पिटल्स आदि बनाए। उन्होंने अपने भाषण में बहुत लंबी-चौड़ी बातें कहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जहां जरूरी है, वहां आप क्यों नहीं देते हैं? मैंने कहा कि आर्टिकल 371जे, यह स्पेशल आर्टिकल सिर्फ हैदराबाद, कर्णाटक के लिए लागू है। वह आखिरी अमेंडमेंट हम लाए थे। जब हमने कोशिश की और सब लोगों ने सपोर्ट किया था। उसमें जेटली जी भी थे, बीएसपी आदि सभी पार्टी के लोगों ने unanimously उस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया। मैं उसको यहां पर याद करता हूं। मैंने आपसे दो बार पूछा। नहीं-नहीं... वह जमीन नहीं... नहीं साहब, वह जमीन तो ईएसआई की है, गवर्नमेंट की है और अगर वहां एम्स खोलेंगे, तो entire backward-class area कवर हो जाएगा, लेकिन आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। आपने ऊपर से देखा होगा, क्योंकि आपका विमान एक-दो बार वहीं से गुजरा था और 15 दिन पहले भी आप गुलबर्गा में अपनी कांस्टिट्यूएंसी में उतरे। खैर, अभी वह मेरी कांस्टिट्यूएंसी नहीं रही, वह आपकी कांस्टिट्यूएंसी है। आप वहां उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उसमें रेलवे के काम भी रुक गए, एम्स बनाने के काम रुक गए। बातें तो बहुत से भाषणों में होती हैं, लेकिन ये कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपसे निवेदन करता हूं कि इधर देख लीजिए। अब आखिरी स्टेज में निवेदन करके भी क्या फायदा है, कल देखेंगे कि क्या होगा और उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यह याद दिला रहा हूं, पहले की बातें भी याद दिला रहा हूं और आगे आने वाली सरकार, चाहे कोई भी आए, हम आएं या आप आएं, उनके लिए भी सोचने का यह एक रास्ता है कि बैकवर्ड एरिया में किन-किन चीज़ों को आज ...(**व्यवधान**)... क्या कहा...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः ऐसा होता है कि जब मोदी साहब आते हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : खरगे जी ...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः मोदी साहब आते हैं, तो उनके साथ ही पीछे आते हैं। कोई बैठता नहीं है। आप पार्लियामेंट में देखिए, यहां भी देखिए...

MR. CHAIRMAN: Kharge *ji*, everyone is listening to you.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः आप चले जाएं, तो दो मिनट में पूरा खाली...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please continue. *...(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः साहब, आप मत जाओ। उनके मेम्बर्स जाएंगे, लेकिन मेरी स्पीच पूरी होने तक आप मत जाओ।

सर, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात भी कहता हूं। यह एक बहुत बड़ी चोट गरीबों को लग रही है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है - जो प्राइवेट सेक्टर्स बनाते हैं, उनके लिए सरकार की हर मदद होती है। सरकार उनको जमीन देती है, लाइट देती है, पानी देती है, लेकिन वे हमारे रूल्स और रेगुलेशन्स को नहीं मानते हैं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर से ही देश बना है, ऐसी कल्पना चंद लोगों की है। पब्लिक सेक्टर पहले आया, तभी देश का सुधार हुआ। आज प्राइवेट सेक्टर हमारे बैंक्स से पैसा लेते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और हमारी जमीन लेकर भी ये गरीबों को नहीं लेते हैं। सिर्फ अपने रिश्तेदारों और अपनी कम्युनिटी के लोगों को लेते हैं। बाकी के लोगों को डेली वेजेज़ पर, कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर लेते हैं। उनको एक दिन की रोटी भी नहीं मिलती है। यह प्राइवेट सेक्टर का हाल है। हमने माना है कि इस देश की एक नीति बनी हुई थी - प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और को-ऑपरेटिव सेक्टर। सभी सेक्टर्स हैं, लेकिन इस सेक्टर में ज्यादा फायदेमंद यह पब्लिक सेक्टर है। आज पब्लिक सेक्टर धड़ाधड़ बंद हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। पहले ट्रेड यूनियन वाले भी बड़े एक्टिव रहते थे। हमारे जमाने में थोड़ा कुछ हुआ, तो सब लोग झंडा लेकर आ जाते थे। अब वे भी किधर गए, मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर यह जो ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसके बजाय आप पब्लिक सेक्टर पर जोर दीजिए, पब्लिक सेक्टर की मदद कीजिए, उसको जिंदा कीजिए, रिज्यूवेनेट कीजिए। अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं, तो आप इंटेलिजेंट लोगों को डाल कर उसको बढ़ाइए। उसके बजाय आप उसको खत्म मत करिए। सर, अगर मुझे खाँसी आई, जुकाम आया या कुछ आया, तो जुकाम आया, इसलिए नाक काट लो, क्या ऐसा होता है? आप उसकी दवा ढूँढ़िए। पब्लिक सेक्टर गरीबों के लिए और देश के लिए भी अच्छा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया।

अग्निपथ योजना - यह आपकी एक बहुत प्रिय योजना है। आपने यह योजना 4 साल के लिए की है, लेकिन लोग यह समझे कि जैसे कि हर जगह स्टाइपेंडरी के बाद वे परमानेंट हो जाते हैं, वैसे ही यह जो अग्निवीर योजना है, इस 4 साल की नौकरी के बाद हम मिलिट्री में जाएँगे। वे भरी जवानी में जाते हैं। पहले कहा गया, एक बात आ गई कि 100 लोगों में से 25 लोगों को ड्रॉप किया जाएगा और 75 लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं और 25 लोगों को ले रहे हैं। मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, चाहे यह स्टेटमेंट अभी बाहर आया कि नहीं, हाल ही में जनरल एम.एम. नरवणे ने बताया कि अग्निवीर स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए आनी थी तथा उसमें 75 परसेंट रिटेंशन और 25 परसेंट रिलीज़ पॉलिसी का प्लान था, लेकिन बिना किसी से बात किए, सलाह किए मोदी जी ने एक स्कीम एयर फोर्स और नेवी पर लागू की तथा इसमें 25 परसेंट रिटेंशन और 75 परसेंट रिलीज़ पॉलिसी का रूल बना। अब आप बोलिए, यह तो मेरी स्टेटमेंट नहीं है। वहाँ जो काम करते थे, वहाँ जो जनरल थे, वैसे लोग बोल रहे हैं। यह जो आप कह रहे हैं, इससे अग्निवीर के लोग परेशान हैं। वे यह कह रहे हैं कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए, यानी आपने जो अच्छे दिन बोला, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे - अच्छे दिन, ये अच्छे दिन!

"बेहतर दिनों की आस लगाते हुए 'हबीब',
हम बेहतरीन दिन भी गँवाते चले गए।"

यानी उनके जो बेहतरीन दिन थे, जो जवानी थी, वह भी लुट गई, खराब हो गई। उनको 4 साल बाद जाना पड़ा।

यह एक तरफ है और दूसरी तरफ महँगाई है। महँगाई की मार तो आप जानते हैं, क्योंकि आप किसान हैं, वकील हैं, घर भी देखते हैं, आपको तो बहुत मालूम है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए, छोटी-छोटी चीजें हैं। आप बोलेंगे कि यह क्या है? टमाटर, प्याज, दूध, ग्राउंडनट, ऑयल, आटा, चावल के दाम दोगुने हो गए। घटा नहीं, डबल हो गया। अरहर ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is on a point of fact. ...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, kindly ask him to authenticate and table the comment and statement which he has made about all these products. It is completely baseless. इसका कोई आधार नहीं है। निराधार स्टेटमेंट के ऊपर आप न बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: ठीक है। जब आपकी बारी बाती है, तो..

MR. CHAIRMAN: Kharge ji, since the Leader of the House has raised a point, I would urge you to kindly authenticate the assertion that you have made. There should not be any difficulty.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अगर आप बाजार में गए होते, तो मालूम होता। एक बार तो दिल्ली की सरकार को प्याज के लिए खींचा गया, उसको हराया गया। मैं आपके सामने यह ला रहा हूँ कि..

MR. CHAIRMAN: Kharge ji, please authenticate the assertions that you are making with respect to the issues raised by the Leader of the House. There should not be any difficulty.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं और गोयल साहब बाजार में जाएँगे और वहाँ से हम दोनों authenticate करके लाएँगे। ठीक है।

MR. CHAIRMAN: This may be done during the course of the day. ...(Interruptions)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : नहीं, नहीं।

MR. CHAIRMAN: During the course of the day, authentication may take place.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं। मैं जब चाहूँगा, तब हम जाएँगे। अरहर दाल, जो पहले 70 रुपये की थी, आज 150 रुपये की हो गयी है। क्या इसे भी authenticate करना है?

MR. CHAIRMAN: Obviously.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: चना दाल का दाम 49 रुपये से 85 रुपये हो गया। वनस्पति का दाम 75 था, अब 125 हो गया। सरकार बोलती है, मगर महँगाई पर कहीं नहीं बोले। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी नहीं बोले। इधर सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रही है, लेकिन डबल डिजिट में महँगाई हो रही है, तो यह कैसे चलेगा? ...(**व्यवधान**)... क्या आपको फ्री मिल रहा है? ...(**व्यवधान**)... ठीक है, उनको सरकार सप्लाई करती होगी। हमारे प्रधान मंत्री जी उनको कोई स्पेशल सब्सिडी देते होंगे, तो उनको फ्री मिल रहा है।

अब किसानों की बात है। किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में आपने कहा। किसानों ने आन्दोलन किया। आन्दोलन के बाद आप कुछ कानून लाये थे। आप जो कानून लाये थे, किसानों ने उनका विरोध किया और तीनों काले कानूनों को आपको वापस लेना पड़ा। आपने उनकी इनकम डबल करने का वायदा किया था। उसको डबल करने के साथ ही आपने एमएसपी बढ़ाने का भी वायदा किया था। आज किसानों की आमदनी में, रीयल इनकम में सालाना 1.5 परसेंट की गिरावट है, इंक्रीज नहीं है। अब हकीकत में अनुमान देखें, तो 2016-17 और 2020-21 के बीच की प्रति किसान रीयल इनकम में सालाना 1.5 परसेंट की गिरावट आयी है। सरकार का कहना है कि किसान बहुत सुखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 5 वर्षों में कृषि के बजट में 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट सरेंडर किया गया है। ...(**व्यवधान**)... पीएम साहब बोले कि किसानों के कायाकल्प की गारंटी है, उसमें माल की कितनी ढुलाई हुई, वे लेकर गए, तो कितना फायदा

मिला, ये सब बातें वे करते हैं। वे सब कौन हैं? ये बीच में जो बिचौलिये हैं, एजेंट्स हैं, उनका माल गया, किसानों का माल नहीं गया। उन्होंने जो खरीदा, वही भेजा। जब वह माल गया, तब फायदा तो उनको हुआ। छोटे-मोटे लोगों को, पैसेंजर ट्रेनों में या स्लो पैसेंजर ट्रेनों में डाल कर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में अगर किसानों को माल ले जाने की इजाजत देते, तब हम कहते कि उनका फायदा हुआ। लेकिन एक दूसरी योजना भी फेल हुई। आपकी दूसरी एक योजना, 'पीएम फसल बीमा योजना' है। वह भी फेल हो गई। 'पीएम फसल बीमा योजना' में 2021-22 तक कुल 2,761 करोड़ रुपए पेंडिंग क्लेम्स में बकाया हैं। हमारे पास भी पहले यह था। आप देखेंगे, तो पाएँगे कि इससे सिर्फ एजेंट्स को फायदा होता है। बीमा योजना के जो एजेन्ट्स हैं, ये लोग उसमें सौ कंडीशन्स डाल देते हैं, ताकि उसको कुछ मिले ही नहीं। वह इंस्टॉलमेंट भर देता है और बाद में जब क्लेम करने जाता है, तो उसको यह बोला जाता है कि इसमें ये-ये कमियाँ हैं। एजेंट्स उसको कांट-छांट कर देने की कोशिश करते हैं। सर, क्या यह भी आपको लाइक नहीं है?

MR. CHAIRMAN: All I am telling is, the time was 27 minutes, and now it has been 36 minutes.

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Sir, it is one hour and 42 minutes. अगर एलओपी बोल रहे हैं, तो 1.42 ऑवर्स के अंदर ही बोल रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Okay, fine.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, इतना गुस्सा क्यों?

श्री सभापतिः मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, देखिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः योजना शुरू होने के बाद 2 करोड़, 33 लाख किसानों को इस योजना से निकाल दिया गया। वे इस योजना से निकल गए। सरकार ने किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देना शुरू किया, यानी 16 रुपए प्रति परिवार प्रति दिन, जबकि ढाबे में 16 रुपए में दो कप चाय भी नहीं मिलती है। ऐसी योजना बनाई जाती है, जिसका लाभ जिनको अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, उनको वह लाभ नहीं मिलता है। इस तरह से यह भी फेल्योर है।

आप देखेंगे, तो पाएँगे कि 40 परसेंट से अधिक किसानों को 'पीएम फसल बीमा योजना' से बाहर निकलना पड़ा और सबका साथ, सबका विकास और क्या? इस तरह से उनके दो-चार कोटेशन्स हैं। क्या विश्वास है, क्या * है - यह मालूम नहीं है। साथ के प्रयास अच्छे रहते हैं, कोटेशन्स ठीक हैं।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय के तहत हमारी माँग जाति जनगणना की है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम इसकी माँग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर जाति जनगणना कराई

---

* Expunged as ordered by the Chair.

जाए, तो उससे ये सब कुछ पता चल जाएगा कि किस-किस कम्युनिटी, किस-किस जाति में कितने ग्रेजुएट हैं, नौकरी में कितने हैं, जमीन कितनी है, कौन क्या काम करता है, कौन कितनी गायें पालते हैं, एजुकेशन कितनी हुई है - यह सब कुछ पता चल जाएगा। आप उसके आधार पर स्कीम बना सकते हैं। उनके लिए आप आर्थिक योजना बना सकते हैं। हमारी जाति जनगणना की जो माँग है, वह कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। आप इस पर फिर से सोच लीजिए। अगर आप इसको नहीं करेंगे, तो हम आने के बाद इसको जरूर करेंगे, पक्का करेंगे।...(**व्यवधान**)... सर, मैं यह बोल रहा हूँ कि उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और जल्दी ही इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। जातीय जनगणना की माँग हर स्टेट में है, हर बैकवर्ड की यह माँग है, हर गरीब की यह माँग है, निचले तबके की माँग है, देश की जनता की यह माँग है। जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, वे जरूर इसको मानेंगे। इससे इकोनॉमिक एक्स-रे मिलता है। हम तो इनकम बढ़ाने के लिए, वेलफेयर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं। जाति जनगणना का लाभ सबको होगा और सभी लोग इससे फायदे में रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर इतना अन्याय होता है। मुझे यह भी मालूम है, मैं conscious हूँ। 10-20 साल के आँकड़े निकाल कर ये कहते हैं कि तुम्हारी सरकार ने क्या किया, 70 साल में क्या हुआ, तुम कहाँ थे? यही सब बातें आएँगी, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ।

सर, इस देश में हर दो घंटे में एससी-एसटी समुदाय के पाँच लोग अपराध का शिकार क्यों होते हैं? दो घंटे में पाँच लोग! वर्ष 2022 में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी 23.7 परसेंट थी, जबकि महिलाओं की देश में भागीदारी 50 परसेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें लेबर फोर्स में भी 50 परसेंट हिस्सा मिलना चाहिए और उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। आपको तो मालूम है कि जो लोग ओलम्पिक में कुश्ती खेलकर मेडल्स जीतकर आए थे, उनको न्याय नहीं मिला और जो अपराधी था, उसको सभी लोग प्रोटेक्ट करते रहे। उस वक्त प्रधान मंत्री जी ने भी बात नहीं की, वे अपना मुँह बंद करके बैठे रहे। वे ऐसे वक्त ही बात नहीं करते हैं। जब शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर अन्याय होता है, ओबीसी के ऊपर अन्याय होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तब उन पर वे कुछ बात नहीं करते हैं। उनके बाकी के जो विशेष विषय हैं, जिन पर वे बोलना चाहते हैं, उन पर घंटों बोलते हैं, लेकिन जब मणिपुर में दंगा होता है, तो उसके बारे में वे एक लफ़्ज़ भी नहीं बोलते हैं। जब वे दूसरे-दूसरे विषय पर इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो मणिपुर पर क्यों नहीं? वे वहाँ जाते क्यों नहीं हैं? यह मेरा सवाल है। यह तो आप नहीं पूछ सकते हैं, वे लोग पूछ नहीं सकते हैं, फिर मुझे तो पूछना चाहिए न!

सर, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि बिलकिस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई? अब बोलिए, ऐसा हो सकता है? गुजरात में सबको माला पहनाई, सबको स्वीट्स खिलाई, जश्न मनाया, जबकि झगड़ा बिलकिस बानो और बीजेपी का था। यह भी कोई बात है! ऐसे इश्यूज़ पर प्रधान मंत्री जी को condemn करना चाहिए, वह भी तब, जब यह इश्यू उनकी स्टेट का है। अगर वे condemn नहीं करें तो कौन कर सकते हैं? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं! आप ही सरदार हो, दूसरे लोग आपको क्या कह सकते हैं, फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएँगे। यह तो आपने कई लोगों को बता दिया है, तो वे लोग गुपचुप चले जाते हैं।

सर, उनको यह भी मालूम है, चाहे वह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में आईटी सेल के बलात्कार का केस हो और सरकार को उन 34 लाख महिलाओं को भी जवाब देना है, जिनके ऊपर आज इतने अत्याचार हुए। यह भी आपको बताना चाहिए।

सर, एक और बात है। मैं यह बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनको इम्प्रेस करने के लिए उनकी पार्टी में कैसे-कैसे लोग हैं और आप उनको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। वे तो प्रमुख हैं। मैंने देखा कि प्रधान मंत्री जी जब राम मंदिर में पूजा कर रहे थे या प्रतिष्ठान कर रहे थे तो उस वक्त आपकी बाजू में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बैठे थे। वे भी साधु हैं, संत हैं, मुझे मालूम है। वे वहाँ बैठे थे। वर्ष 2019 के चुनावों के बाद उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को दिए गए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप यह चाहते हैं? ऐसे लोग आपके साथ बैठकर जब ऐसा करते हैं ...(**व्यवधान**)... वे झारखंड में बोले थे। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने 2015 में ऐसा ही बयान दिया। फिर भारी विरोध के बाद वे पलट गए, प्रधान मंत्री जी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने मौन व्रत रखा, जैसे उन्होंने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मौन व्रत रखा था। बीजेपी ने उसके ऊपर बताया कि सरकार के एक्शंस साफ बताते हैं कि वे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें immediately सरकार का रिएक्शन होना चाहिए था। यूजीसी ने हाल ही में एक गाइडलाइन निकाली, फिर वह पलट गई। यूजीसी ने हाल में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली, जिसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिज़र्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों की वैकेंसी में डीरिज़र्वेशन और आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर जनरल कैटेगरी से उम्मीदवार भरे जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। आपको तो सब कुछ मिलता है, जिनको कुछ नहीं मिलता मैं उनकी बात कर रहा हूं। Please don't interfere.

MR. CHAIRMAN: Khargeji, please control.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, वे आरक्षण से वंचित हैं। आप यूजीसी से कहिए। दूसरी जगह तो temporary भर रहे हैं। अगर कोई रिज़र्व कैंडिडेट नहीं मिलता है, तब तक backlog को complete डीरिज़र्व करने की बजाय थोड़े दिन के लिए स्टाइपेंड पर लैक्चरर्स को काम चलाने के लिए temporary ले सकते हैं, लेकिन वह नहीं है, बस निकालो - इनके सिर काटो, इनको दबाओ। यही इनका उसूल है, इसी के लिए ये काम करते हैं।

महोदय, ये विमेन रिज़र्वेशन का * दावा करते हैं। हमेशा विमेन को 50 परसेंट रिज़र्वेशन देने की बात कहते हैं। अगर आप देंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जल्द से जल्द यह होना चाहिए, फिर क्यों आपने उसका काउन्टर एफिडेविट डाला? आपको उन्हें लेना था। आपके पास तो इतना बहुमत है। पहले 330-334 सीट्स थीं, अब तो दावा 400 पार का हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा दावा है, इनको चुनकर आने दीजिए, तब पता चलेगा। ये सब मोदी की कृपा से आए हैं और तालियां बजा रहे हैं। हमने एमएलए का चुनाव लड़ा, एमपी का लड़ा और अंत में राज्य सभा में चुन कर आए

* Expunged as ordered by the Chair.

हैं। यहां के लोग तो मोदी जी के आशीर्वाद से आए हैं और आने के बाद उनका काम है, सीट को थप-थप बजाना।

MR. CHAIRMAN: The Leader of the House wants to make a lighter observation.

श्री पीयूष गोयल: महोदय, माननीय खरगे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा, उसको prove कर दिया।

MR. CHAIRMAN: I think never has a Leader of Opposition been so applauded. It is a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मेरे बयान की तारीफ है, मैं वह भी समझता हूं। ये अपने लिए ढोल बजा रहे हैं। 400 आएंगे, 500 आएंगे। अगर इतने मेम्बर्स आने हैं, तो ये सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार आप 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। इंडिया स्ट्रॉन्ग है। ...(**व्यवधान**)... फिर से बोलो, इंडिया कमज़ोर है। सर, क्या इंडिया कमज़ोर है? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इंडिया कमज़ोर है?

MR. CHAIRMAN: Now, The Leader of the House.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हर बात को compound करना, I don't like this. *...(Interruptions)...* I don't like this. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: The Leader of the House. *...(Interruptions)...*

श्री पीयूष गोयलः सर, रोज एक-एक साथी I.N.D.I. Alliance छोड़कर जा रहा है।...(**व्यवधान**)... मुझे यह पता भी नहीं है कि I.N.D.I. Alliance है या नहीं है। किस रूप में है, जरा वह भी बताएं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप बैठिए और बार-बार उठिए मत।

श्री सभापतिः खरगे जी, वे मेरी इजाज़त से उठते हैं। When I permit him, he rises. *...(Interruptions)...* When I permit, he rises.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, he rises there, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मोदी साहब present रहते हैं, तो सभी आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, मैं उसको मानता हूं। इसलिए मेरी आदत है और प्रधान मंत्री जी को भी मालूम है कि मैं एक बार House में आता हूं और बैठा रहता हूं और सबकी बात सुनता हूं। इस बार थोड़ा कम बैठा, लेकिन always मैं House में जब तक पार्लियामेंट में था, तब भी बैठता था और अभी भी बैठता हूं। ये लोग जो बार-बार उठते हैं, तो उनकी कुर्सी पर sticker लगाइए। वे बार-बार उठते रहते हैं। उन्हें spring वाली कुर्सी दे दीजिए।

श्री सभापतिः मेरे लिए समस्या हो जाएगी। मुझे कई लोगों की कुर्सी पर लगाना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं, नहीं। यह एक experiment कीजिए, उसके बाद देखेंगे।

MR. CHAIRMAN: Please continue.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : देखिए, यह जो women's reservation है, उसको भी लाने से आप डर गए। क्यों डर गए, अब मुझे मालूम हुआ, क्योंकि आपकी नीति ही ऐसी है। *...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Kharge*ji*, this will not go on record. *...(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : ये मेरे नहीं, नर-नारी ये सब...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One second. *...(Interruptions)...* One second. *...(Interruptions)...* The Leader of the House. *...(Interruptions)...*

श्री पीयूष गोयलः सर, हमने बहुत tolerate किया। ये बार-बार भारत का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और यहां तक कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है। फिर भी हमने tolerate किया। जब इन्होंने ** जैसा शब्द इस्तेमाल किया, हमें लगा कि हम अभी disturb न करें, लेकिन ये बार-बार इस प्रकार का बयान देकर फिर वही मानसिकता दिखा रहे हैं, जिसकी आज सुबह भी चर्चा हुई। इनकी divisive tendencies जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहती हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये बार-बार इसका साइन देते हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* I urge you to......*(Interruptions)...*

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, no. *...(Interruptions)...* Sir, I am here. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप यह तो जानते होंगे कि "ढोर, गंवार, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी" हैं। इनके बारे में तो सुना होगा। आपके पास ऐसे-ऐसे शब्द हैं। इस समाज को कुचलने की, इस समाज को तोड़ने की, इस समाज को शिक्षा से वंचित करने की, इस समाज को

---

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair.

शास्त्र से वंचित करने की आपकी tendency है, हमारी नहीं है। यदि हमें कुछ नहीं मिला, तो भी इस देश के साथ हैं, कुछ मिला, तो भी इस देश के साथ हैं। आप हमें कितनी भी तकलीफ दें, हम कभी अलग जाने के बारे में नहीं सोचेंगे और न ही जाएंगे। आप सब लोग खाकर पेट भर कर बैठे हैं, फिर भी इनके बारे में नहीं सोचते हैं, यही बहुत बड़ा दुख है।

सर, मैं एक बात और कहूंगा कि यह चुनावी प्रक्रिया है। जिस तरह सरकार CEC की नियुक्ति नियंत्रित कर रही है, उससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है। Model Code of Conduct ये सब जो आते हैं, तो समय पर जो होना है, वह नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं होता है, क्योंकि अलग-अलग ढंग से अलग-अलग राज्यों में चुनाव हो जाते हैं। मैंने हाल ही में सुना है कि एक Returning Officer ने चंडीगढ़ में आठ मेम्बर्स के वोट रिजेक्ट कर दिए। सर, eight members, ऐसे कैसे हो सकता है? 35 लोगों में से आठ मेम्बर्स का रिजेक्ट हो गया।

श्री सभापतिः कितनों का होना चाहिए?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, rules के मुताबिक होना चाहिए।

श्री सभापति : रूल्स के मुताबिक होना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह न हो कि बीजेपी को इलेक्ट करने के लिए सभी को निकाल दो। जैसे कि बिल पास करने के लिए 147 लोगों को बाहर निकाल दिया और बिल पास हो गए। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं बताना चाहता हूं कि बीईएल में चार प्राइवेट मेम्बर्स डायरेक्टर बनाये हैं। बीईएल में ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें चार प्राइवेट मेम्बर्स डायरेक्टर बनाये हैं, जिनके पास कारखाने का कोई एक्सपीरियेंस नहीं है। ऐसे लोग उसमें घुस गये हैं और उसमें घुस जाने के बाद ये लोग क्या-क्या करते हैं, यह मालूम नहीं है, सरकार ने कैसे उनको वहां पर डायरेक्टर बनाया है? ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, it has not been... ...*(Interruptions)*... Everywhere, there is an Independent Director. ...*(Interruptions)*... Sir, what is.... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Come on. ...*(Interruptions)*... What do you have to say? ...*(Interruptions)*... Now, the Parliamentary Affairs Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, according to the company law....

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Javadekar. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. Joshi.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, Kharge*ji* is a very senior Member. मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि पूरे देश में एक कानून है, उस कानून के हिसाब से हरेक कम्पनी में, लिमिटेड कम्पनी में Independent Directors nominate होता है, उसका appointment होता है, यह simple procedure है। यह procedural aspect है। खरगे साहब, ऐसा हरेक कम्पनी में होता है। कृपया आप बिना basis के allegations नहीं लगाइए।

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Leader of the Opposition.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, बिना basis के उनको डाला है, नॉन ऑफिशियल को डाला है। ऐसा होता है, यह ठीक है। लेकिन एक ही पार्टी के, उनकी कोई qualification appropriate नहीं है, ऐसे लोगों को, आर.एस.एस. के लोगों को चुन-चुनकर डालना जरूरी है क्या? ...(**व्यवधान**)... देखिए, जोशी साहब, आप बात मत करो, मुझे सब मालूम है। आपके सब ज्वाइंट सेक्रेटरी यहां पर बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN: Kharge*ji*. ...*(Interruptions)*... Hon. Leader of the Opposition, through me. ...*(Interruptions)*... I am looking at you and you are looking at him.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, आप ज्यादा उधर देखते हैं, इधर नहीं देखते हैं।

श्री सभापति: आज तो मैं पूरा आपको ही देख रहा हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं सर। आपके नहीं देखने की वजह से मेरी यह हालत हो गई है। सर, एक बात और कहनी है। यहां पर चीन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारी सेनाएं जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। सच्चाई यह है कि हम अपनी ज़मीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह सब अभी एक वीडियो में सामने आया है। इसी महीने चीन के PLA सैनिकों ने पेट्रोलिंग प्वाइंट 35 एंड 36 के पास चारागाह क्षेत्र में एक भारतीय चरवाहे को जाने से रोका। अभी बॉर्डर पर ऐसी स्थिति है। अगर इसको नहीं रोक पाए, तो वे और अंदर आते जाएंगे, जिसके कारण बहुत बड़ा झगड़ा होता रहता है और वहां पर शांति नहीं रहेगी। हमारे द्वारा विश्व की रक्षा करने की बात हो रही है और हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यह कब होगा, कैसे होगा, उसको देखेंगे। हम कब विश्व गुरु हो रहे हैं? आप विश्व गुरु हो जाओ, लेकिन पहले चीन को अपनी सीमा के अंदर मत घुसने दो, पहले पाकिस्तान को आने मत दो। पहले तो भारत में गुरु बनो, फिर विश्व गुरु बनने के बारे में सोचो। अब तो राम टैम्पल के पुजारी बने हैं। Thank you very much. आप के दर्शन किए तो राम के दर्शन हो गए। राम के पुजारी तो पहले आप बने हैं, ठीक है। ...(**व्यवधान**)... आप हमको तो अंदर भी नहीं आने देते हो, पुजारी क्या बनाओगे? चलो छोड़ो, इस बात को मत करो।

सर, मणिपुर में जो घटना घटी, अब तक आप वहां पर विजिट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या secret है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः सर, वह तो आप कह चुके हैं। यह पेपर हो गया है। आप कह चुके हैं। आप मणिपुर को cover कर चुके हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, वह खत्म हो गया।

श्री सभापति : आप मणिपुर को cover कर चुके हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, मैं अभी मणिपुर पर आया हूं। यह बीस है या इक्कीस है, मैं अपने पेपर के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री सभापति : वह कवर हो गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: क्या आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर उनको पुजारी बनाऊं? छोड़िए। ..(**व्यवधान**).. सर, मेरा एक और निवेदन है कि इतने महीनों के बाद भी आप मणिपुर visit नहीं कर रहे हैं। इसका क्या secret है? वहाँ पर लोग तबाह हो रहे हैं, वे तंग हैं, बरबाद हो रहे हैं, उनके घर जल रहे हैं, उनकी मोटर साइकिल्स जल रही हैं और वे एक-दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि शांति है। वहाँ पर परसों ही दो लोग मारे गए हैं। नैक्सलिज्म खत्म हो गया है, जबकि दूसरी ओर तीन दिन पहले छत्तीसगढ़ में दो लोग मारे गए हैं। आप बोलते हैं एक। होता है एक, लेकिन उसको इतनी जोर से डिफेंड करते हैं कि मैं आपसे क्या बोलूं कि * ...(**व्यवधान**).. सर, पिछले दस सालों में एक-एक करके फेडरल स्ट्रक्चर को ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : एक मिनट खरगे जी।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः ठीक है - असत्य। वे असत्य को सत्य करने में प्रवीण हैं। अब हो गया? जो हिंदी मुझे आती है, मैं उसमें बदलाव कर रहा हूं। सर, फेडरल स्ट्रक्चर पर कहूं तो जिस-जिस स्टेट में बाढ़ आई, आपने वहाँ पैसे रिलीज़ नहीं किए, कर्णाटक के आधे भाग में जहाँ ड्राउट है, आपने वहाँ पर भी पैसे नहीं दिए, आप बंगाल में नरेगा का पैसा रिलीज़ नहीं कर हैं, आंध्र प्रदेश में दस साल से स्पेशल कैटेगिरी की मांग हो रही है, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लोग विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन मत करो, इसको पब्लिक सैक्टर में रखो की बात कह रहे हैं, क्योंकि इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप इसको पब्लिक सैक्टर रखेंगे, तो इससे गरीबों का फायदा होगा, लेकिन अगर किसी प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो उन्हें वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्राइवेट लोगों को फायदा होगा और दलित, एससी, एसटी

---

* Expunged as ordered by the Chair.

आदि सब मर जाएंगे। इनमें कम से कम रिज़र्वेशन तो है, ऐसी जगह पर उन्हें कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास को मर जाने दो, कुछ भी होने दो, तो एक न एक दिन 'इंकलाब ज़िंदाबाद' आएगा, क्योंकि एक दिन लोगों की टौलरेंस खत्म होती है। वे देखते है और देख-देख कर एकदम उठते हैं।

महोदय, नीति आयोग के एक सीईओ हैं, उनके वक्त में ही उनका एपोइंटमेंट हुआ था। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने भी भाजपा सरकार के एंटी फेडरल तरीकों का सच बताया था। फाइनेंस कमीशन का हिस्सा कम करने का किस ढंग से दबाव आता है, उसके बारे में भी परसों के पेपर में आया है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप हर चीज़ बहुत बारीकी से देखते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आपने इसको भी अवश्य देखा होगा।

महोदय, मोदी जी द्वारा दस सालों में 142 योजनाएं शुरू की गईं। मैं Annexure-II में देखता हूं।

श्री पीयूष गोयल : शायद स्पीच राइटर अटैच करना भूल गया होगा। ... ..(**व्यवधान**)..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछले दस वर्षों में लगभग 142 योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से लगभग 20 योजनाएं पीएम प्रिफिक्स के साथ हैं। ...(**व्यवधान**)... उस वक्त बोलने में क्या आप सो गए थे? मैं अब जाग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... आप चुप बैठिए।

श्री सभापति : प्लीज़...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछले दस वर्षों में लगभग 142 योजनाओं की शुरुआत की गई। इनमें से लगभग 20 योजनाएं पीएम प्रिफिक्स के साथ हैं, जैसे कि पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना और भी पीएम, पीएम, पीएम है...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... The Parliamentary Affairs Minister wants to say something. ...(*Interruptions*)... Yes, Prahlad Joshi.

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इनकी प्रॉब्लम क्या है? ...(**व्यवधान**)... इनके दस वर्ष में पीएम शब्द से इनकी सारी पार्टी और इनके मुखिया को भी एलर्जी थी। They were allergic to the word 'PM'. That is why they never used to keep the name of the PM. Only one family का नाम रखते थे ...(**व्यवधान**)... अब हम पीएम नाम रख रहे हैं, तो क्या आपको पीएम शब्द से एलर्जी है? ...(**व्यवधान**)... इनको इतना तो जानना चाहिए कि पीएम तो देश के हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is a good point.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : वे प्राइम मिनिस्टर को legal aid दे रहे हैं, उनको देने दो। सर, ये विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर समाज विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं-मैं बोलना बड़ा मुश्किल है, यह अच्छा भी नहीं लगता। अब 10 साल हो गए हैं। सर, आप और हम यहीं राज्य सभा में रहेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को तो इधर-उधर जाना पड़ता है। 1,500 specially equipped vehicles को देश के लगभग 2 लाख, 50 हज़ार विलेजेज़ में भेजा जा रहा है, जिन पर लिखा गया है - मोदी सरकार की गारंटी। आप पीएम की गारंटी बोलिए, इसमें मोदी की गारंटी क्यों लिखा है, क्योंकि वे इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप और भी सुनते जाओ। ये जो गाड़ियां जा रही हैं, उनके अलावा मोदी जी ने अपनी गारंटी के बारे में बहुत कहा। आज तो न्यूज़पेपर में आता है, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर निकालिए - मैं भी 8-10 पेपर देखता हूं, उसमें खास तौर से एडिटोरियल और बीच में जो लिखा होता है, उतना देखता हूं और बाकी के झंझट में नहीं जाता हूं - लेकिन मैं देखता हूं कि ऊपर लिखा हुआ होता है, मोदी जी की यह गारंटी, गैस की गारंटी, उसकी गारंटी, ऐसा उसमें रोज आता है और हम रोज देखते हैं। ...(**व्यवधान**)... आपके पास खूब पैसे हैं, जितना करना है, आप करिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, इंडिया जीतेगा। सर, मेरी गारंटी ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए, मोदी साहब क्या कहते हैं, वह तो सुनो।

श्री सभापति : प्लीज़, खरगे जी...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मोदी जी क्या कहते हैं, वह तो आप सुनिए। मेरी गारंटी मेरी कड़ी मेहनत है - इनकी नहीं है, इनकी है - और दृढ़ता का प्रतिबिंब है। मोदी जी खुद के बारे में बताते हैं। यह उन्होंने कहा है, यह सभी पेपर्स में भी है। मोदी जी कहते हैं - जब भी उम्मीद खत्म होती है, मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। ...(**व्यवधान**)... आप सुन लो। मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी का मतलब है कि वे अकेले ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग हे - हे क्या कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी में हो। एक अकेला इंसान प्रधान मंत्री मैं-मैं कह रहा है और तुम ढोल बजा रहे हो। ...(**व्यवधान**)...मोदी जी ने वाराणसी में कहा कि मोदी की गारंटी सुपरहिट होगी। ...(**व्यवधान**)... और इसी तरीके से ...(**व्यवधान**)... देखिए, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के भाषण करते वक्त जब हम करेंगे, तो आप हमें रोकना नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक सेकंड। खरगे जी, आपके भाषण को इतना शांत रूप से सुना गया है और अभी से आप कह रहे हैं कि यह मत करना। ...(**व्यवधान**)... This is unfortunate, ...(Interruptions)... This is unfortunate. The Leader of the Opposition ...(Interruptions)... one second, Shaktisinh*ji*, do not shout, take your seat. Khargeji, you have been heard in rapt attention. आपने थोड़ा प्रोवोक किया, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। ...(**व्यवधान**)... आप थोड़ा मानिए। आप मेरी बात कभी माना करिए, प्लीज़। मुझे तो डर यह लग रहा है कि आप एनेक्सचर-2 तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एनेक्सचर-1 भूल गए। वह आएगा, तो फिर और लंबा हो जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं, नहीं, मेरे पास पूरे पेपर्स हैं, भूलने का सवाल ही नहीं है।

श्री सभापति : आपने एनेक्सचर-2, एनेक्सचर-1 कह दिया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं खुद ही मेहनत करता हूँ, मैं देखता हूँ और रखता हूँ। अगर आपको नहीं मिलता है, तो वह बात अलग है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए।

MR. CHAIRMAN: Kharge*ji*, you have taken one hour and five minutes.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have got one hour and forty minutes.

MR. CHAIRMAN: Yes, you have. You can take the entire time, no issues.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैंने फैक्ट्स चेक किए कि प्रेसिडेंट के एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, उसको मैं थोड़ा आपके सामने रखूँगा। अभिभाषण में कहा गया कि 2014 के मुकाबले में एयरपोर्ट्स डबल हुए, 74 से बढ़ कर 149 हुए। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप आगे सुनिए। अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, 2014 में कुल 94 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, लोक सभा स्टार्ड क्वेश्चन नं. 113 में 12 दिसंबर, 2014 -- 149 बताए जा रहे हैं -- इसमें 9 हेलिपोर्ट्स और 2 वाटर एयरोड्रोम्स हैं और राज्य सभा के अनस्टार्ड क्वेश्चन में भी यही कहा गया। आपने यह क्या मुद्दा रखा है कि 149 हुए, यह सत्य से दूर है। यह आपने ही दिया है। अगर यह असत्य है, तो आपके ऑफिस की गलती है, आप ठीक करिए और अगर यह सही है, जो मैं मान रहा हूँ, तो ठीक बोलिए।

एक और बात है। मैं एम्स के बारे में बार-बार नहीं बोलूँगा, यह आप सबको मालूम है। फिर मैंने उसका ज़िक्र भी किया, कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने सुना होगा, क्योंकि वे बार-बार गुलबर्गा आते हैं। वे वहाँ पर उतरते भी हैं, जाते भी हैं, घूमते-फिरते भी हैं, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में जाते हैं। उनको वहाँ से बहुत प्रेम है।

दूसरी चीज, 1949 से लेकर अब मैं आपको तीन कॉलम में बताऊँगा कि आपने कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को बार-बार नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें बोलीं और नेहरू जी ने जो काम किया, उसके बारे में आपने कभी प्रशंसा नहीं की, जो देश के लिए जेल गए, देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े और जिन्होंने पंचवर्षीय योजना की नींव डाली, डेमोक्रेसी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। अगर कोई अपोज़िशन का भी था, तो वे उनको इज्जत देते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी सत्यता को छिपाने की बात करते हैं। सर, 1951 में literacy rate 18.3 per cent था, जो 2013-14 में 74 परसेंट हुआ। यह आज कितना है - 77 परसेंट। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। अगर टीका भी करना है, तो आप हमारे भी statistics

पढ़ते जाइए। आप ऐसा कीजिए। यह डेमोक्रेसी है, आप हमारी भी कमियाँ निकालिए, लेकिन सिर्फ जेलसी से बात मत कीजिए। बगैर सोचे-समझे टीका मत कीजिए। नेहरू जी के बारे में - यह नेहरू जी के जमाने की बात है। आप life expectancy की बात देखिए। सर, अगर हम उस वक्त पैदा होते, तो हमारी और आपकी life expectancy सिर्फ 32 years होती, आपकी एज 70 के ऊपर नहीं बढ़ती, मेरी 80 के ऊपर नहीं बढ़ती। उनकी भी 71 तक आयी है। यह नहीं बढ़ती। यह 70 साल तक बढ़ी। यह life expectancy 32 years से बढ़ कर 70 years हुई। अब आपके जमाने में life expectancy 69.27 years हो गई। आप बताइए। यह 9 महीने कम हो गई। दूसरी चीज़ infant mortality की है। 1951 के पहले यह 165 deaths per thousand थी। 2013-14 में 38 deaths per thousand हो गयी, तो यह घटी या बढ़ी? आपके जमाने में यह rate 29 तक आया। इसे 38 तक लाने के बाद भी कहा जाता है कि उस सरकार ने क्या किया! ये सब कुछ किया। प्राइमरी स्कूल्स 1951 से पहले 2 लाख 9 हजार थे और 2013-14 तक 7 लाख 90 हजार स्कूल्स बने। आपके जमाने में स्कूल्स कम हो गए, इसलिए क्योंकि आपने प्राइवेट को ज्यादा प्रोत्साहन दिया और 2021 में ये 7.6 लाख हो गए। Upper primary schools पहले 13,600 थे, 2013-14 में ये 4 लाख हुए और 2023 में 4 लाख 35 हजार हुए। Secondary higher inter junior colleges पहले 7,400 थे, हमारे जमाने में 2014 में 2 लाख 34 हजार हुए, अब 2 लाख 92 हजार हुए। Before 1950, 630 कॉलेजेज़ थे और 2014 तक 36,639 कॉलेजेज़ हुए। ये बढ़े या घटे? आप सब लोग जानते हैं। आप मैथेमेटिक्स में भी बहुत होशियार हैं। उसके बाद अब ये 43,000 हो गए। Sub centres, primary health centres पहले 725 थे, 2014 तक 1 लाख 77 हजार हुए और अब 1 लाख 94 हजार हुए। ...(**व्यवधान**)... पहले 1 लाख 77 हजार थे। 2024 में 1 लाख 94 हजार हो गए। यानी ये लगभग डेढ़-दो हजार बढ़ गए। Net irrigated area - यह किसानों से सम्बन्धित बात है। पहले यह 210 लाख हेक्टेयर था और हमारे जमाने में 2013-14 में 680 लाख हेक्टेयर हुआ। यह बढ़ा या घटा? फिर आपके जमाने में यह 715 लाख हेक्टेयर हो गया। ...(**व्यवधान**)... आपने कुछ नहीं किया - हमने ये काम किये, वह मैं बता रहा हूँ और आपने क्या किया, वह भी बता रहा हूँ। Percentage of rural households - यह पहले 2.2 परसेंट था, 2014 में यह 83 परसेंट था। अब आपने 12 परसेंट बढ़ाया। 2019 में, 99 परसेंट, figure as it is है। यह अपनी अचीवमेंट है, क्या आप इसको भी कंडेम करते हैं? ये आँकड़े हैं। इनको आप मिटा नहीं सकते हैं।...(**व्यवधान**)... आप दूसरी चीजों को मिटा सकते हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं मिटा सकते हैं। आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हैं? अभी 2011 के सेंसस का डेटा है। आप 2021 का सेंसस करवा कर उसका डेटा क्यों नहीं ला रहे हैं? अगर आप इसको लाएँगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोग लिटरेट हैं, हम कितना आगे आए हैं, कितनी ग्रोथ है? आपको इससे ये सारी चीजें मालूम हो जाएँगी। आप इसको 10 साल में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बाकी सारी चीजें करते हैं, लेकिन यह इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आपकी पोल खुल जाएगी। अगर 2021 का सेंसस होगा और उसका डेटा आएगा, तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जब सारी सच्चाई सामने आएगी, तो इससे आपकी पोल खुल जाएगी। महोदय, मैं यह बात इसलिए रख रहा हूँ कि कुछ नहीं किया - आप यह मत बोलिए। हमने इतना कुछ किया है, इसलिए डेमोक्रसी आज देश में जिंदा है और आप भी हैं, नहीं तो आपके पास डेमोक्रसी को बरबाद करने वाले बहुत लोग थे। वे सब ब्रिटिशर्स के पास नौकरी के लिए चले गए थे।...(**व्यवधान**)...

सर, अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। यूपीए के जमाने में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1,087.6 परसेंट था और इस सरकार के काल में यह 426.2 परसेंट है।...(**व्यवधान**)... कृपया पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : खरगे जी, कृपया आप जरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में फिगर बताइए।

श्री मल्लिकर्जुन खरगे : सर, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर का जो इन्वेस्टमेंट आता है।

श्री सभापतिः आप यह बताइए कि यह पहले कितना था और अब कितना है?

श्री मल्लिकर्जुन खरगेः सर, मैं वही बता रहा हूँ। यूपीए काल में यह 1087.6 परसेंट था और अब यह 426 परसेंट है।...(**व्यवधान**)... आप यह कह दीजिए कि यह गलत है।...(**व्यवधान**)... दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 302.3 परसेंट था और अब यह 142 परसेंट है। पर कैपिटा जीडीपी 244.7 परसेंट था और वह अब 119 परसेंट है। ये जो आँकड़े हैं, इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ।

श्री सभापति : आप इसको रख दीजिएगा। यह ठीक रहेगा।

श्री मल्लिकर्जुन खरगे : सर, मैं यही नहीं, बल्कि सारी चीजों को रख देता हूँ।

श्री सभापति : बिल्कुल ठीक है।

श्री मल्लिकर्जुन खरगे : सर, यह कार्यवाही का हिस्सा बन जाएगा।

सर, दूसरी बात यह है कि मैंने मोदी साहब की गारंटी को पढ़ा और मैंने उन सारी चीजों के बारे में बताया कि उसमें किस ढंग से काम चल रहा है। मैं आखिर में दो चीजें बताऊँगा। पहले मैं पॉलिटिकल अपोजिशन के बारे में बताता हूँ। अब अपोजिशन पार्टी से इस सरकार को एलर्जी है। जिसको देखो, उसको अंदर डालो। ईडी, इनकम टैक्स... जिसको अंदर लाओ, उसको वाशिंग मशीन में डालो। उसके बाद वह क्लीन हो जाता है और उसको राज्य सभा में लाया जाता है। दस साल में तोड़-फोड़ के माध्यम से 411 एमएलएज़ इधर से उधर हो गए। सरकारें गिराई गईं, सरकारें बनाई गईं। क्या आपकी यह नीति ठीक है? क्या आप इसको ठीक मानते हैं? ...(व्यवधान)... जो हमारी पार्टी में रहता है, वह करप्ट है और जब वही आपकी पार्टी में जाता है, तो दूसरे ही दिन वह अच्छा बन जाता है।...(व्यवधान)... उसका केस रुक जाता है, निकाला जाता है और उसको प्रोटेक्शन मिलती है। जो आपकी बात नहीं सुनता है, उसको आप जेल भेज देते हैं और जो आपकी बात सुनता है, उसको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं - यह आपकी नीति है और आप हमको बोल रहे हैं कि पाठ सिखाते हैं कि डेमोक्रसी को यह करें, वह करें। देखिए, आप सबको पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन यह नीति आप ही की है। हम यहाँ पर कुछ बोलते हैं तो उसके

खिलाफ हिन्दू-मुसलमान लाते हैं। आज़ादी से पहले तो आपकी पार्टी ने, जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ तीन स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाई थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयलः सर, जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। ...(**व्यवधान**)... इनको कुछ जानकारी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप अम्बेडकर की 'Thoughts on Pakistan' पढ़िए और उनकी जो दूसरी किताबें हैं, वे भी पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा।

श्री सभापतिः खरगे जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, हमारा इतना बड़ा शरीर है, मगर मैं देख रहा हूँ कि जो मुझसे पतले हैं, आप उनको देख रहे हैं। नेहरू जी के संग्रहालय का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? वाजपेयी जी, जो विपक्ष के नेता थे, जब वे प्राइम मिनिस्टर बने और शायद कैबिनेट रूम में या कहीं और गए, तो उन्होंने फौरन स्टाफ को बुलवाया और पूछा कि यहाँ तो नेहरू जी की फोटो लगी हुई थी, वह कहाँ है? तब किसी ने कहा कि सर, अब गवर्नमेंट बदल गई है। इस पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बदल गई है तो क्या हुआ, वे तो पहले प्रधान मंत्री हैं, उनकी फोटो लेकर आइए और यहाँ लगाइए। आप कम से कम अटल बिहारी जी की तो सुनिए! ...(**व्यवधान**)... यह बीजेपी नहीं है। बीजेपी है, तोड़-फोड़ सरकार। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जब इलेक्शन के वक्त आडवाणी साहब और अटल बिहारी साहब गुलबर्गा आते थे, तो हम अपना रूम छोड़कर, उसको वैकेट करके उनको देते थे, हालांकि तब हम मिनिस्टिर थे। चूंकि उनमें हमारे थोड़े दोस्त थे, जो कि हमारे पहले के क्लासमेट्स थे और वे हमारे पास आकर रिक्वेस्ट करते थे कि आपका तो यहाँ घर है, आप घर जाइए और यह ऐवानशाही छोड़ दीजिए। इसी तरह, चन्द्रशेखर जी की भी कुछ यादें हैं। यहाँ पर उनके बेटे नीरज जी हैं, जो रूठकर बहुत बातें करते हैं। उनके पिताजी और मुझे सन् 1970 में अरेस्ट किया गया था। वीरेन्द्र पाटिल जी, जो कि हमारे घर के बाजू में ही रहते थे, उन्होंने हमें अरेस्ट करवाया था। चन्द्रशेखर जी हमारे यहाँ चार बार आए हैं। तब चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत और अर्जुन अरोड़ा, ये सब लोग प्रचार के लिए निकले थे। हम लोग मिल-जुल कर बहुत से काम करते थे, जबकि यहां सब दुश्मनी से, हर चीज़ दुश्मनी से -- अगर देश ऐसे चलाने की कोशिश की जाए तो यह really देश और डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है।

दूसरी चीज़, आप इस सदन को प्रोटेक्ट करने में भी फेल हो गए। यह तो लोकशाही का टेम्पल है, इसको प्रोटेक्ट करने में भी आप फेल हो गए। सर, मैं आपको बताता हूँ कि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अनुसार जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमें इलेक्ट्रिक करंट लगाकर, मारकर, धमकाकर हमसे कह रहे हैं कि फलां-फलां पार्टी का नाम लो। मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ, जो सदन में कूदे थे और उन्होंने यह एफिडेविट दिया है। तो यह है सदन की सुरक्षा! जो लोग जनता से चुनकर आते हैं, जब उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा होता है, तो आप याद रखिए कि आप किस-किसको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? दूसरी चीज़,

अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैंने जो कुछ कहा है, उसका उत्तर हमारे प्रधान मंत्री जी देंगे। खासकर मेरे पिछले पन्नों से जो हमने लिया, रिज़र्वेशन के बारे में, किसानों के बारे में, फिर inflation, unemployment के बारे में लिया, इनके बारे में वे ज़रूर बोलेंगे। मैं अंत में यह भी कहता हूं कि झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड में आपने एक को ईडी के केस में बुलाकर अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, गवर्नर के पास गए, गवर्नर के पास जाकर अपना राज़ीनामा दिया, जो एक्सेप्ट हुआ। राज़ीनामा एक्सेप्ट होने के बाद वहां 43 लोग बस में बैठे हुए थे, उनके सिगनेचर लेकर दिये गये। तब उन्होंने यह भी नामांकित किया कि चंपई सोरेन को पार्टी की तरफ से लीडर बनाएंगे। आदिवासी नेता देने के बाद भी वहां के गवर्नर बोले कि मैं इस पर सोचता हूं, आपके पास संख्या बल नहीं है। महोदय, वे लोग वहां बस में संख्या बल लेकर बैठे हुए थे। दूसरे दिन फिर वे जाकर मिले और बोले कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है। तब उनको बोला गया कि कल आप साढ़े बारह बजे ओथ ले लीजिएगा। फिर बोले कि मैं आपको विश्वास मत साबित करने के लिए 8-10 दिन के बाद की डेट देता हूं। सर, यह अपोज़िशन के लिए है और आप क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने बिहार में राज़ीनामा दिया, जो 15 मिनट में स्वीकार हुआ, उनको शपथ लेने का समय भी दिया गया, उन्होंने उसी वक्त अपना कैबिनेट भी फॉर्म किया। सर, एक का सब काम आधे घंटे में होता है और यहां एक ही पार्टी का बहुमत होते हुए, एक ही महागठबंधन का बहुमत होते हुए उनके साथ ऐसा होता है। Is this democracy? Is this democracy? यह भी ट्राइबल का आदमी है। रिज़ाइन करने वाला भी ट्राइबल है, शपथ लेने वाला भी ट्राइबल है। यदि आप इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो डेमोक्रेसी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप बुरा न मानें, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी इसे आखिरी इलैक्शन डेक्लेयर करते हैं। इसके बाद इलैक्शन नहीं होंगे। वे बोलेंगे कि मैं इतना popular हो गया हूं, डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही नहीं है। इससे यह दिखाई दे रहा है। सर, जो 16 घंटे में पलट मारते हैं, आप लोग उस पलटू राम को सपोर्ट करते हैं। जो सीधे-सीधे आपके पास आता है, उसको आप नकारते हैं, यह ठीक नहीं है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ईडी, इनकम टैक्स बोल-बोल कर थक गए, वे इसको मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास डराना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। हम देश का विकास चाहते हैं, उनका ऐसा कहना है। हम भी देश का विकास चाहते हैं। मैं कभी विकास के लिए किसी को discriminate नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि जोशी साहब भी यह मानते हैं। किसी को पूछो या न पूछो, हम हर एक की मदद करते थे। हमारा एम यह है कि अगर डेवलपमेंट हुआ, सड़क बड़ी हुई, तो क्या मेरे ही लोग उस पर चलेंगे? रेल चली, तो क्या मेरे ही लोग उस पर सफर करेंगे, कोई हॉस्पिटल बना तो क्या मेरे ही घर के पेशेंट जाएंगे। अगर यह सोच होगी, तो देश विकसित होगा, नहीं तो मेरा, मेरे लिए और हमारे लिए, इतना ही बोल कर चलेंगे तो सर्वजन-सुखाय कहां होगा? मैं तो यह बोलता हूं कि बहुजन-सुखाय, बहुजन-हिताय की बात करो।

यह तो बुद्ध का कहना है और बुद्ध को ही राम का आठवां अवतार मानते हैं। मुझे सही से मालूम नहीं है। विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं। उसका भी कहीं पर नामो-निशान नहीं है। उनका कहीं पर स्तूप नहीं बन रहा है।

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसलिए ही बोला। आप नौवें अवतार की पूजा करो। अगर नौवें अवतार की पूजा करेंगे, तो आपके दिमाग में scientific thinking आ जाएगी। मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप ठीक बोल रहे हैं। अगर ऐसे लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो बीजेपी ठीक हो जाएगी। सर, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि गरीब और कमजोर तबकों को न्याय मिले, यह हमारी नीति है, जिस पर हम चलते रहेंगे। आप कितनी भी उपेक्षा करें, हम यह सवाल उठाते रहेंगे। आखिर में मैं यह कहूंगा -

'मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए
मेरी हर सांस बंदगी के लिए
मैं हवा के खिलाफ चलता हूं
सिर्फ इंसान की खुशी के लिए।'

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने इस बार मुझे शांति से सुना।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, as per the List of Business, at 3.30 p.m., the Private Members' Legislative Business will be taken up. So, only three minutes are left. My Party has allotted me 24 minutes. So, kindly allow me to speak on Monday.

MR. CHAIRMAN: I think it is fair enough.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it cannot be a truncated speech.

MR. CHAIRMAN: No, no; it is fair enough, very reasonable. As usual, you are very reasonable. I was thinking that if Kharge*ji* could have taken another few minutes, the time of his Party would have been over. But he has left about seven-eight minutes for others.

श्री प्रमोद तिवारी: एलओपी के बोलने का टाइम अलग है और पार्टी का टाइम अलग है। आप एलओपी के टाइम को पार्टी के टाइम से अलग करें। एलओपी को बोलने का अधिकार है, लीडर को बोलने का अधिकार है।

MR. CHAIRMAN: How many times will I have to decide?

श्री प्रमोद तिवारी : सर, इसको पार्टी टाइम से बाहर रखिए।

PRIVATE MEMBERS' BILLS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, Private Members' Business Bills for introduction. मुझे लगातार डर लग रहा था कि कहीं आप Annexure 1 पर न आ जाएं।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Private Members' Business Bills for introduction.

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2022 (amendment of section 62); Shri Iranna Kadadi to move for leave to introduce the Bill. Shri Iranna Kadadi; not present. The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (insertion of new article 21B); Shri Iranna Kadadi to move for leave to introduce the Bill. Shri Iranna Kadadi; not present.Then, the Right of Children to Free, Compulsory and Quality Education (Amendment) Bill, 2023; Shri Iranna Kadadi to move for leave to introduce the Bill. Shri Iranna Kadadi; not present. The Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Superstitious Practices Bill, 2022. Shri Binoy Viswam; not present. The Constitution (Amendment) Bill, 2023 (amendment of articles 58, 66, 72 etc.). Shri Binoy Viswam; not present. The Constitution (Amendment) Bill, 2024 (amendment of Eighth Schedule). Shri Binoy Viswam; not present.

The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022. Shri A.A. Rahim.

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI A.A RAHIM: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2023 (amendment of article 371A)

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI A.A RAHIM: Sir, I introduce the Bill.

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2023

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI A.A RAHIM: Sir, I introduce the Bill.

The Kashmiri Pandits (Recourse, Restitution, Rehabilitation and Resettlement) Bill, 2022

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for social, political and economic rehabilitation of Kashmiri Pandits, protection of their property, restoration of their cultural heritage, ensuring their safety and security, provision of rehabilitation and resettlement package to them and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, I introduce the Bill.

The Witness Protection Bill, 2023

SHRI S. NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide adequate protection and assistance to witnesses in criminal cases and to establish a procedure and mechanism to provide such protection and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S. NIRANJAN REDDY: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The National Commission for Fishermen (Welfare and Support) Bill, 2023. Shri Beedha Masthan Rao Yadav; not present.

The Maternity Benefit for Women in the Unorganised Sector Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Maternity Benefit for Women in the Unorganised Sector Bill, 2023. Shri K.R. Suresh Reddy.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide state-sponsored maternity benefits to women working in the unorganized sector by establishing a National Maternity Benefit Welfare Board, Maternity Benefit Fund etc., and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, I introduce the Bill.

The Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2023

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The National Committee for Protection of Media Persons Bill, 2023. Shri Mohammed Nadimul Haque; not present. The Surrogacy Laws (Amendment) Bill, 2023; Shri Mohammed Nadimul Haque -- not present. The Indian Standard Time (Adoption and Regulation of Dual Time Zones) Bill, 2023; Dr. Amar Patnaik -- not present. The National Emissions Trading System (Reduction and Prevention of Greenhouse Gas Emissions) Bill, 2024; Dr. Amar Patnaik -- not present. The National Carbon Accounting Bill, 2024; Dr. Amar Patnaik -- not present. The Artificial Intelligence (Protection of Rights of Employees) Bill, 2023; Shrimati Mausam Noor -- not present. The Deepfake Prevention and Criminalisation Bill, 2023; Shrimati Mausam Noor -- not present.

The Information Technology (Amendment) Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Information Technology (Amendment) Bill, 2023; Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, I introduce the Bill.

The Public Service Integrity Bill, 2023

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of appointments of retired persons in various Government, Constitutional, Statutory bodies, etc., by adhering to the mandatory cooling off period post-retirement and for the establishment of a Regulatory Authority and Review and Exemption Committee for granting exemptions in certain cases and for matters connected and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, I introduce the Bill.

The Elder Persons (Care and Protection) Bill, 2024

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of rights of elder persons to lead a life with dignity and financial autonomy, free from abuse, neglect and exploitation and provision of specialized care to them by framing a holistic national policy for their welfare, development and protection and those of their caregivers and establishing a National Commission and State Commissions for Elder Care at the National and State levels and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2023 (substitution of article 155, insertion of new article 156A and substitution of articles 200 and 201)

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I introduce the Bill.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Amendment Bill, 2024

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The question was put and the motion was adopted.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I introduce the Bill.

The Indian Contract (Amendment) Bill, 2024

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Contract Act, 1872.

The question was put and the motion was adopted.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I introduce the Bill.

The Representation of People (Amendment) Bill, 2024 (insertion of new sections 127B to 127D)

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I introduce the Bill.

The Indian Media Services (Regulation and Licensing) Bill, 2024

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the regulation and licensing of media services and facilitate development of free and independent media services in the country by establishing an independent authority to be known as the Indian Board of Media Services and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. V. SIVADASAN: Sir, I introduce the Bill.

The National Commission for Protection from Honour Crime Bill, 2024

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for protection from honour crime by establishing a National Commission for Protection from Honour Crime and prescribing punishments for honour crime and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. V. SIVADASAN: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2024 (amendment of article 361)

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2024 (amendment of articles 15 and 16)

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Special Marriage (Amendment) Bill, 2024. Shri V. Vijayasai Reddy to move for leave to introduce the Bill; not present.

The National Food Security (Amendment) Bill, 2024

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the National Food Security Act, 2013.

The question was put and the motion was adopted.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I introduce the Bill.

The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2024

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

The question was put and the motion was adopted.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I introduce the Bill.

The Prevention of Fraudulent Calls Bill, 2024

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I to move for leave to introduce a Bill to amend certain enactments to prevent fraudulent calls in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I introduce the Bill.

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2024 (amendment of sections 86 and 116A)

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI A.D. SINGH : Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri R. Girirajan to move for leave to introduce the Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2024. He is not present.

***The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 153 and substitution of articles 155 and 156)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 153 and substitution of articles 155 and 156).

We shall take up further consideration of the following motion moved by Dr. V. Sivadasan on 9th December, 2022:-

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

On 8th December, 2023, Shri Naresh Bansal had not concluded his speech while participating in the discussion on this Bill. Shri Naresh Bansal - not present. Dr. M. Thambidurai - not present. Now, the hon. Minister.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार): आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए इस बिल को प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में लेकर आए थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद और सदन को यह कहना चाहता हूँ कि जब देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश की संविधान सभा ने इस देश का संचालन कैसे हो, हर दृष्टि से प्रत्येक ऐसी बात पर जो हमारी संघीय व्यवस्था को मजबूत करे, उस पर चर्चा की और उसी चर्चा के दौरान यह बात भी बहुत प्रमुखता से आई थी कि राज्यपाल निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिए। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी। इसमें अंत में संविधान सभा ने यह स्वीकार किया था कि इस पद पर भारत सरकार द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरा जाना बेहतर होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, केन्द्र

* Further consideration continued on a motion moved on 9th December, 2022.

और प्रान्तों के बीच जो संबंध है, उसमें एक मजबूत कड़ी है। राज्यपाल के माध्यम से हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, वह प्रान्तों के हितों के संबंध में अच्छी तरह से व्यवस्थाएँ कर सकती है। आम तौर पर यह माना जाता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया के रूप में काम करते हैं और जैसी हम सबको जानकारी है कि पार्लियामेंट का रूप ही लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति को मिलाकर पूरा होता है, उसी दृष्टि से जहाँ राष्ट्रपति की बहुत प्रमुख भूमिका होती है, वैसे ही राज्यपालों की भी प्रदेशों के लिए प्रमुख भूमिका होती है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him speak. ...

श्री अजय कुमारः आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको उसका उत्तर दूँगा।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप चेयर को सम्बोधित करें। आपस में बात नहीं करें।

श्री अजय कुमारः माननीय उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, he is ready to yield. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply. *...(Interruptions)...* John Brittas ji, please take your seat. Let him reply. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमारः माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी स्पीच पूरी कर लूँ, उसके बाद अगर आप अनुमति देंगे, पीठ का जैसा आदेश होगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सक्षम हूँ। ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: Thank you very much, Sir. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री अजय कुमार : महोदय, जैसा मैंने कहा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपके बोलने के बाद इस बिल के mover, डा. वी. शिवादासन बोलेंगे।

श्री अजय कुमार : महोदय, आप जैसी भी व्यवस्था देंगे, मैं वैसा करूँगा।

श्री उपसभापति : रूल्स बने हुए हैं। *...(Interruptions)...* Dr. Brittas, it is not going on record. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार : मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं पीठ से कह रहा हूँ कि पीठ की जैसी व्यवस्था होगी - मैं पीठ से कह रहा हूँ, मैं सीधे आपसे नहीं बोल रहा हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, rules and procedure are very clear. We will follow it.

श्री अजय कुमार : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने अपने बिल के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 153, 155 और 156 में संशोधन के लिए अनुरोध किया है। वास्तव में यह हमारे संघीय ढाँचे के खिलाफ है। अगर इस तरह के संशोधनों को स्वीकार किया जाता है, तो संविधान सभा के द्वारा जो व्यवस्था बनायी गयी थी, उस व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाएँ बनती हैं। इस दृष्टि से वे यह जो बिल लाये हैं, मैं यह समझता हूँ कि यह सदन बहुमत के साथ उसको अस्वीकृत करेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय संस्थाओं के लिए जो व्यवस्थाएँ बनायी गयी थीं, उसी दृष्टि से पार्लियामेंट का एक रूप दिया गया कि पार्लियामेंट का पूरा स्वरूप यह होगा कि लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट होता है। जब उसमें यह विषय आया कि लोक सभा के माध्यम से लोगों की भावनाओं के विषय में उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर उठायी जा सकें, उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप शासन चल सके, तो उस दृष्टि से जहाँ लोक सभा की बड़ी भूमिका होती है, वहीं राज्य सभा राज्यों की सभा होती है। राज्यों में जो जनप्रतिनिधि हैं, वे राज्य सभा के सदस्यों को इसीलिए वहाँ से चुन कर राज्य सभा में भेजते हैं। अभी जैसी व्यवस्था है, उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन आम तौर पर संविधान की जो मंशा थी, वह मंशा यह थी कि राज्य सभा में जिन राज्यों से चुन कर सदस्य आयें, वे हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, हमारे जो लोग लोक सभा में हैं, वे जनाकांक्षाओं के अनुरूप जो बिल्स लायें, उनकी समीक्षा उनको करनी चाहिए कि अपने राज्यों के हित में वे कैसे हैं। उनकी पार्टीगत जो भी प्रतिबद्धताएँ हों, उनसे ऊपर उठ कर उन्हें राज्य के लिए सोच कर काम करना चाहिए। इसलिए राज्य सभा के सदन के बारे में यह कहा जाता है कि लोक सभा से बिल के पारित होने के बाद उसे राज्य सभा में आना चाहिए। उसके बाद वह बिल जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वह इसी दृष्टि से जाता है कि राष्ट्रपति उसमें यह देखते हैं कि वह हमारे देश के प्रतिकूल तो नहीं है। इस तरह कुल मिलाकर पार्लियामेंट की जो भावना होती है, वह यह होती है कि लोगों के साथ-साथ संघ में शामिल हमारे प्रदेशों और राष्ट्र - इन सारे लोगों के हित में ही कोई बिल हमारी पार्लियामेंट से पास हो और लोगों के हितों के अनुरूप वह काम करे। उसी दृष्टि से संविधान सभा में, हमारा जो संघीय ढाँचा है, उसमें राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति के विषय में जब यह बात कही गयी, तो यह बात उभर कर आयी कि राज्यपालों को कैसे नियुक्त किया जाए। कई लोगों ने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि राज्यपालों का जो चुनाव हो, उनको निर्वाचित किया जाए, लेकिन संविधान सभा में सारे विद्वानों ने बहुत लम्बी चर्चा करने के बाद एकमत होकर यह तय किया कि चुने हुए व्यक्ति से - अगर हम उसको चुनते हैं, तो राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों के बीच न केवल प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध होंगे, बल्कि वह व्यक्ति किसी न किसी दल के प्रति समर्पित हो जाएगा,

जबकि संविधान ने यह अपेक्षा की थी कि राज्यपाल की, जो पार्टीगत प्रतिबद्धताएँ हों, उनसे ऊपर उठ कर वह निष्पक्ष रूप से यह देखे कि उस राज्य के हित में क्या है और राज्य से केन्द्र के सम्बन्ध किस तरह के हों। उस दृष्टि से राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर चुने जाते हैं। उन्होंने अपने संविधान संशोधन बिल में अनुच्छेद 153 में यह कहा है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। यह निश्चित रूप हमारे संघीय ढांचे के प्रतिकूल होगा। अगर इस तरह से व्यक्ति को चुना जाता है, तो वह अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण, जहाँ से वे चुनाव जीत कर आते हैं, उस दृष्टि से वे अपने निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किए जाने से सीधे-सीधे प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के बीच में एक बेहतर संवाद स्थापित होता है, बेहतर संबंध स्थापित होता है और राज्यों की स्थितियाँ जो हैं, उन राज्यों के हितों में राज्यपाल निष्पक्ष रूप से पार्टी से ऊपर उठ कर अपना निर्णय लेते हैं, जिससे राज्य और राज्य के लोगों को फायदा होता है। उस दृष्टि से उस समय की संविधान सभा ने यह तय किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 1956 में एक संविधान संशोधन आया था। सातवाँ संविधान संशोधन 1956 में आया था। पहले संविधान के अनुच्छेद 153 में यह था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उन्होंने इसमें भी कहा कि 'परन्तुक' हटा दिया जाए। 1956 में सातवें संविधान संशोधन के द्वारा यह लाया गया था और इस अनुच्छेद में यही बात कही गई है कि यह एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। मेरे ख्याल से उस समय इस तरह की कोई समस्या आई होगी कि किसी राज्य में किसी कारण से राज्यपाल नहीं होंगे और राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई होगी, इसलिए उस दृष्टि से 1956 में संविधान में इस तरह का संशोधन लाया गया होगा कि एक ही व्यक्ति को दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सके। यह संघीय ढाँचे को बनाने के लिए और एक सुविधाजनक व्यवस्था बनी रहे, उस दृष्टि से 1956 में यह 'परन्तुक' जोड़ा गया था। वे इसके लोप की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है और उससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला है।

महोदय, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 155 में संविधान संशोधन के लिए कहा है। इसके तहत यह है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ की जाती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। उन्होंने इसके लिए कहा है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाए, बल्कि इनका चुनाव हो। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का चुनाव राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा किया जाए। यह तो एक तरह से जैसे सरकार चुनकर आती है, विधायक का चुनाव होता है, मुख्य मंत्री चुने जाते हैं, वहाँ के मंत्री चुने जाते हैं, प्रदेश की सरकार चुनी जाती है, वैसे ही हो गया। अगर ऐसा होगा, तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई चुना हुआ मुखिया होगा, तो उसको तो हम ऐसी ही दृष्टि से देखेंगे, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है। इस तरह से वह उस सरकार के ऊपर बड़ा पद हो जाएगा और यह हमारे संघीय ढाँचे के लिए ठीक नहीं है। माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से राज्यपाल का चुनाव कराना चाह रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से हमारे संविधान के लिए भी ठीक नहीं है और संघीय ढाँचे के लिए भी ठीक नहीं है।

उन्होंने तीसरा जो संशोधन दिया है, वह अनुच्छेद 156 में संशोधन के लिए दिया है। इस संबंध में संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा जो कहा जाएगा, उसके

अनुसार वे अपने पद को ग्रहण करेंगे। अगर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और उसके बाद अगर वे बीच में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह व्यवस्था है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं।

इस अनुच्छेद का तीसरा भाग यह है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन राज्यपाल उस तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है, बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहता है, जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है। यह एक समुचित और सुव्यवस्थित तरीका है। लेकिन, अभी उन्होंने संविधान में संशोधन के संबंध में कहा है कि राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख के पाँच साल की अवधि के लिए तब तक पद धारण करेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसके सापेक्ष इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति की इच्छानुसार , राष्ट्रपति के कहने के अनुसार ,राष्ट्रपति के आदेशानुसार ,राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा , तो यह पूरी तरह से अनुच्छेद 156 के खिलाफ भी है और हमारे संघीय ढांचे के अनुकूल भी नहीं है।

दूसरा, हमने कहा है कि राज्यपाल अगर चाहें तो वे अपने पद को छोड़ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि राज्यपाल राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से युक्त पत्र के माध्यम से लिखित रूप में अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल संवैधानिक रूप से प्रदेश का मुखिया होता है। यदि वह विधान सभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है और यह बहुत हास्यास्पद भी है कि कोई राज्यपाल विधान सभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे। विधान सभा के अध्यक्ष को तो इस्तीफा चुनी हुई सरकार के लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसके जो विधायक होते हैं या जो दूसरे दल के होते हैं, वही देते हैं, बाकी उनका मुखिया अपना त्यागपत्र राज्यपाल को जाकर देता है। जो मुख्य मंत्री होता है, उसको अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देना होता है। यदि उसे अपने किसी मंत्री को हटाना है या किसी मंत्री को शपथ ग्रहण कराना है, तो इसके लिए भी वह राज्यपाल के पास जाता है। उस दृष्टि से इस अनुच्छेद में वे जो व्यवस्था चाह रहे हैं, वह पूरी तरह से प्रतिकूल है।

उन्होंने संविधान में संशोधन के विषय में तीसरी बात यह कही है कि अगर विधान सभा चाहे, तो वह दो-तिहाई बहुमत से राज्यपाल को उसके पद से हटा दे। यह भी एक तरीके से हमारे संविधान के एकदम खिलाफ है। माननीय राष्ट्रपति जी का जो आदेश होता है -- सॉरी सर, बीच में फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। उन्होंने यह बोला है कि माननीय राज्यपाल के खिलाफ अगर वे चाहें तो राज्य विधान सभा में दो-तिहाई बहुमत से उनको उनके पद से हटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 153 का सीधा उल्लंघन हो जाएगा, जिसमें हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब राज्यपाल की नियुक्ति उनके द्वारा की जाए और 156(2) में, जैसा कि उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपना त्यागपत्र माननीय विधान सभा अध्यक्ष को देना चाहिए, तो उन्होंने क्या सोचकर यह कहा है, मैं उस बात की व्याख्या में नहीं जाऊंगा। इसी से संबंधित उन्होंने दूसरी बात यह कही कि दो-तिहाई बहुमत के माध्यम से हम इस तरह से इसको लेकर आए हैं।

माननीय उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ये तीनों संविधान संशोधन दिए हैं, ये वास्तव में हमारी सोच के भी खिलाफ हैं तथा हमारी जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है और हमारा जो एक बहुत खूबसूरत संविधान बनाया गया था, ये उसके खिलाफ भी हैं। जब 1950 में

हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उससे पहले 11 सत्रों में 165 दिन तक इस पर लगभग 400 विद्वानों ने निरंतर चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद एक-एक अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए बताया था कि यह हमारे देश के लिए किस तरह से उचित होगा और उस तरह से उन्होंने इस संविधान की व्यवस्था की थी। 26 जनवरी, 1950 को यह संविधान हमारे देश में जैसे ही लागू हुआ, पूरी दुनिया के लोगों ने इस संविधान की बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए यह कहा कि भारत के संविधान में वास्तव में लचीलापन भी है और लचीलेपन के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं, जिनके माध्यम से यह देश अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने जिस तरह से ये व्यवस्थाएं की थीं, उनमें आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, उनमें भी स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुच्छेद 51 के माध्यम से तय होंगे और अनुच्छेद 37 से 50 के माध्यम से यह तय होगा कि हमारे देश में कैसी व्यवस्थाएं हों। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्व भी लिखे गए हैं। हमारे संविधान का जो चौथा अध्याय है, जिसमें अनुच्छेद 51 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें भी विस्तार से यह बताया गया है कि सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका है और साथ ही, अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हों, इसके बारे में भी बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इस तरह से पूरा व्यवस्थित है, जिसमें बहुत ज्यादा संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। यह बात अलग है कि हमारे देश की जो लोक सभा और राज्य सभा है, चूंकि उनको इसमें ऐसा अधिकार प्राप्त है, इसलिए कई मौकों पर संविधान संशोधन भी हुए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कई बार तो बड़े आश्जर्यजनक संशोधन हुए हैं। अगर हम लोग बात करें तो देश में जब वर्ष 1950 में संविधान बना, उसी दौरान हमारे देश में एक वैकल्पिक सरकार बनी थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधान मंत्री बने थे, उस दौरान दो अखबारों ने, एक ऑर्गनाइज़र था, दूसरा हमारा crossroad अखबार था। उन दोनों अखबारों में आलोचना होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1951 में उन अखबारों को प्रतिबंधित किया था। वे अखबार कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने उनके प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि पहले आम चुनाव से पहले ही हमारे देश में संविधान संशोधन तत्कालीन सरकार के द्वारा लाया गया था, सिर्फ इसलिए लाया गया था कि लोगों के बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके या उसको प्रतिबंधित किया जा सके। ऐसे अनेक संशोधन हुए हैं। हम लोगों को वह काल भी याद है, जब इस देश में 39वां संविधान संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन केवल उस समय की प्रधान मंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए हुआ था। 12 जून, 1975 को प्रयागराज हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था, उस निर्णय के द्वारा रायबरेली का चुनाव अवैध घोषित किया गया था, चुनाव को अवैध घोषित करने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को बदलने के लिए 7 अगस्त, 1975 को लोक सभा में एक बिल पारित किया गया और उसके द्वारा प्रधान मंत्री की जांच नहीं हो सकती, प्रधान मंत्री के पद को न्यायिक समीक्षा में नहीं लाया जा सकता, ऐसा बिल पास किया गया और 8 अगस्त, 1975 को राज्य सभा में वही बिल दोबारा पारित करके प्रदेशों के लिए भेजा गया। 9 अगस्त को इस देश की 17 विधान सभाओं में उस बिल को पारित किया गया, उनकी सहमति ली गई और 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर लिए गए और 10 अगस्त को ही वह गजट भी कर दिया

गया था। इस तरह से भी इस देश में संविधान संशोधन हुए हैं। एक महिला को गुज़ारा भत्ता न देना पड़े, इसके लिए भी इस देश की लोक सभा और राज्य सभा ने संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन वहीं पर लगातार संविधान संशोधन होते जाएं, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन हमने केवल 8 संविधान संशोधन किए हैं, उन 8 संविधान संशोधनों को आपकी अनुमति से मैं यहां बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया, वह न्यायिक सेवाओं में एक आयोग के गठन के लिए किया था - न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए एक आयोग बने, उसके गठन के लिए हमने पहला संविधान संशोधन किया था। फिर हमने दूसरा संविधान संशोधन किया। हमने बंगलादेश की सीमाओं के साथ 40 वर्ष से अधिक समय से जो विवादित क्षेत्र था, उस क्षेत्र के गावों का परिवर्तन एक-दूसरे से हो सके, उनके नागरिक किसी एक देश के नागरिक बन सकें, उनको नागरिकता प्रदान की जा सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने दूसरा संविधान संशोधन किया था। हमारी सरकार ने जो तीसरा संविधान संशोधन किया, वह देश में एक टैक्स, एक देश बनाने के लिए, जीएसटी लागू हो, उसके लिए हमारी सरकार ने तीसरा संविधान संशोधन किया था। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौथा संविधान संशोधन किया था। पहले यहां पिछड़ा वर्ग की बहुत बातें होती थीं, बहुत सारे लोग चर्चा भी करते थे, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने यह चिंता नहीं की थी कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौथा संविधान संशोधन किया था। महोदय, गरीब तबके के वे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन लोगों को आर्थिक आधार पर स्कूली शिक्षा से लेकर नौकरियों तक में 10 परसेंट रिज़र्वेशन दिया जाए, इसके लिए हम 5वां संविधान संशोधन लेकर आए थे। छठा संविधान संशोधन इसलिए लेकर आए थे कि राज्यों में और लोक सभा में जो हमारी रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं। उन रिजर्व्ड सीट्स का कार्यकाल 25 January, 2020 को खत्म हो रहा था। 25 जनवरी, 2020 को उनकी reserved seat का जो quota होता है, वह समाप्त होने वाला था। हमारा जो छठा संविधान संशोधन था, उसको हम इसलिए लेकर आए थे कि राज्यों में और लोक सभा में reserved सीटें, आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बनी रहें। हमने उसमें Anglo Indian का लोप कर दिया था। Anglo Indian के लिए जो सुरक्षित सीटें थीं, उनको हटा दिया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीट्स का reservation 10 साल तक वैसे ही बरकरार रहे, उसके लिए हम छठा संविधान संशोधन लेकर आए थे। हम सातवां संविधान संशोधन इसलिए लेकर आए थे, क्योंकि राज्यों को हमने एक अलग से अधिकार दिया था। राज्यों को उनके अधिकार को बहाल करने के लिए कि वे अपने प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को चिन्हित कर सकें और उनके लिए उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए, उस दृष्टि से व्यापक परिवर्तन कर सकें, उसके लिए उनके अधिकार को बहाल करने के लिए हमने सातवां संविधान संशोधन किया था। आठवां संविधान संशोधन, जो वास्तव में आज नहीं, इस देश के आने वाले भविष्य पर भी बड़ा प्रभाव डालने वाला है, तो हम महिलाओं को देश की विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अधिनियम, 2023 के लिए लेकर आए थे। हमने ये आठ संविधान संशोधन किए हैं। नारी वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, उसके द्वारा न केवल महिलाओं को प्रदेश की विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण मिलने जा रहा है, वहीं यह बात

भी हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। अभी जिस तरह से दस वर्षों में हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हमने एक आयाम पर ही काम नहीं किया है, हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं कर रहे, महिलाओं का विकास नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय कुमार : उस दृष्टि से जो आठवां संविधान संशोधन किया है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप बोलिए। Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... आपस में बात मत कीजिए। Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय कुमार: ये विद्वान आदमी हैं, बता सकते हैं। हम तो सबसे सीखते हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Mananiya* Members, take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय कुमार : उपसभापति जी, संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए, पहला विषय यह है। पहला विषय यह है कि संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए? संविधान में यही व्यवस्था है कि अगर लोकहित में, देशहित में, राष्ट्रहित में और लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन बेमतलब संविधान संशोधनों का औचित्य क्या है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो आठ के आठ संविधान संशोधन किए हैं, उसमें एक भी संविधान संशोधन, जो हमने किया है...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No talk, please. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas, please, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय कुमार: महोदय, मैं इन लोगों की पीड़ा समझता हूं। मेरी सहानुभूति इनके साथ है। मैं स्वाभाविक रूप से पूरी सहानुभूति इनके साथ रखता हूं। इनकी हताशा और निराशा है, जिसके कारण ये कहते हैं, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता हूं। ये हमारे आदरणीय साथी हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। यह बात अलग है कि वे इस समय जिन स्थितियों में हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। मैं निरंतर उनके साथ सहानुभूति रखूंगा।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय कुमार : मैं केवल संविधान संशोधन के विषय में ही आपको बोल रहा हूं।

श्री उपसभापति : प्लीज़, माननीय जॉन ब्रिटास, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री अजय कुमार: उपसभापति जी, यह देश की पहली सरकार है, जिसने सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। हमने किसी भी संस्था के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। राज्यपाल के अपने अधिकार होते हैं। राज्यपालों को ये लोग जरूर आदेश देते थे और वे काम करते भी होंगे। मैं उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह इनका स्वभाव है। ये अपने स्वभावगत कारणों से हम लोगों के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं। ये कई बार कहते हैं कि ईडी है, सीबीआई है। हमारे यहां पर ईडी और सीबीआई सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाता है, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने करवा दिया, किसी की जांच होती है, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने करा दिया, किसी की जांच होकर चार्जशीट लग जाती है, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने करा दी। जब जेल चले जाते हैं, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने भेज दिया, अदालत जमानत नहीं देती है, तो प्रधान मंत्री जमानत नहीं देते हैं। पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी, हिम्मत है तो हमको भेजो। अब जब जेल चले गये, जमानत नहीं हो रही है, तो हम लोग उसमें क्या करें? अब यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तो नहीं है कि एक तरफ से सबको बांट दिया जाए। जिसके ऊपर आरोप होगा, उसकी जांच भी होगी। अगर जांच के साथ-साथ आरोप सिद्ध पाए गए, तो चार्जशीट भी होगी और चार्जशीट में अगर साक्ष्य भी होंगे, तो उसको सजा भी होगी। यह हमारे देश की व्यवस्था है। माननीय उपसभापति जी, उन्होंने मेरा ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलिए।

श्री अजय कुमार: सर, मैं विषय पर ही हूं कि संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए। मैंने उनके संविधान संशोधन, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया पहला संविधान संशोधन हो। इस देश में जिस संविधान की बहुत प्रशंसा हो रही थी, केवल 18 महीने से कम समय में ही, 18 मार्च, 1951 को पहला संविधान संशोधन पहले आम चुनाव से पहले जिस सरकार ने किया हो, उसने संविधान के साथ कैसा न्याय किया होगा, इसे मैं आप सबके विचार के लिए छोड़ता हूं और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से आपातकाल में संविधान संशोधन हुआ था, उसको देश ने देखा है कि किस तरह से संविधान का ढांचा उलट-पुलट कर दिया गया था। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि केवल 7,8,9, 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर लिया जाता है और उसी दिन गज़ट होता है और यह केवल इसीलिए होता है कि उच्च न्यायालय के अधिकार को रोका जा सके। उसको रोक कर के वे ही प्रधान मंत्री बने रहें, इसलिए आपातकाल लेकर आया गया था। जो संविधान संशोधन हमने किए हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं। अगर हम पूरी कहानी बताएंगे, तो वह बहुत लम्बी है। कई लोगों का स्वभाव होता है और यह स्वभावगत होता है। कई लोग किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते

हैं, इसलिए वे संविधान में संशोधन लेकर आते हैं। उनको आलोचना बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए संविधान संशोधन लेकर आए। न्यायालय का आदेश उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए वे संविधान में संशोधन लाए। न्यायालय में वोट बैंक की राजनीति थी, इसलिए संविधान में संशोधन लाए और कई लोग तो ऐसे थे, जिनके हाथ में संविधान संशोधन नहीं था, तो उन्होंने पार्लियामेंट से लाया हुआ बिल प्रेस के सामने फाड़ दिया था। ये इन लोगों का स्वभाव है। वे स्वभावगत कारणों से इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह देश संविधान से चले, व्यवस्थाएं संविधान से चलें और इसी कारण वे इस तरह के संविधान संशोधन करते हैं, लेकिन हम ऐसे संविधान संशोधनों में न तो विश्वास रखते हैं, न ऐसे संविधान संशोधन हमारी सरकार ने किए हैं। मोदी जी की सरकार ने जो आठ संविधान संशोधन किए हैं, मैंने उनके कारणों के बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताया है। मैं इस सदन में सभी को चैलेंज करता हूं कि इन आठ संविधान संशोधनों में कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था, जो नहीं होना चाहिए था, जिसके द्वारा इस देश के लोगों का और इस राष्ट्र का हित नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मैंने इस बात को कहा है । मैंने यह बात भी कही है कि संविधान संशोधन के साथ-साथ संविधान का सम्मान करना जरूरी है। संविधान का सम्मान भी हमारी सरकार ने किया है । संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो व्यवस्थाएं दी गई हैं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे अनुमति लेकर 2 मिनट इस विषय के बारे में बोलना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने संविधान के संशोधन को किया है और संविधान का उपयोग कैसे लोगों के लिए किया जाए, वह किया है । हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वे अध्याय 4 में दिए गए हैं, जहां अनुच्छेद 36 में परिभाषा है और अनुच्छेद 37 से 50 तक इस देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आए, उस दृष्टि से नीतियां बनाई गई हैं और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर चुनी हुई सरकार इन पर चलेगी तो राष्ट्र के लोगों का भी हित होगा और राष्ट्र के लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा और मोदी जी ने उन सारी चीजों को किया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह शिक्षा हो। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो कहेंगे कि मोदी सरकार की ये उपलब्धियां बता रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा । हम संक्षेप में यह जरूर कहेंगे कि हमने चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, लोगों को घर देना हो, घरों में शौचालय बनवाना हो, पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाना हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना हो और लगभग चार लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बनाकर गांवों को जोड़ना हो , इसके साथ-साथ लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने का काम भी हमने किया है। हवाई जहाज हो, रेल हो, नेशनल हाइवे हो, परिवहन के अन्य साधन हों, इनके साथ-साथ बिजली की पूरी आपूर्ति हो, लोगों को समय पर पानी मिलना हो। सर, आज जब लोग जाते हैं, तो मोबाइल पर boarding pass निकाल लेते हैं, बिजली का बिल जमा करा देते हैं, फोन का बिल जमा करा देते हैं। 2014 से पहले कैसी परिस्थितियाँ हुआ करती थीं? आज बैंक जाने के लिए बैंक की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ..(**व्यवधान**)...जहाँ हमने लोगों की जरूरतें पूरी की हैं, वहीं पर जीवन जीने की सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। उसके साथ-साथ देश का infrastructure भी बड़ा हो, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया है। माननीय उपसभापति जी, उस दृष्टि से भी ..(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: What is the relevance? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*Please. *...(Interruptions)...* Please speak on the subject, we have to*...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Yes. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार: मैं उसी पर बोल रहा हूं, मैं संविधान पर ही कह रहा हूं। संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए, मैं उस पर बोल रहा हूं।

श्री उपसभापति : कृपया, आपस में बात मत कीजिए। माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब दीजिए।

श्री अजय कुमार: आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी बाहर चलेंगे, कॉफी पिएंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह संविधान बहुत सुंदर है। इस देश के विद्वानों ने जब इस संविधान को बनाया, तो पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई और यह वास्तव में देश में लोकतंत्र को कायम करने में खरा उतरा है। आज जो संविधान है, उसी के कारण आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा देश, जिसने लोकतंत्र को अच्छी तरह से पाला-पोसा है और जहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र है, वह केवल भारत देश है। उन्होंने उस दृष्टि से कहा है। ...(**व्यवधान**)... हाँ, इमरजेंसी को छोड़कर बता रहे हैं, लेकिन वह इनका विषय है, कानून के बारे में ये बताएंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं यही कह रहा था और अब मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं बस खत्म कर रहा हूं। सर, जो 36 से 50 था, उसमें जहाँ हमने ये जो दो काम किए, वहीं पर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो - इसके लिए भी सरकार ने काम किया है। संविधान के अध्याय चार में जो व्यवस्था दी गई थी, उसके लिए किसी भी सरकार पर ऐसा दबाव नहीं था कि इसे करना जरूरी है, यह सरकार की स्वेच्छा पर था कि वह इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है या नहीं करती है, लेकिन हमारी सरकार ने उन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करके पिछले दस वर्षों में जहाँ लोगों की जरूरतें पूरी कीं, उनके लिए सुविधाएँ बढ़ाईं, वहीं लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम भी किया है।

महोदय, उसी का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर था। उसमें ये चार बातें प्रमुख रूप से कही गई थीं, इन पर मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि जो ये चार बातें कही गई थीं, इनमें इस प्रकार से था कि हमारे देश का पूरी दुनिया के साथ इस तरह से संबंध होगा कि हम दुनिया में, दुनिया के देशों के साथ अपने विश्वास और सुरक्षा की सहमति रखें। दूसरा, अगर कोई विवाद होता है, तो उसे पंचायत के द्वारा निपटाएं। हम दूसरे देशों के साथ सम्मान के आधार पर संबंध निश्चित करेंगे और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक विदेश नीति को अपनाकर काम किया है, उससे हमने न केवल दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, बल्कि दूसरे देशों में, जहाँ लोगों को जरूरतें थीं, उन लोगों की जरूरतें पूरी की हैं, उनके साथ सम्मान रखा गया। हमने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन भी किया है। उस दृष्टि से आज जो दुनिया में भारत की छवि एक अलग तरह के

देश की बनी है, वह हमारे देश के संविधान के कारण ही बनी है। यह संविधान इतना सुंदर है कि इस संविधान का पालन करने के कारण आज ऐसी स्थिति बनी है कि आज भारत दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह सिर्फ इसलिए बन गया है, क्योंकि हमारे संविधान में न तो यह कहा गया है कि आर्थिक रूप से ताकतवर होकर हमें आर्थिक ताकत बनना है और न ही यह कहा गया है कि दूसरों का हिस्सा लेकर भौगोलिक ताकत बनना है। हमारे देश में मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी गई है और वह हमारे भारत की संस्कृति है। मानव केंद्रित विकास को पूरी तरह से मोदी सरकार ने अपनाया है और वह भारत की संस्कृति में था, कहीं से कोई नया विचार नहीं आया था। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, तब उन्होंने जो फिलॉस्फी दी थी, जो दर्शन दिया था, वह एकात्म मानव दर्शन का दिया था। मानव के द्वारा, मानव के विकास के द्वारा समाज का विकास और समाज के विकास के द्वारा राष्ट्र का विकास और राष्ट्र के विकास के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ हमारा यह प्रयास रहेगा, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप हम पूरे विश्व का कल्याण भी कर सकें। उस दृष्टि से अगर कहीं आवश्यक होता है, तो संविधान में संशोधन जरूर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो संविधान संशोधन यहाँ सुझाए हैं, माननीय उपसभापति जी, उन्होंने जो आर्टिकल 153 कहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैंने विस्तार से आर्टिकल 153 की व्याख्या की है। उसके संबंध में मैंने कहा कि उसके लिए किसी ऐसे परंतुक के लोप करने की आवश्यकता नहीं है, वह सामान्य सा था और कांग्रेस की सरकार के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 7वें संविधान संशोधन में यह परंतुक लागू किया गया था और सुविधा के लिए किया गया था कि अगर कहीं कोई इस प्रकार से राज्यपाल है, तो वह ऐसे राज्यपाल के संबंध में था। ...(**व्यवधान**)... दूसरा उन्होंने, जो कहा है कि चुनाव के द्वारा होना चाहिए, तो चुनाव के द्वारा होने से जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो उससे एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और राज्यपाल के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार के बीच में संबंध भी असामान्य हो सकते हैं। इस दृष्टि से उसका भी औचित्य नहीं है। तीसरा, जो उन्होंने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए या विधान सभा को यह अधिकार होना चाहिए, मैं समझता हूं कि यह तो संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। मैं उपहास नहीं कहूंगा, हालांकि उन्होंने उपहास करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उपहास नहीं कहूंगा। मैं उनका सम्मान करते हुए कहूंगा कि संविधान की दृष्टि से यह संभव नहीं है और उसके साथ-साथ मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि भारत की सरकार बहुत अच्छे तरीके से संघीय संबंधों को निभा रही है। सारे प्रदेश अच्छी तरह से भारत सरकार से जुड़े हैं। सभी का विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करते हुए सरकार काम कर रही है।

मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले लें। सरकार उनकी बात को सुनेगी। अगर उनके कोई सुझाव होंगे, उन पर भी आगे जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस विधेयक को वापिस ले लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद और लोगों के कुछेक आग्रह आए कि हम बोलना चाहते हैं, पर नियमतः

माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद जो मूवर हैं, Dr. V. Sivadasan will reply to the discussion. Please.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I am very thankful to my colleagues who have raised valuable points on the subject. One of the points they have raised is that the election of the Governors will create two power centres in the State and they also told that it will disrupt the administrative structure of the State Government. I would like to invite their attention to the election of the President of the Union of India. Has it created any parallel power structure in the Union? So, the election in itself is not a reason for the emergence of parallel power structure. A lot of Members raised this issue. In our Constituent Assembly, Dr. Ambedkar has opined that the election of the Governor will not lead to a rivalry between the elected Head of the State and the Governor. It was mentioned by Dr. Ambedkar. Sir, look at the States. Even the elected Chief Ministers are not getting the power because of the nominated Governors. Hence, I believe the argument that the election of Governor is leading to parallel power structure in the State is not very valid argument. Sir, we should not forget that India has an elected Head of the State, our hon. President. The question is whether the Governor is ready to protect the interests of the State. If he or she is not ready, then we will witness the clash between the State and the Governor. We have a lot of experience. In 2011 in *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. No comment on any Governor. For that, there are other provisions and rules. So, be specific on the principles and theory of your subject.

DR. V. SIVADASAN: Okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, no comment on any Governor will go on the record.

DR. V. SIVADASAN: I am only mentioning the incidents. What was happened in Gujarat?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No.

---

*Not recorded.

DR. V. SIVADASAN: Okay, because of your advice, I will not do that. So, what happened there is that the then Governor appointed the Lokayukta Judge.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not mention the name of any Governor.

DR. V. SIVADASAN: No, Sir, I am not mentioning the name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not even the incident. There should be no mention about any conduct or any incidence about any Governor.

DR. V. SIVADASAN: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it will not go on record. अगर आप किसी भी गवर्नर के बारे में किसी इंसिडेंट का उल्लेख करना चाहते हैं, तो उसके लिए सब्सटांटिव मोशन चाहिए। इसलिए प्लीज़, आपने जो बिल दिया है, आप उसके औचित्य पर बोलें, उसके पक्ष में बोलें, उसके जो भी रीज़ंस हों, बताएँ, but, there should be no mention about any incidence related to any Governor or anything. It should not be quoted here. It will not go on record.

DR. V. SIVADASAN: Sir, we could observe similar developments in various States. *A lot of incidents had happened. The Members of Parliament had raised a lot of issues inside the Parliament. They have requested the President of the nation for the removal of the Governor. The Tamil Nadu Government has registered their opposition on NEP in various forums. They have strongly opposed the centralisation and communalisation of education by the Union Government. *Is it a mark of respect to our great federal structure of our nation? Sir, NEET is another issue in the State of Tamil Nadu. The people of the State had strongly opposed NEET. The spirit of the people was upheld by the Assembly and they have passed the Resolution against NEET. The Governor had publicly...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I have a point of order under Rule 238(v), "a Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless

---

* Not recorded.

the discussion is based on a Substantive Motion drawn in proper terms. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I have already mentioned it. It is not going on record.

SHRI V. MURALEEDHARAN: It should be removed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine yourself to the Bill. *...(Interruptions)...*

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): It is a very established rule that nothing can be mentioned in regard to Governor unless there is a substantive motion. The rule is very clear. But, here the hon. Member is mentioning about the institution of Governor in general, not against a particular Governor.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is mentioning incidents about particular Governors. That will not go on record. *...(Interruptions)...* It will not go on record. If you are mentioning about incidents regarding any particular Governor, it will not go on record. *...(Interruptions)...* I am again reminding you; confine yourself to the subject only.

Yes, Dr. John Brittas, are you on a point of order, under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, Rule 258, since...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute, let me see.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, since the Bill is based primarily on Governor, he has to respond to the activities of the Governors, without naming. It is his authority, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not under Rule 258. Dr. V. Sivadasan, please continue.

DR. V. SIVADASAN: Regarding the institution of the Governor, we have been facing a lot of issues from the office of the Governor. Members of Rajya Sabha, the Council of States, I think, have a lot of experience related to Governor's office. In *, a lot of issues are there.

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again, talk about the principles and not about any Governor. It will not go on record.

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning the name of the Governor of any State. *..(Interruptions)..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be it any State. *..(Interruptions)..* Please.

DR. V. SIVADASAN: I am following the rules. *..(Interruptions)..* Here about the issue of NEET, everywhere the State Government has raised a lot of issues. But what was the position of the Governors in various States? We need to discuss and address it also in our Parliament. We should discuss it here. In our Constituent Assembly, it was discussed very thoroughly. Dr. Ambedkar had replied there in a very clear manner. Sir, incidents in * *...(Interruptions)..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again you are mentioning.

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning. *..(Interruptions)..* I am not mentioning the name of the Governor.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not even of any State; It indicates that. *..(Interruptions)..* It will not go on record. *..(Interruptions)..*

DR. V. SIVADASAN: Sir, if we are discussing the issues of the office of the Governor or the functioning of the Legislative Assembly, we should mention the name. *..(Interruptions)..*

श्री उपसभापति : उसके लिए नियम हैं। Follow the rules.

DR. V. SIVADASAN: I am following the rules. *..(Interruptions)..*

श्री उपसभापति: उसके लिए आप अलग से substantive motion लाइए। जब माननीय चेयरमैन उसको accept करेंगे, तब आप उस पर discuss कर सकते हैं। अगर आप उस पर अभी discuss करेंगे, तो कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। अगर आपने किसी गवर्नर या किसी स्टेट का नाम लिया अथवा किसी incident का जिक्र किया, that will not go on record.

---

* Not recorded.

डा. वी. शिवादासन: ठीक है, सर। I am not mentioning, Sir. *..(Interruptions)..* I am not mentioning. *..(Interruptions)..* देश के अन्दर अलग-अलग स्टेट्स हैं, इसलिए मैं उनका नाम mention कर रहा हूँ। I am mentioning State's name. In * हम सबको incident पता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. *..(Interruptions)..*

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning the name; I am not mentioning the Governor's office. I am using only the name of the State. How can we avoid the name of * delete the name of * ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You bring a substantive motion on that and then you discuss. Otherwise, it will not go on record; even the name of State will not go on record. *..(Interruptions)..* Even the name of any State will not go on record.

DR. V. SIVADASAN: Experience from different States, including*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again you are doing it. *..(Interruptions)..* I have to stop you. ..(Interruptions).. Otherwise, I will move further. *..(Interruptions)..* You are not interested in debating it. *..(Interruptions)..*

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning any name. *..(Interruptions)..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are repeating it time and again. *..(Interruptions)..*

DR. V. SIVADASAN: Sir, I come from the State of Kerala. I am proudly representing the State of Kerala. We have a lot of experience there regarding the autonomy of different universities, autonomy of different institutions. So, here I am mentioning that in this Council of States we should discuss the issues regarding different constitutional measures and mechanisms and how we can improve the office of the Governor and the functioning of the States. In Kerala, the workers and peasant fought and forced the King to join the Indian Union. Thousands of people gave their lives for the unity of the nation and hundreds of workers were martyred for the unity of the nation. The successors of the King are receiving awards just for being the successors of King today. The voice of the workers is being suppressed by appointing Governor.

---

* Not recorded.

There is a famous song of the great national poet, Vallathol Narayana Menon, which means that our hearts should swell with pride when we hear the name of Bharat. Blood should boil in our veins when we hear the name of Keralam. Sir, you know what has happened there. Because of your direction, I am unable to..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not my direction. It is the rule. ..*(Interruptions)*.. माननीय सदस्यों ने जो रूल्स तय किये हैं, जो 1952 से चले आ रहे हैं, उन रूल्स के तहत मैं आग्रह करता हूँ। अगर आप केरल के भी किसी incident की बात करेंगे, that will not go on record. That will not go on record. You know, Dr. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN: In 1959, Kerala had an experience of the dismissal of the elected Government. The democratically elected Government was dismissed by the Union Government. ...*(Interruptions)*... Yes, now you are doing the same thing. ...*(Interruptions)*... * The Governor is the only constitutional authority who takes oath to protect the interests of the State. I am repeating the words, 'Governor is the only constitutional authority who takes oath to protect the interests of the people of the State.' But the role is never performed by the Governors. I, especially, am not going to add the sentence. Anyway the Governors are not ready to protect the interests of the State. It is the reality which is in front of us. It should be discussed and the Parliament should make a mechanism for a proper functioning of the office of the Governor. Before concluding, I would like to add some other points also. Legal and administrative measures are very much necessary to strengthen the federal structure of our nation. Articles 355 and 356 of the Constitution should be amended in order to incorporate safeguards to prevent misuse. The State Government should have a greater role in the administration of the rules and regulations of All India services. The Governor, that means the nominee of the Union Government, and the person from the Central services is playing a major role in the administration of the State. If not, then, federalism will be meaningless. The pocket veto of the Governors is creating various problems in front of the States. Some serious and urgent legislation of the States are kept in the Raj Bhawans without timely reply or communication. It is a serious thing. It should be discussed. That means the Governors are creating hurdles in the promotion or development of the society. Then how can the State make legislations? If a proper development measure is necessary, then, it should be addressed. The first Article of the Constitution clearly says, 'India, that is Bharat, shall be a Union of States.' The mutual respect between the Union

---

* Not recorded.

Government and the State Government is very much necessary. The Governor is a mere titular head of the State Government. A cordial and democratic relationship between the Governor and the State Government is inevitable. So, the Governors should be democratic and should respect and accept the diversity of the nation. The great principle of our nation is unity in diversity - diversity in culture, diversity in language, diversity in food. Diversity is the strength of our nation. Now, the people in the State are not able to consider the Governor as part of their society. A huge gap is there. I am sad to say that corporate # is continuing with the support of the legislations by the Union Government. Sir, for continuing this exploitation, they are trying to bring a division between the people. For this purpose, the Office of the Governor is being utilized. I am sure, in India, people will unite for asserting their federal and democratic rights. And, people will create a new India without discrimination. So, I am sure, we will reach our destination. People will protect the unity of this country against policies of the Indian ruling class which the Governors are promoting.

Sir, wherever we are in the country, we are able to hear the strongest words against injustice and discrimination towards the States and also towards the people. That is why I suggest a fixed tenure for Governors. It is very necessary that the State Assembly should have the right to recall him in extraordinary situation. The Governor himself has no constitutional protection now. He can be changed at mere instruction from the hon. President; it means, at the instruction of the Union Government! Sir, there is a need to change this situation.

So, I request this august House to accept the Bill and abolish the existing system of appointment of Governors. The system should be abolished and a new system will have to be introduced by this august House.

With these words, I once again request the hon. Members of this House to support this Bill.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I wish to seek a clarification from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. We are at the third reading of the Bill.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, it is only clarification. We have enough time. I will take only a few minutes without casting any aspersion on any Government.

Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. अब इसके बाद माननीय मंत्री को रिप्लाई भी नहीं करना है, तो क्लैरिफिकेशन की गुंजाइश नहीं बनती है। दादा, आप जानते हैं कि इसके बाद I have to follow the procedure. Please understand.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am only requesting the Chair.

श्री उपसभापति : इसके बाद हमें सीधे वोटिंग प्रोसेस पर जाना है, हाउस को डिसाइड करना है।

श्री सुखेंदु शेखर रॉय : सर, आप वोटिंग कराइए। मुझे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन लेना है।

श्री उपसभापतिः अगर आपके बाद माननीय मंत्री जी बोलने वाले होते तो आप जरूर क्लैरिफिकेशन लेते। Now, Dr. V. Sivadasan, are you withdrawing the Bill? Or, should I put the motion to vote?

DR. V. SIVADASAN: Sir, I would like the Bill to be voted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am asking again. Dr. V. Sivadasan, are you withdrawing the Bill? Or, should I put the motion to vote?

DR. V. SIVADASAN: Sir, I withdraw the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member has withdrawn the Bill. I will follow the procedure. Does the Member have the leave of the House to withdraw the Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill is withdrawn.

The Bill was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will move to the next Bill. It is the Constitution (Amendment) Bill, 2020 (insertion of new article 47A). Shri Anil Desai, not present.

The Sal Leaves Collectors and Traders Welfare Bill, 2022

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will move to the next Bill. It is the Sal Leaves Collectors and Traders Welfare Bill, 2022. Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I move:

That the Bill to provide for setting up of Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Fund and a Board that shall administer the Fund for the welfare of Sal leaves collectors and traders and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

श्री उपसभापति: क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे?

डा. सस्मित पात्रा: माननीय उपसभापति महोदय, आपने आज इस अवसर पर मुझे इस बिल पर अपने कुछ वक्तव्य रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। आज हालांकि प्राइवेट मेम्बर्स बिल का समय है, इसके बावजूद कई सारे माननीय सदस्य इस बिल के समय सदन में मौजूद हैं, इसलिए मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं।

महोदय, The Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Bill, 2022. उड़िया में इसको सॉलो पत्र (साल का पत्ता) कहा जाता है। मैं बचपन की एक याद से शुरू करना चाहता हूं। बचपन में जब हम शादी में या किसी फंक्शन में जाते थे - आजकल तो बूफे का ज़माना है, प्लेट लेकर घूमते रहिए, थोड़ा-थोड़ा लेते रहिए, लेकिन तब लम्बी कतार में बिठाया जाता था और साल के पत्ते सामने रखे जाते थे - ओडिशा में तो होता था, दूसरे राज्यों के बारे में मुझे नहीं पता - तो साल के पत्ते रखे जाते थे और कई बार जब वह चूता था, तो उसके ऊपर एक पत्तल और रख दिया जाता था। बचपन की बात यह थी कि उस साल के पत्ते के सोंधेपन में गरम-गरम दाल-चावल खाने का मज़ा ही कुछ अलग था। धीरे-धीरे समय बीतता गया, धीरे-धीरे साल के पत्ते गुम होते गए, धीरे-धीरे थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेट्स आने लगीं, कुछ समय बाद बूफे का ज़माना आ गया और लोग प्लास्टिक में, melanmine में या शीशे की प्लेट्स में खाना खाने लगे हैं। बैठकर जो खाना खाते थे, उड़िया में जिसे पंगत बोलते थे, वह भी खत्म हो गया। मेरे ज़ेहन में आया कि ये साल के पत्ते गुम क्यों हो गए! यह बड़े अचम्भे की बात है। अचानक यह ख्याल मुझे तब आया जब कुछ समय पहले मैं एमेज़ॉन के ई-स्टोर में जा रहा था और मैंने देखा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक कम्पनी साल के पत्तों की प्लेट्स बेच रही है। मैंने वे साल के पत्ते बचपन में देखे थे, जिस पर मैंने कभी खाना खाया था, आज वे साल के पत्ते ईको-फैंड्ली हैं, ऑर्गेनिक हैं और आज न्यूयॉर्क की बड़ी-बड़ी कम्पनियां उसकी प्लेट्स बना रही हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और परम्परा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है, इतनी महान है कि कई बार हम प्लास्टिक, स्टील और ग्लास के चक्कर में साल के पत्तों को भूल गए हैं। वे पाश्चात्य देश याद रखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। इसलिए उन साल के पत्तों को याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। आज वे साल के पत्ते कैसे लाए जाते हैं, कौन उन साल के पत्तों को आज भी संभाल कर रखता है?

मान्यवर, मुझे ओडिशा के मेरे क्षेत्र में कई बार दौरा करने का मौका मिला, कई ऐसे इलाको में जाने का मौका मिला, जहां आज भी साल के पत्ते मिलते हैं, आज भी उनको कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आज भी लगभग ढाई करोड़ आदिवासी भाई-

बहन इस देश में हैं। उनमें कई ऐसे हैं, जो PVTGs हैं, particularly vulnerable tribal groups को belong करते हैं, ऐसे PVT groups में कई लोग हैं, जो आज भी साल के पत्तों से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। तब एक सोच आई कि जो लोग साल के पत्तों को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करके उनको आगे ले जाते हैं, क्या उनके प्रोत्साहन में हम कुछ न करें! मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार उनके प्रोत्साहन में कुछ नहीं कर रही। इस बिल की सोच यह नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक वाद-विवाद खड़ा किया जाए, न ही इस बिल की यह मानसिकता है कि केंद्र या राज्य की मैं कहीं न कहीं टीका-टिप्पणी करूं।

बात यह है कि आज जब हम sustainability की बात करते हैं, आज जब हम eco-friendly की बात करते हैं, तो आज हमें फिर से साल के पत्तों को याद करना पड़ेगा, because if anything is organic, if anything is eco-friendly, it is साल के पत्ते। आप कहीं भी पिकनिक पर चले जाइए, वहां पर प्लास्टिक के पत्ते पहाड़ों से लेकर, बड़े-बड़े जंगलों से लेकर हर जगह से विस्तृत पड़े रहेंगे। हजारों सालों तक वह प्लास्टिक degrade नहीं होगा, वह वहीं पर बैठा रहेगा। मगर जिन साल के पत्तों पर हम खाना खाते थे, अगर उसको दो-तीन महीने तक छोड़ देंगे, तो वह मिट्टी में मिल जाते थे, फिर वे साल के पत्ते आते थे। ये organic हैं। कहीं न कहीं हमें यह सोचना पड़ेगा कि साल के पत्तों के माध्यम से कैसे हम फिर से sustainability का दौर वापस लाएं, organic living का दौर वापस लाएं। विशेषकर ढाई करोड़ से ज्यादा आबादी में कई सारे राज्यों में चाहे ओडिशा हो, पश्चिमी बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कई सारे राज्यों में जो साल के पत्तों को collect करते हैं, संग्रह करते हैं, उनके जीवन-जीविकाओं को और बेहतर करेंगे। मान्यवर, मैं थोड़ा साल के पत्तों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद फिर बिल पर जाऊंगा। इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे यह क्यों महसूस हुआ कि इस बिल की आवश्यकता है। साल के पत्तों के collections होते हैं, वे एक साल के दरमियान दो बार कलेक्ट किए जाते हैं। पहला नवंबर से मार्च और दूसरा जून-जुलाई में किए जाते हैं। फिर इन पत्तों को आगे traders ले जाते हैं, इनसे तरह-तरह के products बनते हैं। खासकर जून-जुलाई का जो समय होता है, इसमें जब साल के पत्ते आते हैं, उनको रख दिया जाता है, तो एक fungal infection होता है, जिससे साल के पत्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा, seasonal rainfall होती है, unpredictable rainfall होती है, जिसकी वजह से साल के पत्ते खराब हो जाते हैं। कई बार लोग उन पत्तों को लाकर अपने घर में रखते हैं, तो उनमें कीड़े लग जाते हैं, जिससे वे खराब हो जाते हैं। कई बार जंगलों में आग लगती है, उसमें भी खराब हो जाते हैं। जो लोग अपने जीवन-जीविकाओं के लिए साल के पत्तों पर निर्भरशील हैं, उनके जीवन और जीविकाओं को कहीं न कहीं से यह प्रभावित करता है। मान्यवर, अगर एक दिनचर्या सोचा जाए कि हमारे राष्ट्र की एक आदिवासी मां सवेरे उठती है और उसके बाद कई बार चाहे वह चप्पल पहने हो या नंगे पांव हो, वह जंगल के अंदर जाती है और सवेरे से शाम तक लगभग हजार से बारह सौ साल के पत्ते संग्रह करके घर लाती है। जब वह पूरे दिन भर घूमती रहती है, तो कई बार उसकी पीठ में दर्द हो जाता है, कभी कीड़े काट लेते हैं, कहीं पर कुछ चुभ जाता है, सांप का डर रहता है और भी कई परेशानियां रहती हैं। इसलिए जब इस तरह की परिस्थिति में सवेरे से शाम तक हमारा एक आदिवासी भाई या आदिवासी मां जाती है, तो उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे वापस आते हैं और अपने घरों में साल के पत्तों को रखते हैं। मैं कई बार दौरा करता हूं और देखता हूं कि घर में लोगों को रहने के लिए जगह कम

है, मगर ढेर सारी जगहों पर साल के पत्ते रखे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि यह हमारे लिए सोना है। कभी जरूरत पड़ गई, तो हम इसको बेच लेंगे, जिससे हमारी दुविधा दूर हो जाएगी, इसलिए हम साल के पत्तों को लाकर रखते हैं कि जब-जब जरूरत पड़ेगी, इसको हम खर्चते हैं, यह हमारे लिए घर का सोना है। महोदय, कहने का उद्देश्य यह है कि इन साल के पत्तों के माध्यम से उनकी जिंदगी और दिनचर्या चल रही है और उनकी जीविका आगे बढ़ रही है, तो उनकी जिंदगियों को और उनकी जीविका को कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगियों को और बेहतर कर सकते हैं। ये जो ढाई करोड़ हमारे आदिवारी भाई-बहन हैं, उनमें से कई सारे हैं, जैसे ओडिशा से मैं आता हूं - ओडिशा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा PVTGs के लिए जाना जाता है। PVTGs क्या है - Particularly Vunlerable Tribal Groups. वे Tribal Groups हैं, जिनकी संख्या काफी हद तक घट रही है और जिसकी वजह से उनको particularly Vunlerable Tribal Groups की श्रेणी में रखा गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं। सरकार के कई काम किए हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी, जो हमारे ओडिशा की बेटी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में PVTGs के बारे में कहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है और काम करने की आवश्यकता है, मगर साल के पत्तों को लेकर हमें विशेषकर एक specific मुहिम छेड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं यह बिल लेकर आया हूं। मान्यवर ,मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा ,क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरे माननीय सांसद इस पर ज्यादा बोलें। मैं बस बिल के कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा और 5-7 मिनट का समय लूंगा। यह बिल क्या कहना चाहता है ,यह बिल क्या करना चाहता है और मैं डायरेक्टली इस बिल के सैक्शन तीन पर आता हूं। इस बिल का सैक्शन 3 कहता है ,Section 3 Section 3 The Central Government shall by notification in the Official Gazette set up a Fund to be known as the Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Fund. Section 5 Section 5, sub-section (2), sub-clause (1), एक फंड का गठन होगा। इस फंड से क्या फायदा होगा ,इस फंड से कई सारे विषयों को किया जा सकता है ,जिसके बारे में सैक्शन 5 में लिखा गया है। सैक्शन 5 सब सेक्शन 2, सब क्लॉज़ वन -उस फंड से पहले विषय क्या होगा और उस फंड के विषय पर जाने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस फंड की शुरुआत में कितनी राशि होनी चाहिए । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल मेमोरेंडम की शुरुआत में मैंने इनीशियली 300 करोड रुपए की राशि रखी है। Financial Memorandum initially Rs. 300 crores Consolidated Fund of India non-recurring expenditure Rs. 200 crore allocation certain proportionate certain sharing pattern allocations .उसका भी वर्णन है जब इसका रिप्लाई आएगा तब मैं इसके बारे में बोलूंगा । इसमें यह भी नहीं है कि सारा जिम्मा केंद्र सरकार का है, राज्यों में ज्यादातर कक्योंकि ै ,इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक सर्टेन प्रपोर्शन से ,एक सर्टेन शेयरिंग पैटर्न से इस फंड में अपने एलोकेशन्स करें ,इस फंड में अपना आर्थिक सहयोग दें ,जिससे कि यह फंड और मजबूत हो। यह 300 करोड़ का फंड शुरुआत के लिए है ,लेकिन यह पर्याप्त नहीं है ,इसको और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी।

सर, मैं फिर से सैक्शन 5 पर आता हूं कि इस फंड के माध्यम से फायदा क्या होगा ? इसका पहला फायदा यह होगा इस फंड के माध्यम से "Payment of old-age pension at the

rate of rupees five thousand per month after the sal leaves collector or trader has attained the age of sixty years and is incapable of performing his job on account of physical illness, infirmity or incapacity."10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल ये लोग जंगलों में भटक कर जब साल के पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं, जब इनको 60 साल हो जाते हैं या इनको कोई और परेशानी आ जाती है तथा ये अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं या उसके लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो क्या हम उनको भूल जाएं, क्या हम उनको अपने हाल पर छोड़ दें?

मान्यवर, पेंशन देने के लिए एक फंड के गठन करने की आवश्यकता है। उनके लिए 5,000 रुपए पर मंथ की पेंशन मिलती रहे। दूसरा, Free healthcare facilities for the sal leaves collectors and traders and their dependent family members at the designated Government and other hospitals." जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो चिकित्सा है, उसको उनको मुहैया कराने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 99 प्रतिशत नहीं, 100 प्रतिशत लोग जंगलों में जाकर ही ये सब कलेक्ट करके लाते हैं। जब कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल अपनी जिंदगी में साल के पत्तों का संग्रह करता है, उसमें उनकी जो physical state है, उनका जो शरीर है, उस पर कितनी मात्रा में हार्डशिप्स आई होंगी, इसलिए उनके हेल्थ केयर की आवश्यकता पड़ती है। And there is a need for free healthcare facilities. Number three, Free insurance cover to sal leaves collectors and traders." कोई अप्रिय घटना घट जाती है, उसके लिए हमें कहीं न कहीं से इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। चौथा, "Free housing facilities for sal leaves collectors and traders."

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि इसको monitor करने के लिए इस तमाम चीज़ को, इस फंड को operate करने के लिए एक 'Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Board' की आवश्यकता है। यह जो फंड है, यह Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Board के माध्यम के कार्यरत किया जाएगा, in collaboration between the Centre and the States. इसमें कौन रहेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक Chairperson रहेंगे। जहां पर यह साल लीव्स कलेक्शन होता है और यह एक major occupation है, वहां से एक राज्य के एक representative रहेंगे। दो representatives रहेंगे, जो कि Sal Leaves Collectors और Sal Leaves Traders हैं, जो कि नॉमिनेट हो सकते हैं, in a way prescribed by the rules और इनके salary and allowances and other terms and conditions can be provided as per the rules framing going forward. इसको विधेयक में लाने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है।

एक अहम विषय इस बिल में है, 'a minimum wage.' कई बार ऐसा होता है कि किसी दुविधा के कारण, जिनके बारे में मैंने बताया है कि कई बार जंगल में आग लग जाती है, कई महीनों तक लोग जा नहीं पाते हैं। कई बार बारिश होती है, लोग जा नहीं पाते हैं, कई बार कोई और समस्या आती है। अगर उन्होंने जाकर अपना काम नहीं किया है, तो आज उन्हें भूखे रहना पड़ेगा। उन्हें भूखे रहना पड़ता है, not necessarily in terms of कि दाल-चावल की आवश्यकता है - मैं बिलकुल समझता हूँ कि यह PMGKY है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वह इससे चरमरा जाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। मैंने सैक्शन सिक्स में दिया

है, collectors and traders to be assured minimum wage. वे जितना कलेक्ट कर सकें या नहीं कर सकें, आप उन्हें एक मिनिमम वेज दीजिए, ताकि उनकी जो स्थिति है, उनके survival का जो basic existential question है, उस पर वे हमेशा चिंतित न रहें, परेशान न रहें। उसके लिए, Every Sal leaf collector and trader should be entitled to an assured minimum wage as may be fixed by the appropriate Government irrespective of the number of leaves collected or traded by him. आप उसके ऊपर रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो minimum numbers भी रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि यदि कल कोई आकर रजिस्टर्ड हो जाता है और कोई काम नहीं करता है, तो क्या हमें उसको भी पेमेंट करनी चाहिए? मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ नाम लिखवाकर वह घर पर जाकर सो जाए - ऐसा भी नहीं है, आप उसके लिए रूल्स फ्रेम कीजिए, minimum requirement रखिए, मगर एक minimum wage fix कीजिए, ताकि कल अगर किसी कारणवश उसकी इन्कम एक महीने, दो महीने के लिए रुक जाती है, तो उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है, वह चरमरा न जाए।

मान्यवर, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मैंने लगभग सोलह मिनट बोला है, लेकिन मैं एक चीज़ की गुज़ारिश करूंगा कि आज कई विषयों में और कई पैमानों पर साल लीफ के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह देश भर में या राज्यों में नहीं हो रहा है, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं, तो ओडिशा राज्य में हमारे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में वहाँ पर कई बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। इन्फैक्ट अगर आप देखें, तो वहाँ पर साल लीफ और साल प्रोटेक्शन के लिए अभी the hon. Chief Minister has taken various measures to uplift the livelihood of Sal leaf collectors and traders, starting from providing financial assistance for creating infrastructure for the storage of collected Sal leaves and the production of leaf plates and other products to waving of royalty on Sal leaves. इस तरह से ऐसे कई काम केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसे बोर्ड और फंड की आवश्यकता है, जो उसको centrally monitor करे। क्योंकि यह economy एक organic economy है, यह economy एक tribal economy है, यह economy एक sustainable economy है, यह economy एक forest economy है, यह economy एक women's empowerment की है, क्योंकि ज्यादातर कलेक्टर्स, जो कि 90 परसेंट तक होती हैं, वे हमारी आदिवासी बहनें होती हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सांसदगण यहाँ पर अपने-अपने वक्तव्य रखें। मैं चाहता हूं कि हम इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचें, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें सिर्फ विकास की सोच है, इसमें सिर्फ लोगों की भलाई की सोच है, यहाँ पर कोई तू-तू, मैं-मैं की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह बात हमारे आदिवासी भाई-बहनों के विकास और विशेषकर साल पत्र को कलेक्ट करके उसका आगे ट्रेड करने वाले लोगों के विकास के बारे में है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि हरेक सदस्य, जो इस पर बोले, वह इसी मंशा के साथ बोले कि आज जो इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी एक स्तर पर है, उनकी वह आर्थिक और सामाजिक स्थिति और कितनी ऊपर जा सके। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्रीगण को धन्यवाद देता हूं, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः Motion moved. यह बिल साल पत्र एकत्र करने वाले और इसके कामकाज में लगे लोगों के कल्याण के लिए है। अभी तक किसी वक्ता का नाम नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अब माननीय मंत्री जी को ही जवाब देना पड़ेगा। साल पत्तों के बारे में माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि वे उस इलाके से आते हैं।

The question was proposed.

जनजातीय कार्य मंत्री; तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): माननीय उपसभापति महोदय, आज माननीय सदस्य डा. सस्मित पात्रा जी ने जो The Sal Leaves Collectors and Traders' Welfare Bill, 2022 मूव किया है, उसकी इन्टेंशन अच्छी है। वे चाहते हैं कि देशभर में जो जनजातियां इस कार्य से जुड़ी हुई हैं, उनको कैसे और अधिक बेहतर लाभ पहुंचाया जाए। मैं उनकी इन भावनाओं का आदर करता हूं।

उपसभापति महोदय, सरकार आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश के विकास की पहली पंक्ति पर आज़ादी के लंबे कालखंड में आगे की ओर हम कैसे बढ़ें और कैसे दिखाई दें, उनके जीवन में व्यापक सुधार कैसे हो, उनके भविष्य को हम कैसे बेहतर बनाएं, हम यह सुनिश्चित करें। वास्तविक रूप से जिन बातों की आकांक्षा रखते हुए देश के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज ने हमेशा उन चीज़ों का प्रतिवाद किया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि यह हमारे हित में नहीं है। विभिन्न कालखंडों में, चाहे वह ब्रिटिश रूल में हो या उसके पहले के शासन कालों के दौर में हो, इस बात को हम सब इस समय निश्चित रूप से महसूस करते हैं। जब प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर से कहा कि हमारे देश की मिट्टी की सुगंध को बरकरार रखने के लिए जिन लोगों ने आहुति दी है; उन लोगों के लिए, जो अनसंग हीरोज़ हैं, उनकी खोज की जाए, उन पर शोध किया जाए, वैसे लोगों को सामने लाकर हमें देश को बताना चाहिए कि जो आज दिख रहे हैं, वे तो वास्तविक रूप से ठीक हैं, उनके इतिहास लिखे गए हैं, संघर्षों में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन जिनकी बातों को लिखा नहीं गया है, जो कुछ पंक्तियों या कथाओं में सीमित रह गए, क्योंकि जहां पर घटना घटी, वहां के लोग तो हमेशा स्मरण रखते हैं, लेकिन इतिहास के आईने में वह प्रतिबिंबित नहीं हुआ। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश में कहा कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमें ऐसे संग्रहालयों, म्यूजियम्स की स्थापना करनी चाहिए, जिनसे व्यापक रूप से उन लोगों को प्रतिबिंबित किया जा सके, दिखाया जा सके, जिन लोगों ने वास्तविक रूप से अपने स्थान में रहकर संघर्ष के बल पर उस मिट्टी की महक को बरकरार रखने में भूमिका अदा की है। इसलिए 10 से अधिक संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हुए यह कार्य प्रारंभ हुआ। कई स्थानों पर संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, जो जनजाति समाज से आए, उनको सम्मान देने का कार्य हुआ। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समाज के स्वाभिमान को यदि आप नज़रअंदाज करते हैं, तो वह समाज और वह राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए यहां से कहानी शुरू की कि हमें उन लोगों के सम्मान का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का कार्य प्रारंभ

करना चाहिए। इसके बाद इस देश में एक प्रबंधन की, एक व्यवस्था की, एक शासन की शुरुआत की गई, जिससे हमारा शासन, हमारी व्यवस्था सही हो और हमारा विकास सुनिश्चित हो, जिसको माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा - "सबका साथ, सबका विकास"। इस बात को वास्तविक रूप में चिह्नित करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे जिलों का, वैसे क्षेत्रों का, वैसे सुदूरवर्ती गाँवों का विशेष तौर से आकलन करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारभूत संरचना में जो कमी है, जिन चीजों की कमी है, उन्हें आकांक्षी जिला के रूप में, ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में प्रतिस्पर्धा के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ाएँ तथा यह कार्य और इसकी गुणवत्ता गवर्नेंस का एक नया मॉडल बने। उसी तरीके से माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसकी छोटी यूनिट, ब्लॉक को ऐस्पिरेशनल ब्लॉक, आकांक्षी प्रखंड के रूप में लेते हुए, 500 आकांक्षी प्रखंड के रूप में यह सुनिश्चित किया कि उसमें प्रतिस्पर्धा हो। उससे हम यह सुनिश्चित करें कि कैसे एक छोटी इकाई, गाँव में सहजता के साथ विकास के कार्यों को जनता को केन्द्र में रख कर, वैसे लोगों को केन्द्र में रख कर करें, जो वास्तविक रूप से ऐस्पिरेशनल हैं, आकांक्षी हैं। यह कार्य प्रारम्भ हुआ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा)** *पीठासीन हुईं*]

श्री अर्जुन मुंडा: इसलिए इसके साथ-साथ ही, जब यह कार्य प्रारम्भ हुआ, इसके बाद हमारे सामने पुनः एक नया मॉडल आया, जिसकी चिंता माननीय सदस्य ने की है, वह है - Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG). पीवीटीजी क्या होते थे? वे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले होते थे। वे अपनी आजीविका के लिए वनोपज के साथ उनके सामने जो ऐसे संसाधन हैं, उनका उपयोग करते हुए रहते थे, लेकिन आधारभूत संरचना की दृष्टि वे हमेशा उपेक्षित रहते थे। वे इसलिए उपेक्षित रहते थे, क्योंकि वे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, दुरूह क्षेत्र में रहते थे। उनकी जीवन-पद्धति अपने आप में इकोलॉजिकल है, पर वे पिछड़े हैं, डिमांडिंग नहीं हैं। इस वजह से वे किसी भी ऐसे मापदंड में नहीं आ पाते थे। जैसे किसी भी सड़क का निर्माण होता है, कोई भी आधारभूत संरचना होती है, तो उसमें यह कहा जाता है कि इतनी आबादी होगी, तो यह सुविधा प्राप्त होगी; इतनी जनसंख्या होगी, तो यह गाँव टेक-अप होगा कि इस योजना के तहत यहाँ की यह सड़क बन सकेगी। आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी योजनाओं में एक मापदंड तय किया गया है कि इतनी संख्या में सब-सेंटर्स बनेंगे, इतनी संख्या में हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, इतनी संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र बनेंगे। वे इन सारी चीजों में पीछे रह जाते थे, क्योंकि इसके लिए आबादी का मापदंड सही नहीं हो पाता था, क्योंकि वे जहाँ पर हैं, वहाँ पर कहीं 10 घर हैं, कहीं 5 घर हैं, कहीं 8 घर हैं और उनकी आबादी बहुत सीमित है। इस तरह से देश में 75 साल तक इन मापदंडों के कारण वे सारे लोग विकास की उन चीजों से अछूते रहे, जिनको बहुत जरूरत थी, सबसे पहले जरूरत थी, सबसे अधिक जरूरत थी। तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि, खूँटी से संकल्प लेते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इस योजना का नाम ही लिया - 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान'। 'पीएम-जनमन' के रूप में देश भर के 75 ऐसे समूहों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, 'पीएम-जनमन' के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय कई मंत्रालयों के साथ मिल कर लगातार मॉनिटरिंग का कार्य कर रहा

है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पेशियली उन लोगों के लिए एक लाख आवास की योजना शुरू की है और उसका कार्य प्रारम्भ हो जाए, यह सुनिश्चित किया है। 1,200 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो रहा है।

उसी तरीके से दुरूह क्षेत्र में, जहाँ विद्युतीकरण नहीं है, कई बार उन गाँवों में इस तरह की अड़चनें आती हैं, क्योंकि वे तो छोटी-छोटी झोंपड़ी, टोले, इस तरीके से रहते हैं। वहाँ तक बिजली ले जाने में कई तरह की अड़चनें हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कई किलोमीटर दूर पोल गाड़ते हुए वहाँ तक बिजली पहुँचानी है। वहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ऐसे गाँवों में, ऐसे टोले, ऐसे मोहल्ले में बिजली पहुँचाने के लिए उन औपचारिकताओं को, जिनसे इसे पहुँचाने में अड़चन होती है, उनको शिथिल करते हुए हमें इस कार्य को पूरा करना है, ताकि उनके घर में भी बिजली जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का काम किया। इसके साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का - जिस साल पत्र के मामले में कह रहे हैं, वह साल पत्र वास्तविक रूप से न केवल जनजातियों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों में पवित्रता का एक प्रतीक है। यदि पर्यावरण की दृष्टि से और इकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए, तो पवित्रता की दृष्टि से यह अपने स्थान पर है। इसलिए संस्कृत स्लोगन में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि - "अयः पत्रे पयः पानं साल पत्रे भोजनं, झारखंडे विधियते।" यह परम्परागत ढंग से मान्यता के साथ किया जाता है। इसीलिए भारत सरकार का यह मंत्रालय FRA के माध्यम से, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से उन सारे गाँवों में एक तरफ स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चला रहा है, उसके साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के माध्यम से - यह भी आजीविका का एक साधन है, तो उसमें रोजगार बेहतर ढंग से हों, उसके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। इसके अलावा भी 85 से अधिक ऐसी वनोपज हैं, जिनका एमएसपी हम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। ऐसी बहुत सारी उपज हैं, जिनकी बाजारों में बहुत अधिक कीमत भी है, परन्तु वहाँ उन्हें वह कीमत नहीं मिलती है। इसलिए उसमें एमएसपी तय करते हुए हमने यह सुनिश्चित किया कि वनोपज हमारे ट्राइफेड के माध्यम से क्रय किया जाएगा। यदि उससे अधिक कीमत पर बाजार में उसकी माँग होगी, तो वे वहाँ भी बेच सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्राइस उन्हें इस रूप में मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो सम्पदा है, उसका उचित मूल्य उन्हें मिले। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से पूरे गाँव को यह अधिकार है कि वनोपज का, पूरे संसाधनों का उपयोग वे अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए और अपने गाँव के लिए कर सकते हैं। वह उसका उपयोग कर सकता है। इसी तरीके से बंधन केन्द्र का कंसेप्ट लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रबंधन की एक व्यवस्था कायम की और लगातार उसमें जो स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता संगठन और स्वयंसेवी संगठन हैं, सबके साथ मिल कर इस तरह का कार्य हो रहा है।

माननीय सदस्य की भावना बहुत अच्छी है, परन्तु इन कार्यों को हम और गति कैसे दें, हम लगातार उस पर ज़ोर दे रहे हैं। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और 'पीएम-जनमन' उसका उदाहरण है। इस तरह की योजनाओं के साथ और बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए हम उनके सुझाव जरूर लेंगे, लेकिन अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग ऐक्ट्स बनाना शायद उतना सम्भव और सही ढंग से केन्द्रित करके नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 80 से अधिक उपजों का एमएसपी तय किया है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य के साथ बैठूँगा कि इसमें और बेहतर कैसे हो सकता

है, कैसे हम और बेहतर तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को, जो जंगलों के बीच रहता है, दुरूह क्षेत्र में रहता है, उसके विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है, उसके भविष्य से देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसकी प्रगति से ही देश की प्रगति जुड़ी हुई है, जिसके बल पर हम यह कह सकते हैं कि हम 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि आपने जो बिल मूव किया है, उसको वापस लीजिए। हम साथ बैठ कर, मिल कर यह सोचेंगे कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि हम सभी वैसे तबकों, वैसे लोगों, वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई-बहनों के प्रति जिम्मेदार हैं कि हम कैसे उनके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा) : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। सस्मित पात्रा जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

डा. सस्मित पात्राः महोदया, मैं बहुत संक्षिप्त में अपना रिप्लाई रखूँगा। सबसे पहले मैं माननीया वाइस चेयरपर्सन मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पैनल में आपका पहला दिन है, इसलिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा) : धन्यवाद।

डा. सस्मित पात्रा : महोदया, यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि मुझे आज Private Members' Bill में रिप्लाई करने का मौका आपकी चेयरमैनशिप के समय मिल रहा है। मैं विशेषकर माननीय मंत्री, हमारे बड़े भाई, हमारे पड़ोसी, झारखंड से आने वाले श्री अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अर्जुन जी का जो स्नेह है, वह चाहे ओडिशा के लिए हो, चाहे झारखंड के लिए हो या चाहे भारत के सारे राज्यों के लिए हो, वह बहुत ही स्पेशल है। यह जाहिर सी बात है कि उनके मार्गदर्शन में ट्राइबल अफेयर्स को किस तरह से आगे लाया गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय विषय है।

महोदया, मैं अपने संक्षिप्त रिप्लाई में दो-तीन बिन्दुओं को टच करते हुए अपना वक्तव्य रखूँगा। पहला विषय यह है कि माननीय मंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वे हमेशा इन विषयों को गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आज ही इसे गंभीरता से लिया है, बल्कि वे हमेशा इसी गंभीरता से काम करते हैं। वे एक आदिवासी बेटे हैं, एक आदिवासी भाई हैं और इसलिए वे जानते हैं कि आदिवासी भाई-बहनों की जिंदगियों में किस तरह की जटिलताएँ आती हैं और किस तरह से उन जटिताओं को दूर करते हुए हम आगे निकल सकते हैं।

माननीय मंत्री जी ने specifically skill development के बारे में जिक्र किया था। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी एक-दो छोटी-छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। चूँकि मैं ओडिशा राज्य से आता हूँ, उस राज्य का बेटा हूँ और मैं उनको थोड़ा-सा और भी influence कर सकता हूँ, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी मेरे राज्य से आती हैं, हालाँकि वे पूरे राष्ट्र की बेटी हैं, मगर मैं उनसे थोड़ी-सी यह गुजारिश कर सकता हूँ कि

स्किल डेवलपमेंट में, विशेषकर साल लीव्स को लेकर जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में स्किल डेवलपमेंट के और सेंटर्स खोले जाएँ, ताकि साल लीव्स के जो कलेक्टर्स हैं, उनको वैल्यू एडिशन करने का और मौका मिले सके।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

डा. सस्मित पात्रा : उन्होंने एक को-ऑपरेटिव के माध्यम से उसका संग्रह किया और उसी को-ऑपरेटिव के माध्यम से, उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से उन्होंने उसका वैल्यू एडिशन किया। इस तरह से सिर्फ साल पत्र कलेक्ट करके देने से उनकी आमदनी कई गुना और बढ़ सकती है।

दूसरा विषय है, Community Rights Act. यह बहुत अहम विषय है। मैं इस वक्त मेरे नेता, माननीय मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी को धन्यवाद दूँगा कि ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने Forest Rights Act में सबसे ज्यादा पट्टे, यानी लैंड राइट्स दिए हैं। ओडिशा में लगभग चार लाख से ज्यादा पट्टे दिए गए हैं और इसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से आदिवासी भाई-बहनों एवं वहाँ पर फॉरेस्ट में रहने वाले indigenous लोगों के जीवन और जीविका को और तेजी से आगे ले जा सकते हैं।

माननीय मंत्री जी ने एमएसपी के बारे में बोला, जो कि एक बहुत ही अहम विषय है। इस पर मैं अभी बोलना चाहूँगा। हाल ही में ओडिशा राज्य ने एक नयी योजना लाँच की है, जिसका नाम 'लाभ', यानी LABHA है। चूँकि अभी समय नहीं है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस योजना में अभी एमएसपी के लिए 100 करोड़ का एक फंड एलोकेट किया गया है। हम यह देख रहे हैं कि basically tamarind, जो कि इमली होती है, उसके साथ यह साल पत्र और जो दूसरी चीजें होती हैं, उनके लिए हम अपनी तरफ से एमएसपी कैसे निर्धारित कर सकते हैं और उनको और आगे ले जा सकते हैं। हम लोग इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से 'लाभ योजना' के बारे में भी चर्चा करूँगा। हम यह कोशिश करेंगे कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके।

आखिर में, मैं सिर्फ यह बोलूँगा कि मैं माननीय मंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम हर minor produce, हर forest produce के लिए लॉ लाएँ, तो हो सकता है कि ढेर सारे कानून बन जाएँगे और फिर हर एक कानून की व्यवस्था को लेकर मुश्किलात् और भी बढ़ सकती हैं। मैं उनकी बात से एकमत हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने यह assurance भी दिया है कि इसको आगे ले जाने में वे पूरी तत्परता के साथ काम करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में साल पत्र, जिसको ओड़िया में साड़ पत्र बोलते हैं, उससे जिन लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, उन लोगों की जिंदगियाँ और बेहतर होंगी। विशेषकर, हमारे करीब ढाई करोड़ आदिवासी भाई-बहन, जिनकी आजीविका इसके ऊपर निर्भर है, उनकी जिंदगियाँ और बेहतर होंगी। इसी के साथ, मैं माननीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही, मैं तमाम सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। भले ही उनका पार्टिसिपेशन इसमें न रहा हो,

लेकिन उन्होंने फ्राइडे इवनिंग में इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे, जिसके कारण at least हम इस बिल को आगे ले जा सके। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः माननीय डा. सस्मित पात्रा जी, क्या आप बिल विदड्रॉ करेंगे?

डा. सस्मित पात्रा: सर, मैं माननीय मंत्री जी के एश्योरेंस से संतुष्ट हूँ। मैं बिल विदड्रॉ कर रहा हूँ।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। Hon. Members, does he have the leave of the House to withdraw the Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

The Bill was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we move to the next Bill. The Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2023. The Bill was listed for consideration subject to receiving of hon. President's recommendation under Article 117(3) of the Constitution. The recommendation of the hon. President for consideration of the Bill has been received. Shri Surendra Singh Nagar to move the motion for consideration of the House. The Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2023. Shri Surendra Singh Nagar. Not present.

We now move to another Bill. The Guaranteed Delivery of Public Services and Accountability Bill, 2022. Hon. President's recommendation has not been received. Hence, the Bill cannot be taken up for consideration. We are waiting for hon. President's recommendation.

We now move to another Bill. The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 16). Shri Javed Ali Khan to move the motion for consideration of the House. The Constitution (Amendment) Bill, 2022(amendment of article 16). Shri Javed Ali Khan. Not present.

Now we move to Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sikander Kumar. Demand to start direct train between Mumbai and Amb Andura/Una. आप केवल approved text ही पढ़ेंगे।

Demand to start direct train between Mumbai and Amb Andura/Una

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से मुंबई से अम्ब अंदोरा/ऊना तक सीधी ट्रेन शुरू करने की मांग के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुंबई से अम्ब अंदोरा/ऊना के लिए सीधी ट्रेन न होने के कारण कई यात्रियों को चंडीगढ़ उतरना पड़ता है और फिर 25 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इंटरस्टेट बस स्टैंड, चंडीगढ़ पर बच्चों, महिलाओं और सामान के साथ जाना पड़ता है। उनके लिए हिमाचल प्रदेश के लिए आगे की 9 घंटे बस की यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण कई अप्रिय घटनाएं घटित होती रहती है। मुंबई से अम्ब अंदोरा/ऊना के लिए सीधी ट्रेन चलने से मुंबई, सूरत, वडोदरा, रतलाम, इंदौर, कोटा, मथुरा, नई दिल्ली, हरियाणा, इत्यादि विभिन्न स्थानों से हिमाचल प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। सीधी ट्रेन शुरू होने से टूरिज्म, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह मुंबई से अम्ब अंदोरा/ऊना तक सीधी ट्रेन शुरू करने की अनुमति देने की मांग पर विचार करे, ताकि मुंबई से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को राहत मिल सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Dr. Sikander kumar: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Dr. Sasmit Patra. Demand for Inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Saora Languages in Eighth Schedule of Indian Constitution.

Demand for inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Saora languages in 8th Schedule of the Indian Constitution

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Language is extremely important as an ethnic identity and with a Scheduled Tribe population of over 22.85 per cent, Odisha is home to 62 tribal communities, including 13 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). Inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Saora languages will go a long way in fulfilling the long-standing demands and aspiration of the tribal communities speaking these five languages. The Government of Odisha has written in this regard to the hon. Union Minister of Home Affairs earlier and requested the inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages in the Eighth Schedule to the Constitution. Inclusion of Kui and Saora languages has been reiterated through unanimous resolutions from the Odisha State Cabinet. Recently, the Odisha State Cabinet has again reiterated through

unanimous Cabinet resolution to include the tribal languages in the Eighth Schedule to the Indian Constitution. The Odisha Government has initiated several steps for giving recognition to the tribal languages. The Special Development Councils (SDCs) across 23 districts in Odisha have tremendously helped the protection, preservation and conservation of tribal culture and heritage. However, there are some tribal languages in Odisha which highly deserve to be included in the Eighth Schedule to the Constitution. I strongly demand that the Union Government should take necessary steps for including Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Saora languages in the Eighth Schedule to the Indian Constitution. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Shri Ram Nath Thakur; not present. Now, Shri R. Girirajan.

Demand to expedite Chennai Metro Rail Phase-II project and release of matching funds

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, the Chennai Metro Rail Phase-II project is an important transport infrastructure initiative to facilitate the public transport in Greater Chennai region. It is envisaged to build three corridors of a length of 118.9 kilometres with 128 stations to ease the traffic and to cater to the needs of large population. The Union Government permitted the Government of Tamil Nadu to proceed with Rs.61,843 crore Chennai Metro Rail Phase-II project in Chennai two years ago.

The Government of Tamil Nadu has been funding the project expecting that the Centre would approve it soon. The Union Government is yet to allocate funds since the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs is pending. The Tamil Nadu Government has allocated Rs.10,000 crore for the said project in this year's State Budget. The Japan International Cooperation Agency (JICA) has offered loan assistance of Rs.20,196 crore for building 52.01 kilometres of Phase-II and the Asian Development Bank (ADB) has approved in-principle for funding of the remaining 66.89 kilometres stretch. The Government of Tamil Nadu is steadfast and is on target in executing the project. The Centre should release the matching funds and the loan assistance from bilateral/multilateral agencies should also be released on time.

I urge the Union Government to take necessary steps to expedite the approval by the CCEA and release matching funds from the Government of India and also the loan assistance from JICA and ADB on time. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Shri R. Girirajan: Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Shri Lahar Singh Siroya; not present. Now, Shri Aneel Prasad Hegde.

Concern over WHO's proposed Global PandemicTreaty with the Amendments to the International Health Regulations 2005

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE (Bihar): Sir, the World Health Organisation's proposed Global Pandemic Treaty with the Amendments to the International Health Regulations 2005 presents a profound threat to our national interest. European and the UK Parliament have also raised concern regarding them.

WHO's proposed treaty hopes to become the ultimate authority on health, in a One Health Approach, which would grant unchecked powers to the organisation that extend far beyond the realm of health, encroaching upon areas of food economy, environment and individual liberties. Its provisions enable WHO to unilaterally declare pandemics, assume control over national Governments, mandate medical procedures and impose restrictions that violate citizens' constitutional rights. The amendments to the IHR 2005 deepen our concerns. They could lead to draconian measures undermining our national interests, if accepted. It is important to note that W.H.O., an external and unelected body, funded by private interests and companies will take over policy-making in the health sector and the achievements of our Government will come to a naught while putting the health of our citizens at risk.

It is important that such far-reaching decisions concerning the health and liberties of our people undergo a rigorous process of parliamentary scrutiny and approval. Therefore, I urge the Government to ensure that no treaty, especially the Pandemic Treaty or any amendments to the IHR, that are against our national interests, may be approved. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Aneel Prasad Hegde: Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Sujeet Kuma, not present. Shri Syed Nasir Hussain, not present. Dr. Fauzia Khan, 'Urgent need for regulating finance-influencers.'

Urgent need for regulating finance-influencers

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, the proliferation of finance influencers has transformed the financial landscape, providing users with unprecedented access to advice and recommendations. However, this burgeoning sector is now facing significant challenges as the Securities and Exchange Board of India, that is, SEBI, reports a surge in unregulated financial advice disseminated through social media channels. The unchecked influence of finance influencers poses a clear and present danger, exposing users to misinformation, fraudulent schemes and market manipulation. In response, regulatory intervention becomes imperative to curb malpractices and protect investors. Effective regulation would establish a framework to monitor them, ensuring adherence to ethical standards and legal obligations. By introducing accountability measures for misleading information and fraudulent practices, regulations can act as a deterrent, safeguarding users from potential financial pitfalls. Moreover, regulatory guidelines can enhance transparency and trust in the financial ecosystem. Mandating influencers to disclose conflicts of interest, transparently communicate risks and verify their financial expertise can bolster credibility and shield users from falling prey to deceptive schemes.

In conclusion, with the escalating challenges posed by fraud in the finance-influencer sphere, regulatory measures are urgently needed. Hence, I urge the Government to undertake collaborative efforts between regulatory bodies, such as SEBI, and industry stakeholders to formulate and enforce guidelines that strike a balance between innovation and investor protection. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Fauzia Khan: Dr. John Brittas (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha)

Shri Samir Oraon, 'Demand for construction of railway line from Korba to Lohardagga via Jaspur Gumla under Janjatiya Gaurav Corridor.'

Demand for construction of Railway line from Korba to Lohardagga via Jaspur Gumla under Janjatiya Gaurav Corridor.

श्री समीर उरांव (झारखंड) : महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान झारखंड राज्य की चिरप्रतीक्षित लोहरदगा-गुमला-कोरबा रेल लाइन की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका सर्वेक्षण कार्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल द्वारा प्रारम्भ भी हो चुका है। इन

जनजातीय बहुल क्षेत्रों के समन्वित विकास के व्यापक दृष्टिकोण से उठाये गए इस कदम हेतु रेल मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद करता हूं।

इस प्रयास से इस जनजातीय बहुल क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है। परमवीर लांस नायक अल्बर्ट एक्का स्वयं इसी गुमला ज़िले की पावन धरती से थे, तथा आज भी भारतीय सेना में इसी क्षेत्र से हमारे कई सैनिक भाई-बंधु सेवा दे रहे हैं। इन सभी जनजातीय समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने व उनके आर्थिक-सामाजिक विकास हेतु कोरबा से लोहरदगा (वाया जशपुर गुमला) तक रेल लाइन का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः मेरी सरकार से माँग है कि उपर्युक्त रेल लाइन को भारतीय रेल की जनजातीय परियोजना में जोड़कर गति प्रदान की जाए। यह हमारी मांग है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Samir Oraon: Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, hon. Member, Shri A.A. Rahim; Demand to set up Modern Doppler Radars in Kerala for Proper Weather Forecasting.

Demand to set up Modern Doppler radars in Kerala for the proper weather forecasting

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, Kerala has been facing natural calamities and extremely heavy rainfalls for the past few years. Cyclone Okhi in 2017 has killed 91 people and the homes of 150 families have been destroyed. More than 450 people have died and there have been damages of around 44 thousand crore rupees in the 2018 flood which was declared as a level 3 calamity by the Central Government. Similarly, in the flood of 2019, more than 121 people died. The main challenge faced by Kerala is that the weather monitoring and forecasting system is inadequate. Kerala does not have even a properly functioning advanced radar for weather forecasting. The radar in Kochi is not properly functioning most of the time and is an old system that does not provide data in digital format for use in decision support systems. The radar at Thiruvananthapuram is under ISRO and cannot be used all the time for meteorological purposes. In Northern Kerala, there is not even a single radar. Kerala has been demanding modern Doppler Radars since 2013 but the Union Government.... *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to read only the approved text.

SHRI A.A. RAHIM: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, only that will go.

SHRI A.A. RAHIM: Yes, Sir, correct. You can follow it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You continue with last para, 'Kerala has been demanding modern Doppler Radars since 2013.'

SHRI A.A. RAHIM: Kerala has been demanding modern Doppler Radars since 2013 and Modern Doppler Radars should be allowed for the Northern, Southern, and Central regions of Kerala. I also urge the Government that an X-band Mini Doppler Radar should be allotted to the Idukki region which is a highly ecologically fragile area.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri A.A. Rahim: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Now, Shri A.D. Singh; Concern over lack of funds for research in higher educational institutions in Bihar.

Lack of funds for research in Higher Educational Institutions in Bihar

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, the funds allocated for research in Higher Educational Institutions in Bihar are much lower than the national average. The research projects submitted by the institutions to the national funding agencies are not receiving funds. As a result, Bihar's research and development activities are lagging behind even though the best talent is available in the State. Recently, the Department of Science and Technology invited proposals for Research and Development Infrastructure Allocation Fund, IIT, Patna-led Consortium comprising of the Central University of South Bihar, Gaya; Mahatma Gandhi Central University, Motihari and Aryabhatta Knowledge University, Patna submitted a proposal for funding support on sharing basis. The proposal was rejected stating reasons that the proposal is not focussed and the research outcome is not impressive. I want to apprise the House that IIT, Patna, alone has contributed more than 2,000 research papers and 35 patents in the duration specified for consideration of the proposal. The overall contribution by the Consortium to the field of research is much more and commendable. I, therefore, request the Ministry that the recommendation denying the infrastructure funds to the Consortium for the growth of R&D culture in Bihar may be reviewed so that an

appropriate nurturing and support system can be developed for start-ups and MSMEs in the State. Further, more funds may be allocated for research infrastructure in Bihar.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Shri A.D. Singh: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

Shri Sandosh Kumar P; demand for new nursing colleges in Kerala.

Demand for new nursing colleges in Kerala

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I request the Central Government to open more nursing colleges in Kerala considering the huge demand for nursing education in the State. As you are aware, nurses from Kerala were pioneers in opening up a new avenue of employment for migrants in Europe, the U.S. and the GCC countries since the 1960s. The nursing profession has a predominant role in the State's economic development, contributing a significant share of the remittance inflow. Besides, Kerala is known for offering the finest professional training to nurses. Therefore, globally, there is an unparalleled demand for Malayali nurses. However, the number of nursing colleges in the State is relatively less. The total number of nursing seats in the State is around 7,300 which is far below the demand from prospective students. Due to the lack of sufficient seats, many aspiring students currently depend on Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to pursue nursing education, spending more money. This can be avoided if there are more nursing seats in accordance with the rising demand. Another rationale for the need for new nursing colleges is the acute shortage of nurses in hospitals. Although Kerala has 90 per cent of India's registered nurses—18 lakh out of 20 lakh, their large-scale migration has caused a crisis in the State's hospitals, most of which have 50 per cent vacancies for graduate and trained staff nurses. Hence, there is a huge domestic demand for nursing professionals. In this context, we strongly feel that Kerala needs more nursing colleges to meet the huge demand. I urge the Government to look into it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Shri Sandosh Kumar P: Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri P. Wilson; demand for mandatory functioning of virtual courts along with physical courts across country.

Demand for mandatory functioning of Virtual courts along with Physical Courts across country

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, the advent of COVID had forced us to conduct court proceedings virtually. Virtual courts had enabled participation from remote areas irrespective of geographical or economic constraints, eliminating the need for individuals to bear significant financial burdens in physical court sessions.

However, just as the COVID times are behind us, the virtual courts are slowly becoming a thing of the past in some tribunals such as CERC, TDSAT, NCLAT, APTEL, etc. The hon. CJI has appealed to High Courts and Tribunals for utilizing the virtual court infrastructure for which the Government had invested a huge amount of public money.

Denying a virtual hearing to a litigant would not just increase litigation cost, but also convert the court proceedings from accessible and convenient to complex and time-consuming ones. A litigant would have to bear the cost of travel, lodging and extra fees of the lawyer since most of the Tribunals are situated at Delhi.

The concept of access to justice has been etched in our Constitution. Through virtual courts, the legal process could be streamlined by reducing paperwork and automating administrative tasks. This can lead to faster case resolution and reduce backlog of cases.

Therefore, I demand from the Government to bring a comprehensive legislation mandating virtual court hearings along with physical courts in all High Courts, District judiciary and all tribunals across country which includes a code of conduct for Judges, lawyers, litigants and other stakeholders along with penal provisions for any misconduct. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Shri P. Wilson: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala), and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Shrimati Jebi Mather Hisham; need to regulate digital education apps. Not present. Shri M. Shanmugam; need to extend the salary ceiling limit beyond Rs.21,000 for ESI coverage.

Need to extend the salary ceiling limit beyond Rs.21,000 for ESI coverage

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, at present, ESI scheme is restricted to employees whose salary is up to Rs.21,000. Now-a-days, reaching Rs.21,000 level is not a difficult thing, given the cost of living and, therefore, most of the people are suddenly going out of the ESI coverage. The system should be devised on par with EPF Pension scheme. Even though the salary may increase, still they should be able to continue in the ESI Scheme, by giving them the option to continue. In that way, the entire working class will get the ESI benefit and there will be more number of insured persons. Monetary benefit will also increase. Rule 52 of the Employees State Insurance (Central) Rules, 1950 gives exemption from payment of employee's contribution under section 42 of ESI Act, and therefore the employees in the unorganised sector need not pay contribution and they can be given universal coverage. I understand, there is a proposal to cover the unorganised workers under the provisions of ESI for which the scheme is proposed to be framed by the Union Government. I would, therefore, demand that the Government should come forward to do this at the earliest possible period so that all the workers in the unorganised sector are covered under the ESI scheme for availing benefits.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention matter raised by the hon. Member, Shri M. Shanmugam: Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Dr. V. Sivadasan on 'Concern over issues faced by IT and ITES sector employees.'

Issues faced by IT and ITES Sector employees

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, the IT and ITES workers are facing increasing exploitation with adverse effects on health and well-being. They are made to work much more than eight hours, and this destroys their psychological and physical well-being. Erratic patterns of shift in work affects the sleeping patterns of the workers and causes irreparable damage to their health. The companies do not provide proper paid holidays. Adhocism and arbitrariness reign supreme. Unrealistic targets are set before the workers, and they have no control over the conditions of work. In the BPO

jobs, even washroom visits are fixed and controlled. Washrooms are segregated by seniority. Some washrooms are even password protected. It is reported that performance metrics are designed in such a way that targets are almost impossible to achieve, and this creates hostile relations at work. The superiors often forced the junior staff to make them toil for long hours. Employees are made to compete with one another for retaining their jobs. The privacy of the employees is not respected, and they are under constant surveillance. Verbal and physical abuse at some workplaces is rampant. There are no safeguards for the people with disabilities and the workers point out that the culture of abuse results in strengthening the discrimination based on caste, religion, gender and sexuality. Workers are reduced to mere machines. There is an urgent need to address these problems faced by the IT, ITES and BPO workers. I urge the Government to look into it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention matter raised by the hon. Member, Dr. V. Sivadasan: Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Dr. John Brittas (Kerala).

Shri Sanjeev Arora; not present. Now, Shri Sujeet Kumar on 'Demand for Comprehensive National Programme on Cancers affecting women.'

Demand for a comprehensive National Programme on Cancers affecting Women

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I seek to draw your attention to rising incidence of cervical and breast cancers among women, emphasizing the need for a comprehensive national programme to increase testing and awareness. According to the latest data from the WHO, cervical cancer ranks as the fourth most prevalent cancer in women globally, and the second most common in India. Notably, breast cancer has surpassed cervical cancer, emerging as the most frequent cancer in India, with approximately 1,78,000 new cases diagnosed annually. Shockingly, a woman is diagnosed with breast cancer every four minutes, and a life is lost to it every eight minutes in our country. Despite the alarming prevalence of cases, the testing rates are abysmal, with only 1 per cent of Indian women undergoing screening for cervical and breast cancer, in stark contrast to the WHO recommendation of at least 70 per cent. As of 2019-21, the screening rates for cervical and breast cancer in India stand at a mere 1.2 per cent and 0.6 per cent respectively. This is in sharp contrast to

advanced economies like Sweden, Ireland, U.S., and U.K., where over 70 per cent of women undergo cervical cancer screening.

Sir, while the Government's announcement of cervical cancer vaccination for girls aged 9-14 in the interim Budget is commendable, the effectiveness of this initiative hinges on the establishment of a robust testing ecosystem.

I, therefore, earnestly urge the Government to institute a comprehensive national programme on cancers affecting women, to enhance testing across all age groups, to facilitate early detection and treatment, and prevent the loss of precious lives.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Shri Sujeet Kumar: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 5th February, 2024.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 5th February, 2024.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)